लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, मंगलवार, 29 नवम्बर, 1977/8 अग्रहायण, 1899 (शक)
No. 10, Tuesday, November 29, 1977/Agrahayana 8, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या 183, 184, 186 से 188, 191, 192 और 194	*Starred Questions No s.183, 184, 186 to 188, 191, 192 and 194 .	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या 185, 189, 190, 193 और 195 से 202	Starred Questions Nos. 185, 189, 190 193 and 195 and 202 . . .	19—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 1733 से 1760, 1762 से 1770, 1772 से 1779, 1781 से 1855 और 1857 से 1932	Unstarred Questions Nos. 1733 to 1760, 1762 to 1770, 1772 to 1779, 1781 to 1855 and 1857 to 1932 . . .	27—129
2 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5708 के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to USQ No. 5708 dated 2-8-1977	129
साइकिल स्टेन्ड का ठेका देने के लिये बयाना राशि का निर्धारण करने के बारे में	Re. Fixation of Earnest Money & Security Deposited for Award of Contract for Cycle Stand	129
समुद्री तूफान से पीड़ित लोगों के लिए प्रधानमन्त्री सहायता कोष में अंशदान करने के बारे में घोषणा	Announcement re : Contribution to the Prime Minister's Relief Fund for Cyclone-Affected People . .	130
कार्यवाही को रिकार्ड न करने के बारे में	Re. non-recording of the proceedings.	130
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	131
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re : Motion for adjournment .	131
विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	Re : Questions of Privilege	132
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee .	132
नौवां प्रतिवेदन	Ninth Report . . .	132
कृमिनाशकों के मूल्यों में कमी किए जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re : Reduction in the prices of pesticides	132
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna .	132
नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में	Re : Matters under Rule 377 . .	133

किसी नाम पर अंकित यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

The sign marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक	Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill . . .	133—144
विचार किए जाने का प्रस्ताव	Motion of consider . .	133
श्री जार्ज फर्नान्डीज	Shri George Fernandes . . .	133
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . . .	134
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya . .	135
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan . . .	137
श्री बयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	137
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . . .	138
श्री के० ए० राजन	Shri K.A. Rajan . . .	138
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar . .	139
खंड 2 से 33 तथा 1	Clauses 2 to 33 and 1 . .	142—144
पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass . . .	144
श्री जार्ज फर्नाण्डीज	Shri George Fernandes . .	144
शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक	Enemy Property (Amendment) Bill .	145—153
विचार किए जाने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	145
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . . .	145
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	145
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu . .	146
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya	146
श्री ए० मुरुगसेन	Shri A. Murugesan . . .	146
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar . .	147
खण्ड 2 से 11 तथा 1	Clause 2 to 11 and 1 .	149
पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass— . . .	149
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . . .	149
बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश 1977 के बारे में सांविधिक संकल्प तथा	Statutory Resolution re : Disapproval of the Banking Service Commission and	149
बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेय के	Banking Service Commission (Repeal Bill	149
विचार किए जाने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	149
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . . .	149
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel . .	150
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantaro Chavan	151
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh .	152
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	153

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 29 नवम्बर 1977/8 अग्रहायण, 1899 (शक)
Tuesday, November 29, 1977/Agrahayana 8, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अलीबाग तट से दूर तेल की खोज

***183. श्री एस० आर० रेड्डी :**
श्री रामानन्द तिवारी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई शहर के दक्षिण पश्चिम में 70 किलोमीटर की दूरी पर अलीबाग तट से दूर एक कुएं में हाल ही में तेल का पता लगाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) अशोधित तेल की उत्पादन दर क्या है;

(ग) क्या क्षमता सम्बन्धी अनुमान लगाये गये हैं; और

(घ) इस वर्ष देश में अशोधित तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) बम्बई नगर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलीबाग समुद्र तट से दूर की एक संरचना में अभी हाल ही में खोदे गये पहले कुएं में तेल की खोज की गई है। इस कुएं को खोदने की लागत लगभग 1.26 करोड़ रु० आई है। उत्पादन परीक्षण के दौरान कुएं से प्रतिदिन 1475 बैरल की दर से तेल निकला। अन्वेषी कुएं के समीप एक मूल्यांकन कुएं को खोदा गया है। इस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये कुछ और अधिक मूल्यांकन कुओं को खोदा जायेगा।

(घ) वर्ष 1977-78 के अशोधित तेल का कुल देशीय उत्पादन 10.8 मिली मी० टन होने की सम्भावना है।

Shri Ramanand Tiwari : I want to know whether the drilling of that well is being done in the public sector or in collaboration with some foreign company and whether the expenditure has exceeded the estimate.

Shri Hemvati Nandan Bahuguna : This work is being done by O.N.G.C. itself. The drilling plant has of course been taken on hire. Gatistberg is a foreign plan which has been hired. But the work is being done by O.N.G.C. through contractors. It is very difficult to make any assessment of the expenditure involved in discovering oil.

Shri Ramanand Tiwari : What was the total production of crude oil in last year and what increase is likey to be made in the price of the oil produced this year ?.

Shri Hemvati Nandan Bahuguna : In 1976-77, 5.34 million tonnes of oil—4.18 million tonnes in Gujarat area and 1.16 million tonnes in Assam area—was extracted from ground and 10.41 million tonnes of oil was obtained from off-shore drilling. Thus a total of 5.75 million tonnes of oil extracted in 1976-77. Oil India and A.O.C. extracted 3.18 and 0.06 million tonnes in 1976-77 from the ground. The production of oil during 1977-78 is likely to be 10.81 million tonnes.

श्री अनन्त दवे : क्या गुजरात राज्य के कच्छ जिले में तेल की खुदाई का काम शुरू हो गया हैं और यदि हां तो, उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कच्छ क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा है और उत्तर गुजरात तेल क्षेत्रों और ताप्ती बेसिन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी तेल की खोज के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

रेलवे विकास कार्यक्रम

184. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री बी० राचैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में एक विस्तृत रेलवे विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए रेलवे का एक कार्यकारी ग्रुप गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) कार्यकारी ग्रुप के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) कार्यकारी ग्रुप द्वारा सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री० मधु दन्डवते) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) एक विवरण नीचे दिया गया है ।

(घ) आशा है, कार्यकारी दल दिसम्बर, 1977 के मध्य तक अपनी अन्तरिम रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे देगा ।

विवरण

कार्यकारी दल के सदस्यों के नाम प्रकार हैं:—

क्रम संख्या	नाम और पद		प्रतिनिधि
1	2	3	4
1.	श्री के० एस० राजन, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	रेल मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री एम० जी० नायर, निदेशक, रेलवे योजना	रेल मंत्रालय	संदस्य एवं संयोजक
3.	श्री एस० चट्टोपाध्याय, विशेष कार्य अधिकारी	उर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग)	सदस्य
4.	श्री बी० सिन्हा, संयुक्त सचिव	उर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)	सदस्य
5.	श्री जी० बी० सिंह, निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण		

1	2	3	4
6.	श्री आर० के० डांग, संयुक्त सचिव	इस्पात व खान मंत्रालय	सदस्य
7.	श्री एस० एम० चक्रवर्ती, निदेशक	उद्योग मंत्रालय	सदस्य
8.	श्री के० पी०, सिंह संयुक्त आयुक्त (संचलन)	कृषि व सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग)	सदस्य
9.	श्री एन० पीं० वर्मा, संयुक्त आयुक्त, (उर्वरक)	कृषि व सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)	सदस्य
10.	श्री एस० एम० केलकर, सयुक्त सचिव	पेट्रोल व रसायन मंत्रालय (रसायन व उर्वरक विभाग)	सदस्य
11.	श्रीमती लतासिंह, निदेशक		
12.	श्री एस० केथारामन, कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वयन समिति	पेट्रोल व रसायन मंत्रालय (पेट्रोल विभाग)	सदस्य
13.	श्री एस० आर० शाह, निदेशक	वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
14.	श्रीटी० वी० सुन्दरराजन, निदेशक, परिवहन अनुसंधान	नौवहन व परिवहन मंत्रालय	सदस्य
15.	श्री एन० ए० ए० नारायणन, उपसचिव (परिवहन)		
16.	श्री एस० सी० मिश्रा, अध्यक्ष (परिवहन)	योजना आयोग	सदस्य
17.	डा० एम० क्यू० डाल्वी, यू०एन०डी०पी० सलाहकार		
18.	डा० वाई० के० अलग, सलाहकार, संदर्श योजना प्रभाग		
19.	श्री आर० सी० शर्मा, संयुक्त निदेशक, परिवहन		

रेलों पर कार्यकारी दल के लिए विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :--

(i) 1977-78 के अन्त तक रेलों की ढुलाई क्षमता तथा उसके उपयोग की समीक्षा करन जिसमें मन्द क्षमता की मात्रा तथा संचलन में स्थानिक रूप से खण्डीय और टर्मिनल अड़चनों पर प्रकाश डाला जायेगा ।

(ii) आगामी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के प्रत्येक वर्ष में माल यातायात के लिए परिवहन की आवश्यकताओं को यथार्थवादी आकलन करना । यह आकलन रेलों द्वारा ढोयी जाने वाली प्रमुख वस्तुओं जैसे कोयला, इस्पात कारखानों के लिए तैयार इस्पात और कच्चा सामान, निर्यात के लिए लोह अयस्क, सीमेन्ट, उर्वरक, खाद्यान्न, पेट्रोल और तेल तथा स्नेहक, रेलवे का सामान तथा अन्य सामान्य माल के सम्बन्ध में किया जायेगा । परिवहन की आवश्यकताओं का आकलन प्रारम्भिक टन भार तथा मीटरिक टन किलोमीटर दोनों के अनुसार किया जा सकता है । ऐसा माल यातायात के प्रत्याशित प्रतिमान तथा वहन दूरी को ध्यान में रखकर किया जायगा ।

(iii) आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि 1978-83 के प्रत्येक वर्ष में (क) उप-नगरीय और (ख) अनुप-नगरीय यात्री यातायात की आवश्यकताओं का आकलन करना। अनुप-नगरीय यातायात के मामले में गाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने तथा लम्बी दूरी के यात्री यातायात की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा।

(iv) उपभोक्ता तरजीह सेवा की लागत आदि के आधार पर रेल सड़क परिवहन तथा तटीय जहाजरानी के लिए माल और यात्री यातायात निर्धारित करने के लिए नीति संरचना सम्बन्धी सुझाव देना।

(v) आकलित यात्री और माल यातायात के लिए चल-स्टाक की आवश्यकता के अनुरूप पंच-वर्षीय योजना 1978-83 की अवधि में रेलों के उत्पादन कारखानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में चल-स्टाक के उत्पादन के कार्यक्रम की सिफारिश करना।

(vi) 1977-78 के अन्त तक उपलब्ध होने वाली क्षमता तथा यातायात की प्रक्षिप्त आवश्यकता को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजना अवधि 1978-83 के प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न योजना शीर्षकों जैसे चल-स्टाक लाइन क्षमता के काम आदि के अन्तर्गत रेलवे का विकास कार्यक्रम तथा उन पर होने वाले व्यय को प्रतिपादित करना। चूंकि रेल परियोजनाओं के पूरा होने में लम्बा समय लगता है इसलिए कार्यकारी दल इसे दस वर्ष की अवधि के परिप्रेक्ष्य में मान सकता है।

(vii) सस्तुत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन में योजना अवधि के दौरान तथा उनके पूरा हो जाने के बाद कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों में होने वाली सम्भावित सीधी नियुक्तियों को श्रमिक दिनों में बताना।

(viii) पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए सभी प्रकार के सामान और उपस्कर की आवश्यकता बताना तथा यह भी बताना कि वे कितनी मात्रा में देशी साधनों से बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों से अलग-अलग प्राप्त हो सकेगा तथा कितनी मात्रा में निर्यात करना होगा।

(ix) विकासात्मक रेल लाइनों में निवेश के सम्बन्ध में अपनाने के लिए नीति की सिफारिश करना।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : कार्यकारी ग्रुप के 19 सदस्यों में से एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो तकनीकी ज्ञान रखता हो और रेल दुर्घटनाओं से बचने के तरीके सुझा सके। क्या मंत्री महोदय ऐसे किसी व्यक्ति को कार्यकारी ग्रुप में शामिल करेंगे ?

निदेश-पदों में दुर्घटनाओं के बारे में और रेलों के कार्यकरण में सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। क्या मंत्री महोदय इनको निदेश-पदों में शामिल करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : ये ग्रुप रेल मंत्रालय ने नहीं बल्कि योजना आयोग ने गठित किया है। सदस्यों का चयन योजना आयोग ने किया है।

दूसरे ग्रुप के 19 सदस्यों में दो रेलवे के अधिकारी हैं। एक हैं. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री के० एस० राजन। अतः यह कहना ग़लत है कि ग्रुप में कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं है।

माननीय सदस्य ने दुर्घटनाओं के प्रश्न को उठाया है जो कि एक पृथक मामला है। मूल प्रश्न रेलों के विकास के बारे में है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : रेलवे को सार्वजनिक उपयोग की सेवा माना जाता है । अधिकांश व्यक्ति द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं और उन्हीं से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है । यह बहुत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यात्रियों के लिए सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है । मैं जानता हूं कि यह कार्यकारी दल योजना आयोग द्वारा गठित किया गया है । लेकिन यह तो रेलों के विकास हेतु है । रेल मंत्रालय को भी रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं का ध्यान होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी योजना आयोग को सुझाव देंगे या वह स्वयं कार्यकारी दल से सुविधाओं सम्बन्धी उल्लेख करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि ग्रुप का कार्य बहुत बढ़ाया जाता है तो वह रेलों के विकास सम्बन्धी विशिष्ट कार्यक्रम निश्चित नहीं कर पाएगा । मुख्य तौर से यह कार्य पिछड़े क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रेल लाइनों के विकास का है । इसका अर्थ है कि परिवहन और यातायात सम्बन्धी सभी मामलों पर चर्चा होगी । संख्या 3 में एक निदेश पद है कि आगामी योजना के प्रत्येक वर्ष में उपनगरीय यातायात और गैर-उपनगरीय सहित सभी यातायात का अनुमान लगाया जाये । उनके सुझाव के अन्तर्गत यह बात आ जाती है । लेकिन मुख्यतया प्रश्न रेलों के विकास का है ।

Shri Tej Pratap Singh : Whether it is included in the terms of reference to accord priority to development of railways in the backward areas where there is shortage of railway facilities and to submit their report ?.

Prof. Madhu Dandawate: The 9th number in the list of terms of reference is this "To recommend policy in regard to investment in the railway lines of a developmental character." So we are considering development of railways in backward areas. A note in this regard is also being sent by the Ministry of Railways to impress the point that return should not be the only criterion for new railway lines but to concentrate backward areas where Government propose to set up infra-structure for industries.

श्री के० लकप्पा : पुनर्गठित कार्यकारी दल के अधीन तैयार किया गया 9 सूत्री कार्यक्रम एक आम तरह का कार्यक्रम है जो कि नया आने वाला मंत्री देता ही है । हमारा यह अनुभव है कि देश भर में ऐसा कार्यक्रम कभी कार्यान्वित नहीं किया जाता । निदेश पदों में रेल दुर्घटनाओं को रोकने या कम करने का कोई उल्लेख नहीं है । हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं पर सारा देश बहुत चिन्तित है । विकास कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार भी आना चाहिये । इसलिये क्या रेलवे के कार्यकरण का अनुमान लगाने और उस बारे में योजनायें कार्यान्वित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि रेलों का विकास ही इस विशेष अध्ययन दल का मुख्य उद्देश्य है । मैं सभा को यह जानकारी दे दूं कि हम एक अलग पैनल बना रहे हैं जो दुर्घटनाओं की समस्या का गहराई से अध्ययन करेगा । लेकिन वह थोड़ा बाद में बनाया जायेगा ।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न यह है कि अध्ययन दल द्वारा दिये गये सुझावों को तथा निकाले गये निष्कर्षों को लागू करने के बारे में क्या समय-सीमा नियत की गई है ? उत्तरदायित्व नियत किये बिना कुछ भी नहीं होगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : 4 अक्तूबर. और नवम्बर मास में पहले ही दो बैठकें हो चुकी हैं । दिसम्बर के अन्त तक अन्तरिम रिपोर्ट मिल जायेगी ।

Shri Durga Chand : With reference to No.3 and No.6 of terms of references I would like to know if Government propose to accord priority to the backward and hilly areas in view of the fact that no development has taken place for the last 50 years.

Prof. Madhu Dandavate : I have already told you under term of reference No. 9 Group will discuss the development character including backward and hilly areas. The note sent by the Ministry mentions hilly tracks and backward areas.

Shri Yuvraj : Sir, the train which is direct from Delhi to Assam has to do transhipment at Barauni just for 100 Kilometres. Will he consider this aspect also while discussing on the transport facilities proposed to be provided to backward areas ?.

Prof. Madhu Dandavate : The original question is about the study group constituted for the development of railways. He is asking about individual cases. So I cannot answer to that.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्री जी ने सभा में और बाहर भी कई बार एकल गेज प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया है । फिर निदेश पदों में उसका उल्लेख क्यों नहीं । मंत्री जी का इस बारे में क्या विचार है ?

दूसरे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि यातायात के विभिन्न साधनों का एकीकरण किया जायेगा । निदेश पद संख्या 4 से क्या यह अर्थ लगाया जाये कि क्या एकीकृत नीति के बारे में उपयुक्त गम्भीर तथा विस्तृत रूप से विचार किया जायेगा क्योंकि तभी पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों में समुचित यातायात के साधनों का विकास हो पायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : जो सुझाव दिया गया है वह पहले ही निदेश पदों में शामिल कर लिया गया है । मैं माननीय सदस्य को यह अहसास करवाना चाहता हूं कि निदेश पद का यह पहलू भी रेल मंत्रालय के आग्रह पर किया गया है. क्योंकि हम पहले ही सदन में यह आश्वासन दे चुके हैं और सम्भवत: इसी सदस्य को यह आश्वासन दिया गया था कि नौवहन, परिवहन तथा रेल मंत्रालयों के बीच और अधिक समन्वय होगा तथा इसी के परिणामस्वरूप यदि योजना आयोग के दल द्वारा इस समस्या का गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो इससे रेल मंत्रालय को इन तीनों के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय अगला प्रश्न :

श्रीमती पार्वती कृणनन : नहीं, श्रीमान जी अभी मेरे छोटी लाइन की बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : आपने मुझे बुलाने का वायदा किया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई वायदे नहीं किया करता ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान जी, प्रश्न का एक पहलू तो यह भी है कि यह दल इस बात पर भी विचार करेगा कि वहां एक प्रकार की रेलवे लाइन बनाये रखने की भी कितनी आवश्यकता है । परिवहन तथा यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं सम्बन्धी निदेश पदों को दृष्टिगत रखते हुये भी ऐसा लगता है कि इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इसे तो केवल आप ही समझते हैं । यह निदेश पद में नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : जो निदेश पदों में अस्पष्ट हैं, मैं उसी को और स्पष्ट कर रहा हूं । मैं माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक ओर पत्र भेज कर उन्हें यह स्पष्ट कर देंगे कि एक ही लाइन बनाये रखने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं दो या तीन बार खड़ा हुआ परन्तु आप ने मुझे यह आभास दिया कि आप मुझे बुलायेगें। अब आप ने मंत्री को वापिस जाने दिया है तथा अगले प्रश्न पर चले गये है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न संख्या 186.

Charging of Demurrage by Railways on Sundays

*186. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Railways charge demurrage and other expenses from the goods owners even for Sunday which is a closed holiday and the other institutions like banks, etc. are also closed on that day;

(b) if so, whether Government propose to give any concession in this regard; and

(c) if so, when and the details thereof ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Demurrage is charged on all days including Sundays. Wharfage on Sundays is charged only at certain stations notified by the Railways.

(b) & (c) The position in respect of wharfage on Sundays at notified stations is under review.

Shri Meetha Lal Patel: Mr. Speaker, Sir, if the goods of an owner are received after 12 PM on S turday or after the time of a working day and the rest day is a Sunday, so in such like circumstances, he can only get his goods released on Monday. So in likewise cases when a person cannot get his Hundi-Bilti from the Bank demurrage should be charged from Monday only. I hope hon. Minister will agree to it as it is a very practical issue that demurrage should be started from Monday.

Prof. Madhu Dandavate : Sir, whatever has been stated by hon. Minister, that is a suggestion for consideration to which we will definitely pay heed. I have explained the procedure which is now prevalent. We will consider that also.

Shri Meetha Lal Patel : The facility of wharfage has been provided in some of the cities, may I know why this facility is not intended to all the cities ?

Prof. Madhu Dandavate : Two questions are involved in it, firstly the question of wharfage and secondly the question of demurrage. Regarding the question of wharfage, I may submit that wharfage is charged even on Sundays on the stations where consignments are received in large number. But in May, 1977 we received a suggestion that wharfage should be charged at all stations and this suggestion is under considerations. The Eastern Railway has decided to do away with wharfage on Sundays and it is under considerations with regard to other stations.

Shri Meetha Lal Patel : My submission is that when it is being done for Eastern Railway, then why such a policy discussion is not taken by Government so as to implement this quickly on all stations ? You are doing it now for some stations, Eastern Railway has already done, when it will be done with regard to other stations ?

Prof. Madhu Dandavate : It has been done in Eastern railway after taking into consideration the revenue and expenditure. I have already stated that in May, 1977 we received a suggestion that all stations should be exempted from wharfage. We are considering it and I hope that a decision will be taken very shortly.

प्रो० पी० जी० वी० मावलंकर : मंत्री महोदय मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि यह बहुत ही विचित्र बात है जब कि बैंक तथा अन्य संस्थायें इतवार या छुट्टियों के कारण बन्द होती हैं तो भी व्यापारियों को विलम्ब शुल्क देना पड़ता है जब कि वह बैंकों से धन आदि नहीं ले सकते हैं। इसी तथ्य के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अहमदाबाद ऐसे स्टेशनों में से है जहां कि आपात कालीन स्थिति के दौरान व्यापारियों को शनिवार मध्याह्न पश्चात से लेकर सोमवार की प्रातः तक के लिए जुर्माने लगा कर उन्हें दण्डित किया गया था। वह समस्या के इस पहलू की ओर ध्यान क्यों नहीं दें रहे हैं तथा वह यह सुनिश्चित कर सम्पूर्ण समस्या को नियमित क्यों नहीं करते जिससे कि किसी को भी इतवार के लिए जुर्माना न देना पड़े तथा आपातकालीन समय के दौरान की गई गलतियों को सुधारा जा सके।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक विलम्ब शुल्क की समस्या का प्रश्न है, आंकड़ों के आधार पर प्रायः यही देखने में आया है कि जब कभी भी विलम्ब शुल्क लिया जाता है, उसके लिए जुर्माने के दिनों की संख्या काफी अधिक होती है तथा इतवार उनमें से एक होता है। अतः चूंकि यह बीच के दिनों में से ही एक होता है, अतः इसीलिए पूरे विलम्ब काल के लिए विलम्ब शुल्क लिया जाता है, परन्तु जैसा कि मैंने आप को पहले बताया तथा जैसे कि मैंने सदन को आश्वासन दिया, इस समस्या का अध्ययन किया जा रहा है।

जहां तक स्थान-शुल्क का सम्बन्ध है, यह विशेष सुविधा निश्चय ही हमने केवल उन्हीं स्टेशनों पर दी है जहां कि माल काफी अधिक संख्या में आता है। परन्तु 1977 में पहले ही हमारे पास एक सुझाव आ चुका है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि यह सिफारिश सभी स्टेशनों पर समान रूप से लागू की जानी चाहिये तथा इसी विशेष सुझाव का अध्ययन किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसके बारे में कार्यवाई किये जाने की संभावना है।

श्री के० मलन्ना : क्योंकि निजी क्षेत्र के गोदामों की तुलना में विलम्ब शुल्क सस्ता पड़ता है, प्रायः व्यापारी लोगों की यह प्रकृति है कि वह अपना माल रेल गोदामों में ही पड़ा रहने देते हैं जहां कि वह इकट्ठा हो जाता है। क्या इस तथ्य की ओर रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया है और यदि हां तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक है कि कुछ व्यापारी अपने गोदामों की तुलना में हमारे स्टेशनों के गोदामों में अपना माल रखना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वह उनके गोदामों से अच्छे होते हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये हम सम्पूर्ण नीति युक्तिसंगत बनाना चाहते हैं ताकि इस प्रकार की हेरा फेरियों को पूर्णतया समाप्त किया जा सके।

कलकत्ता में भूमिगत रेल

*187. **श्री चित्त बसु :**

श्री सोमानाथ चटर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेल परियोजना की वास्तविक निष्पादन लागत मूलतः अनुमानित लागत से बहुत अधिक होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा कुल कार्य के कितने प्रतिशत का कार्य के लिए खर्च की जा चुकी है;

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि की अनुदान व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ङ) तेल की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम-स्वरूप, संसार भर में मूल्य-वृद्धि हो जाने के कारण, 140 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक अनुमानित लागत को संशोधित करके 249.54 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लागत में और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

सितम्बर, 1977 तक 29.56 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और लगभग 11.5 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

यह परियोजना 1986 तक पूरी की जा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हुए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस काम के लिए 8.62 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है।

श्री चित्त बसु : क्या उनको यह जानकारी है कि कलकत्ता की अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना के निष्पादन में काफी विलम्ब हुआ है और क्या मंत्री महोदय इस परियोजना की निष्पादन समय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए तैयार हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : संसाधनों के उपलब्ध न कराने के कारण विलम्ब हो रहा है। मैंने यह भी बता दिया था कि किस वर्ष संसाधनों को उपलब्ध करके परियोजना को पूरा किए जाने की संभावना है। हमारे विचार से यह काम वर्ष 1985-86 तक करना सम्भव हो सकेगा। यह परियोजना दो हिस्सों में बंटी हुई है। इसका पहला चरण निर्माणाधीन है और यह 1984-85 तक पूरा हो जाएगा। इसका दूसरा चरण 1985-86 तक पूरा हो जाएगा। उपलब्ध होने वाले संसाधनों के आधार पर मैं सदन को यह आश्वासन दे रहा हूं।

श्री चित्त बसु : क्या यह सच नहीं है कि योजनाकार धीरे-धीरे काम कर रहे हैं जिससे शहर के यातायात में रुकावट आई है ? क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में समेकित दृष्टिकोण अपनाने के मामले में सरकार का प्रस्ताव क्या कार्यवाही करने का है ? क्या परियोजना के 17 किलो-मीटर लम्बे मार्ग के कुछ हिस्से में सुरंग बिछाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने परियोजना को भागों में बांट कर पूरा करने की बात कही थी परन्तु माननीय सदस्य ने इसका आशय धीरे-धीरे काम पूरा करना समझा है। माननीय सदस्य कलकत्ता की भौगोलीय स्थिति से अवगत हैं। वहां यातायात घनत्व अधिक है। कार्य को शीघ्र करने के लिए हमने परियोजना को जानबूझकर दो चरणों में बांट दिया है। पहला चरण डमडम से शाम बाजार तथा दूसरा चरण टालीगंज से एस्प्लेनेड तक है। मध्य मार्ग को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। अन्य मार्गों पर काम पूरा हो जाने पर मध्य मार्ग पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कलकत्ता के यातायात को कम से

कम अस्तव्यस्थ करने के लिए हम कार्यों को बांट रहे हैं। भूमिगत रेलवे मार्ग के एक किलोमीटर के हिस्से में सुरंग बिछाई जाएगी। ऋण के आधार पर सामग्री इत्यादि की सहायता के अतिरिक्त हमने परामर्श सहायता भी ली है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that only half of the work has been done. May I know whether the pace of the work is not slow ? He has stated that work will be completed by specific period. Keeping in view the rise in material cost whether cost of the project will not go up ? If so, whether more allocation will be made in regard to the expenditure being incurred for the project so that it is completed early and the difficulties of the transport could be removed in this metropolitan city ?

At present, there is one way traffic in this metropolitan city as a result of which people have to face a number of difficulties. Would the hon. Minister consider for introduction of two way traffic; one way for taxis and cars and the other way for slow moving vehicles? In this way, difficulties could be removed.

Prof. Madhu Dandvate : The slow pace of the underground railway project is not due to the paucity of working capacity but due to paucity of sources. I would like to tell the hon. Member that the estimated cost of the project was 140 crores but due to rise in the material cost, the estimated cost is 249 crores. It is our endeavour to complete the project within the stipulated period. The first phase of the project will be completed by 1984-85 and the second phase by 1985-86.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know if he is prepared to increase the expenditure for this scheme or not?

श्री अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई उत्तर देना है ? मेरे विचार से मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं देना है

Shri Hukam Chand Kachwai : What about my question ?

Prof. Madhu Dandvate : It is very straight that whenever there is a rise in price there will be rise in the cost of production. Therefore, we had fixed time schedule and we are trying to complete the project within stipulated time.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरे विचार में मंत्री महोदय ने मेरे साथी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया है कि सम्पूर्ण रेलवे को भूमिगत बनाया जाएगा। यह उत्तर ठीक नहीं है। टालीगंज से डमडम तक के 18 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाईन के कुछ भाग की सतह ऊंची की जाएगी, कुछ भाग को ऊपर उठाया जाएगा और कुछ भाग में सुरंग बिछाई जाएगी। मंत्री महोदय अपने उत्तर में सुधार करें नहीं तो वह मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मद्रास, बम्बई और दिल्ली एम०टी०पी० का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ? इसके लिए 160 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। दिल्ली परियोजना के लिए 600 करोड़ रूपये की आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय के पास यह राशि है या वह सदन को यह बताने वाले हैं कि वह अन्य परियोजनाओं को समाप्त करके इन क्षेत्रों में परिवहन के अन्य साधनों को विकसित करना चाहते हैं ?

उन्हें कलकत्ता एम०टी०पी० से अनुभव प्राप्त करना चाहिए जहां परियोजना लागत 160 करोड़ से बढ़कर 249 करोड़ रुपये हो गई है अर्थात् प्रति किलोमीटर 14 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। अगर यही धनराशि पिछड़े क्षेत्रों में व्यय की गई होती तो आज हम वहां अधिक रेलवे लाईनें बना सकते थे और वर्तमान रेलवे लाईनों की दूरी बढ़ा सकते थे। अतः, क्या मंत्री महोदय तीन अन्य महानगरीय परियोजना को समाप्त करने पर विचार करेंगे क्योंकि इसके लिए उनके पास राशि नहीं है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक अपने उत्तर को सुधारने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ठीक नहीं सुना है। सुरंग बिछाने का जिक्र करते हुए मैंने बताया था कि भूमिगत रेलवे बनाई जाएगी। अतः सुरंग बिछाई जानी चाहिए। पिछली बार मैंने सदन को सूचित किया था कि लाईन का कुछ हिस्सा भूमि पर होगा। अतः उत्तर सुधारने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यदि वह महसूस करते हैं कि इसमें तकनीकी गलती है तो मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि उनका प्रश्न सही है। कलकत्ता में हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए बम्बई नगर निगम के सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि वे ऐसी बड़ी योजनाएं नहीं चाहते जिसमें हमारे संसाधन ऐसी परियोजनाओं में लगाए जाएंगे जिससे कातिपय अन्य परियोजनाएं, जो बम्बई के पश्य भाग के लिए आवश्यक हैं, समाप्त हो जाएंगी। अतः, हम भविष्य में पूंजी प्रधान परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं देंगे। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां, विशेषकर देश के पिछड़े क्षेत्रों में यातायात आवश्यकताएं पूरी की जानी हैं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि कलकत्ता में भूमिगत परियोजना को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वह इस बात से सहमत हैं कि कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए वर्ष प्रतिवर्ष पर्याप्त धन आबंटित नहीं किया जाता और तीसरे यह कि क्या वह इस बात के लिए राजी हैं कि यदि निगम द्वारा परियोजना को पूरा करने के कार्य में यदि सरकार अपेक्षित राशि नहीं देती, तो जनता से धन इकट्ठा किया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर 'हां' में तथा तीसरे प्रश्न का उत्तर 'न' में है।

Shri Ugrasen : The hon. Minister has stated that the original estimated cost of Rs. 140 crores has been revised to Rs. 249.54 crores due to increase in prices and there is likelihood of exceeding this cost also. The track on which work has been started should be completed and on the rest of the track on which the work is yet to be started trams should be introdueed and the amount thus saved should be utilised for backward areas.

Prof. Madhu Dandvate: Till now we have spent Rs. 29.56 crores or this project and now if we leave it in between and start plying trams on the track then there will be lot of criticism. Therefore we do not want to stop this project but we want to execute.

दोमंजिले डिब्बों में रेल यात्रा

***188. श्री के० मालन्ना :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोड़ी दूरी की रेल यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने तथा रेलगाड़ियों में अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने हाल में दोमंजिला रेल डिब्बे चलाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस योजना को किसी रेल मार्ग पर परीक्षण के तौर पर आरम्भ किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। (ख) और (ग) 311/312 मद्रास-जोलारपेट्टै एक्सप्रेस में एक प्रोटोटाइप दुमंजिला सवारी डिब्बा चल रहा है । अब 12 और दुमंजिले सवारी डिब्बे बनाने का प्रस्ताव है।

श्री के० मालन्ना : मंत्री महोदय ने कहा है कि मद्रास-जोलारपेट्टै एक्सप्रेस में एक दुमंजिला सवारी डिब्बा चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सामान्य गाड़ी की तुलना में सुरक्षा, आराम तथा आर्थिक दृष्टि से इसकी क्या स्थिति है।

श्री शिव नारायण : दुमंजिला सवारी डिब्बा यात्रियों के लिए काफी आरामदायक है। मैंने मद्रास में स्वयं इसे देखा है।

श्री के० मालन्ना : मंत्री महोदय ने कहा है कि अब 12 और दुमंजिले सवारी डिब्बे का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दुमंजिला गाड़ियां किन लाइनों पर चलाई जाएंगी । क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर दक्षिण के राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है।

श्री शिव नारायण : हम बम्बई पूना की तरफ चलाकर इसका परीक्षण कर रहे हैं। बाद में इस ओर भी ऐसी गाड़ियां चलाई जाएंगी।

आरकोणम में इंजीनियरिंग वर्कशाप

*191. **श्री ओ०बी० अलगेशन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या दक्षिण रेलवे की पूरी आवश्यकता पूरी करने के लिए रेलवे के आरकोणम स्थित इंजीनियरी वर्कशाप में जो रेलवे लैम्प और ऐसी ही अन्य वस्तुएं बनाई जाती थीं वह अब गैर-सरकारी निर्माताओं को सौंपी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी निर्माताओं को ऐसी कितने मूल्य के आर्डर दिये गये; और

(ग) उसी अवधि के दौरान वर्कशाप से ऐसी कितने मूल्य की वस्तुएं खरीदी गईं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु डण्डवते) : (क) आरकोणम कारखाने में मुख्यतः काटों और पार, पुलों के गर्डर, संरचनाओं आदि का निर्माण होता है। तथापि, इसमें रेलवे बत्तियों की 12 मदों, जैसे रेलवे हस्त संकेत बत्तियां, फाटक बत्तियां, ब्रेक यान बत्तियां आदि का निर्माण होता है । हस्त सिगनल बत्तियों और फाटक बत्तियों के अतिरिक्त सभी प्रकार के बत्तियों का निर्माण आरकोणम कारखाने में ही होता है। दक्षिण रेलवे के लिए हस्त संकेत बत्तियों और फाटक बत्तियों की उन आवश्यकताओं के लिए जो इस कारखाने की उत्पादन क्षमता से अधिक होती हैं व्यापार संगठनों को आदेश दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

बत्ती के लिए	1974-75				1975-76				1976-77			
	व्यापारियों से खरीद		कारखाने में निर्मित		व्यापारियों से खरीद		कारखाने में निर्मित		व्यापारियों से खरीद		कारखाने में निर्मित	
	मात्रा संख्या में	कीमत रुपयों में	मात्रा संख्या में	कीमत रुपयों में	मात्रा संख्या में	कीमत रुपयों में	मात्रा संख्या में	कीमत रुपयों में	मात्रा संख्या में	कीमत रुपयों में	मात्रा संख्या में	कीमत रुपयों में
हस्त संकेत बत्ती	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	957	52,157	2452	80,625	698	48,860	1150	33,233	2753	1,92,710
फाटक बत्ती	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	152	19,988	160	12,000	160 (लगभग)	25,600	35	2,625	139	23,630

श्री ओ० वी० अलगेशन : यह वर्कशाप 100 साल पुरानी है। रेलवे बोड जानबूझ कर इसे समाप्त करने पर तुला हुआ । वह इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा ताकि धीरे-धीरे यह स्वयं ही बन्द हो जाए । रेलवे इसको आर्डर नहीं दे रहा। आपको विवरण से ज्ञात होगा कि 1974-75 के दौरान लैम्प जैसी वस्तुएं भी इस वर्कशाप में बनाई गई। बाद में 1975-76 तथा 1976-77 में अधिकांश आर्डर प्राइवेट व्यापारियों को दिए गए । यह कहा जा सकता है कि यह छोटी वस्तु है लेकिन असलियत यह है कि इस वर्कशाप की पुरानी मशीनरी को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है और इसलिए इसे आर्डर भी नहीं दिया जा रहे । रेलवे बोर्ड को एक नीति द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वस्तुएं इस वर्कशाप में बनाई जा सकती हैं वह इसी वर्कशाप में बने। दूसरी बात यह है कि इस वर्कशाप द्वारा बनाए जाने वाले लैम्प कम से कम 25 साल तक साथ देते हैं जबकि प्राइवेट व्यापारियों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले लैम्प केवल 5 साल ही चल पाते हैं। अतः मंत्री महोदय क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि जो वस्तुएं इस वर्कशाप में बन सकती हैं वह वहां ही तैयार की जाएं।

प्रो० मधु दण्डवते : सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस वर्कशाप को धीरे अथवा तेजी से खत्म नहीं होने देंगे। प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में मैंने बताया है कि आरकोणम कारखाने में मुख्यतः काटों, और पार, पुलों के गर्डर संरचनाओं आदि का निर्माण होता है। वर्कशाप केवल लैम्प बनाने हेतु नहीं बनाई गई है और यदि वर्कशाप में केवल सिगनल लैम्प, हाथ वाले लैम्प ही बनाना शुरू कर दिया जाएगा तो अन्य उत्पादनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम चाहते हैं कि हमारे उत्पादन को कोई नुकसान न पहुंचे। हम हाथ वाले सिगनल लैम्पों का निर्माण छोटे पैमाने पर करते हैं। वर्कशाप की पूरी क्षमता उपभोग करने के पश्चात् भी यदि कुछ और लैम्पों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए आर्डर प्राइवेट व्यापारियों को दे दिए जाते हैं। प्राइवेट व्यापारी हमें 31 रुपये 40 पैसे, 31 रु० 50 पैसे अथवा 32 रुपये में लैम्प दे देते हैं जबकि हमारी कीमत 17 रुपये है। यह कीमतें 1975-76 की हैं। वर्ष 1976-77 में प्राइवेट व्यापारियों ने कीमत 27 रु० 50 पैसे लगाई लेकिन हमारी कीमत 70 रुपये ही रही। 1977-78 के लिए प्राइवेट व्यापारियों ने 29 रुपये 50 पैसे मूल्य रखा और हमारा मूल्य 49 रुपये 50 पैसे है। मैं सदन को और ब्योरे देकर परेशान नहीं करना चाहता।

श्री ओ० वी० अलगेशन : दोनों कितनी देर तक चलते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक उनके चलने का संबंध है दोनों की अवधि में इतना अधिक अन्तर नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट व्यापारियों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले लैम्प 5 साल चलते हैं और सरकारी वर्कशाप वाले 25 साल तक साथ देते हैं। हमें आरकोणम कारखाने में बनने वाली अन्य आधारभूत वस्तुओं की ओर भी ध्यान देना है जिनके लिए यह वर्कशाप बनाई गई है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी हालत में इस उत्पादन एकक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा अपितु इसे और शक्तिशाली बनाया जाएगा ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभा में यह आश्वासन दिया कि वे इस कारखाने को कोई हानि नहीं होने देंगे। पर अन्य बातों में वह टालते ही रहे कि इसे काटों और पार, पुलों के गर्डर; संरचनाओं आदि तैयार करने में लगाया जायेगा। मेरी शिकायत यह है कि इन चीजों के लिए भी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता । बहुत सी क्षमता तथा श्रमिक बेकार रहते हैं । दूसरे पुरानी मशीनों को बिल्कुल नहीं बदला गया है। पूर्व प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया कि मशीनें बदलने पर 63 लाख रु० लागत आयेगी और हमें केवल 11 लाख कुछ सौ रुपये व्यय करने हैं। इन मशीनों को शीघ्र बदला जाये। रेलवे बोर्ड को चाहिए कि इन मशीनों के निर्माण हेतु कारखाने को आर्डर दे। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में आश्वासन दें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सदस्य महोदय को आश्वस्त कर दूं कि कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग काटों और पार, पुलों के गर्डर, संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा रहा है। यह बात ठीक है कि मशीनों को पूरी तरह बदलने के लिए 63 लाख रुपये की जरूरत है। हम आवश्यक उपबंध कर रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि धन के अभाव में मशीनों को बदलने का कार्य रुकेगा नहीं। मैं यह भी आश्वासन दे दूं कि आर्कोणम कर्मशाला की निर्धारित क्षमता का पूरा उपयोग उपलब्ध साधनों के अनुसार किया जायेगा।

श्री एम कल्याणसुन्दरम : मुझे खुशी है कि रेल मंत्री ने क्षमता के पूरे उपयोग का आश्वासन दे दिया है। हस्त संकेत बत्ती के सम्बन्ध में उन्होंने ऐसा दिखाया है कि बाजार से खरीदने पर यह संकेत बत्ती सस्ती पड़ती है और आर्कोणम कार्मशाला में इसे तैयार करने पर दुगुना खर्च होता है। क्या उन्हें पता है कि ऐसी बत्तियां गैर-सरकारी क्षेत्र में या वाणिज्यिक आधार पर नहीं बनतीं जब श्री अलगेशन और मैं कर्मशाला में गये तो श्रमिकों ने हमें यह बात बतायी थी। कई लोग रेलवे से खराब बत्तियां खरीद लेते हैं और उन्हें ठीक करके पुनः रेलवे को बेच देते हैं। इसीलिए वे 50 प्रतिशत सस्ती पड़ती है और अगले ही वर्ष उन्हें पुनः मरम्मत के लिए भेजना पड़ता है। क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि ये बत्तियां आर्कोणम कारखाने में बनायी जायें ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हम निश्चित रूप से जांच करेंगे। यदि सदस्य महोदय का कथन ठीक है तो इस मामले की मैं जांच करूंगा। जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है मैं पुनः बता दूं कि हम रेल पटरियों के अनुरक्षण के मामले में पटरियों, प्वाइंट संरचनाओं के निर्माण की प्राथमिकताओं देना चाहते हैं। अतः संकेत हस्त बत्तियों के निर्माण के मामले में मैं आश्वासन अभी नहीं दे सकता। नयी कर्मशाला में हम उस पर ध्यान देंगे।

Dr. Ramji Singh : Whether it is not true that lamps manufactured by the Railways cost Rs. 70 per lamp but they last upto 25 years ? Is it not profitable. There is need for modernisation of all workshops. Same are the conditions in Jamalpur Railway Workshop. Rolling stock has not been modernised there. Things are in short supply. I am afraid there are certain people in Railways who want to help private enterprises. Will he enquire into the state of affairs in Arkonam and Jamalpur Railway Workshops ?

Prof. Madhu Dandawate : We will certainly consider this suggestion for action.

मुगलसराय में नया रेलवे डिवीजन

*192. **श्रीमति पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे पर मुगलसराय में एक नया रेलवे डिवीजन बनाया है ;

(ख) क्या उक्त नये डिवीजन के लिये दानापुर डिवीजन से चार सौ कर्मचारियों को भेजने का निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारी दानापुर से मुगलसराय नहीं जाना चाहते;

(घ) क्या उन्हें इस बारे में एक भूतपूर्व संसद् सदस्य तथा बिहार विधान सभा के विपक्ष के नेता की ओर से कोई सुझाव पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a), (b) & (d) : Yes Sir.

(c) Only about 40 employees have carried out transfer so far. Representations have been received from the others against transfer and asking for various facilities.

(e) Shri Ram Lakhan Singh Yadav had forwarded a resolution passed at a meeting of the staff. A copy of the resolution is laid on the table of the Sabha.

The matter is under consideration.

Since the announcement of Creation of Mughalsarai Division by surrendering some portion of existing Danapur and Dhanbad Divisions and by adding some area of Howrah Division to Danapur Division, there has been much fuss and mental exercise on the part of the administration and the staff as well. In the recent past, Policies have been made one after another to transfer staff from Danapur on an obligatory basis and the staff in general have been ventilating their grievances this way or that way, but without any resultant appreciable improvement on the issue. As such, in a bid to arrive at a common acceptable formula taking the interest of the majority in view, this mass meeting of ministerial staff of Danapur Division held on 10-8-1977 during recess hour at the gate of D.S./Danapur Office Building solemnly put up this resolution for consideration and being passed by staff attending the meeting.

On the issue of transfer of staff to Mughalsarai Division and formation of strength to the said Division, the following measures are being put up for consideration through the negotiating machinery i.e. E.R.M.U. and E.R.M.C. by the Administration in the larger interest of the staff and administration both.

1. That, before a cut in the present strength of Danapur Division is made, an overall assessment of strength on the basis of the proposed area of Danapur Division which will stand after the creation of Mughalsarai Division (taking part of Danapur as well as Dhanbad Division and attaching some portion to Danapur Division) may please be made in advance.

2. That, it is a fact that some vacancies have already been existing in Danapur Division on the basis of the old yard stick and the matter is already under reference with the Rly. Board. Moreover, the present work load has immensely increased since the last job analysis was done. In the circumstances, a final job analysis should be initiated and latest position of vacancies be taken out.

3. That, an open option should be invited from all over the Indian Railways for coming over to Mughalsarai Division.

4. That, option from the staff of the affected Divisions (Howrah, Dhanbad and Danapur) should also be invited by granting incentive of 3 additional increments.

5. That, the post of officers should not be created by matching surrender at all at the cost of Class III and Class IV staff. The posts of officers increased by matching surrender, should be withdrawn.

6. That, the foregoing points are the vital guidelines, we propose for assesment of strength to be made before hand so as to arrive at the actual number of staff required for Danapur Division (New).

7. That, if at all the present strength of the existing Danapur Division exceeds the so computed strength, the excess over that may be surrendered on the basis of juniority in terms of CPO/CCC's Sl.No.6469 (Bd's letter No.E (NG)66TR2/20, dated 27th July, 1966 to the GMs, All Indian Rlys. & others).

8. That, lastly without being critical to the local administration as a whole we have to condemn the activities of vested interests in destorting the provisions decided by the higher authorities, so as to be crystal clear on the point, we have no option but to mention that local administration has been in a haste to draft names and spare staff for Mughalsarai without honouring the criteria for transfer i.e. the junior most of the category should go. Once again they have dropped the staff of schools and subordinate offices outside the D.S. building within the Division. However, we do not confine our issue to this treatment of the local authority but we have simply cited this to focus their attitude.

9. That, so far the issue relates to the Accounts staff of Danapur Division, the junior most in the category as decided by CPO may be rigidly followed. The seniority of the Accounts staff is maintained on Zonal basis and the junior most staff may possibly be working somewhere else other than at Danapur. Hence the juniority at Danapur may not be the guiding principle in regard to the Accounts staff.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्री जी ने कहा है कि संकल्प को आगे प्रेषित कर दिया गया है। क्या यह तथ्य नहीं कि जब मंत्री जी वहां गये तो एक शिष्टमंडल ने उनसे भेंट करके एक ज्ञापन दिया था और मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मामले की जांच करके वह सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे ? अब वह कहते हैं कि संकल्प की जांच हो रही है। इतना विलम्ब क्यों ? वह दो महीने पहले शिष्टमंडल से मिले थे। फिर समस्या के निपटान में देर क्यों हो रही है ?

Shri Sheo Narain : I had assured the workers and have written to leaders of the union also. I faced two thousand people and told them that those who wanted could go to Mughalsarai.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मैंने असाधारण विलम्ब का कारण पूछा है ? संकल्प में तीन बातें हैं। एक यह है कि पुरानी कसौटी के आधार पर दानापुर डिवीजन में कुछ स्थान रिक्त है उन्हें भरा जाना चाहिए । दूसरे मुगलसराय डिवीजन में आने के लिए सभी भारतीय रेलों के विभागों से पूछा जाये। तीसरे यह कि तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों को समाप्त करके अधिकारियों के पदों का निर्माण न किया जाये। 28 सितम्बर को महाप्रबन्धक ने शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों से बात करके इन प्रश्नों को सुलझाया था। वे उनसे सहमत हुए थे। लेकिन आज उन्हीं को विचाराधीन कहा जा रहा है। बिना कारण देर हो रही है और रेल कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि महाप्रबन्धक के आश्वासनों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा ?

Shri Sheo Narain : I have already told you that we had a cordial talk with representatives of the union. I assured them even without consulting my Railway Minister that they will not be transferred under compulsion. I have also consulted the General Manager and I am again going to Mughalsarai on the 3rd instant.

Shri Chandradeo Prasad Verma : Whether he is aware that the former Railway Minister took an improper decision to bring Gaya, which is very near to Danapur, under Mughalsarai Division as a result of which the people there are going to suffer heavily.

Shri Sheo Narain : I require notice for that.

Free Railway Passes

‡*.194. **Shri Nawab Singh Chauhan :**
Shri Ugrasen :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2597 on 5th July, 1977 regarding free railway passes to common people during emergency period and state :

(a) the number of persons who have at present free railway passes issued by the Railway Ministry;

(b) the criteria adopted in issuing complementary card passes and the policy adopted by the new Government in this regard; and

(c) whether Government propose to discontinue issuing such free passes ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) : 87 (76 first class & 11 second class).

(b) : The board guidelines now decided for the issue of complementary passes are as follows :

(1) Institutions and Organisations devoted to social cultural, scientific, literary, sports and educational activities and whose work is of an all India character.

(2) Organisations devoted to the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward and neglected sections, women, blind and handicapped persons, etc.

(3) Eminent persons engaged in work of national importance for which they are required to undertake frequent journeys.

(c) : No Sir.

Shri Ugrasen : The hon. Minister has stated certain guidelines on the basis of which passes were issued but has he received this complaint that former Railway Minister of the previous Government had issued passes certain smugglers and undesirable elements also which are still valid ?

May I know if he has received applications from persons running labour unions or social organisations for free passes ?

Will the Railway minister immediately issue orders in this connection so that these people may be benefited immediately to serve the country and the society.

Prof. Madhu Dandavate : Sir, we have prepared certain new norms for issuing passes. The wrong passes issued earlier have been cancelled as they were not in consistent with these norms. I may tell the hon. Member that 326 passes (276 first class and 50 Second class) had been issued before this Government came into power and we have issued 87 (77 first class and 11 Second class) passes on the basis of new norms.

I had taken up this matter with the Prime Minister and he stated that if once we start issuing passes to office-bearers of unions then many difficulties will have to be faced. There are many thousand unions and all the persons connected with will try to have free passes and we will not be able to achieve over objective of one union in one industry. So we don't want to give this facility to the unions.

Shri Ugrasen : The hon. Minister is right to some extent that more and more unions will come into existence but even now we find that new unions are being formed. I also favour one union in one industry. But does we propose to issue passes only 15 National federations like All India Fertilizer workers Federation and the Postal employees federation etc.

Prof. Madhu Dandawate : There are thousands of unions and if passes are issued to them people will complaint of non-availability of seats.

श्री यशवंत राव चव्हाण : इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य है कि राजनीतिक आधार पर उन लोगों को भी पास नहीं दिया जा रहा जो वैध रूप से उसके हकदार हैं। मेरे पास ऐसे मामले हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्पष्ट कर दूं कि पास जारी करने में भेदभाव नहीं बरता जाता। यदि विपक्ष दल के नेता कोई ऐसा मामला बता दें जिसमें जरा सा भी भेदभाव किया गया हो तो मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री यशवंत राव चव्हाण : उन्होंने नकारात्मक उत्तर ही दिया है कोई ठोस बात नहीं की।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि नकारात्मक उत्तर उन्हें पसन्द नहीं तो मैं उनसे चर्चा के लिए तैयार हूं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं निश्चित रूप से ऐसा चाहता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अमृतसर दादर एक्सप्रेस के डिब्बों का पटरी से उतर जाना

*185. **श्री भगत राम**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर-दादर एक्सप्रेस का इंजन और पांच डिब्बे 22 अक्तूबर, 1977 को मध्य रेलवे के इगतपुरी-कल्याण सेक्शन के कसारा स्टेशन पर पटरी से उतर गये थे, और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) हां।

(ख) इस दुर्घटना में 7 व्यक्ति घायल हुए थे।

कच्चे तेल का पता लगाने में रूमानिया से सहायता

*189. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) भारत में कच्चे तेल के भण्डारों का पता लगाने में रूमानिया से मांगी गई सहायता की शर्तें क्या हैं ;

(ख) इस प्रकार का कार्य सफलतापूर्वक कर सकने के प्रमाण में सहायता करने वाली कम्पनी के पास क्या अनुभव है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने पहले भी बहुत से सर्वेक्षण कराये थे तथा प्रतिवेदन प्राप्त किये थे; और

(घ) इस बार का सर्वेक्षण पहले प्रयास की तुलना में किस रूप में भिन्न होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) हिमालय तलछटी बेसिन के सम्बन्ध में ओ एन जी सी द्वारा पहले से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या और मूल्यांकन करने के लिए रूमानिया से दो भूवैज्ञानिकों और एक भूभौतिकवेत्ता के दल की प्रतिनियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया गया है। रूमानी विशेषज्ञों का इस प्रकार का सहयोग उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हिमालय तलछटी बेसिन भू-गर्भी रूप से रूमानिया के कार्पेथियन पर्वतों के समान है जहां पर पैट्रोलियम वाणिज्यिक रूप से पाया गया है।

विगत में भी, ओ एन जी सी ने भारत के विभिन्न तलछटी बेसिनों में उपलब्ध पैट्रोलियम की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विदेशी परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया है। प्रत्येक मामले में, अन्वेषी योजनाओं को तैयार करने के लिए इस प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उनका प्रयोग किया गया।

रूमानिया से सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी वर्तमान प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर है। इसकी शर्तें अभी तैयार की जानी हैं।

बालामन-कानपुर यात्री गाड़ी के यात्रियों को गोली मारा जाना

*190. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 अक्तूबर, 1977 को बालामन-कानपुर यात्री गाड़ी में सफर कर रहे दो यात्रियों की मुरादाबाद और बालामन रेलवे स्टेशनों के बीच गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां । 29-10-77 को आपसी झगड़े में, उत्तर रेलवे पर मेथी टिकर हाल्ट और सफीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच (मुरदाबाद और बालामऊ के बीच नहीं), 4 अप बालामऊ-कानपुर सवारी गाड़ी में दो यात्रियों को गोली मार दी गयी थी।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस उन्नाव ने, जिसने कि यह केस दर्ज किया था, 3 आदमी गिरफ्तार कर लिये हैं और बकाया अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

न्यायधीशों के लिये आचार संहिता

*193. **श्री यशवन्त बोरोले**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में न्यायाधीशों के लिए कोई आचार संहिता बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में यदि कोई प्रगति हुई है तो कितनी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) सरकार का देश के न्यायाधीशों के लिए कोई आचार संहिता बनाने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Closure of Gayday Iron & Steel Company

*195 **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the Gayday Iron & Steel Company Limited Hirodih (Kodarma), Bihar, has been closed in the name of lay off;

(b) Whether an inquiry made by the Union Industry Department and the Government of Bihar has revealed that the Board of Directors of the Company has misappropriated a sum of Rs. 182 lakhs and the employees the victims of lay off have not been paid any compensation or any portion of their pay due since July 1976 and that the management has taken undue advantage by selling finished goods worth several lakhs of rupees;

(c) Whether the management of the Company is totally mismanaged and corrupt and whether 86 per cent of the capital of the Company belongs to the Industrial Development Bank of India, Bombay and whether the same is sinking; and

(d) If the replies to parts (a) to (c) above be in the affirmative, whether Government propose to afford protection to the workers after reconstituting the Board of Directors of this Company under Section 408 of the Companies, Act, 1956 in the interest of the nation, industry and labour ?

The Minister of Law, Justice & Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Lay off was declared in the works of the company at Hirodih, Bihar with effect from 26th July, 1976.

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) A statement is laid on the table of the House.

(d) In view of the answers to part (b) and (c) above the question of taking action under Section 408 of the Companies Act, 1956 is not under consideration at this stage.

Statement

(b) This Department has no information in regard to any inquiry made by the Government of Bihar. No formal investigation has been conducted by the Ministry of Industry into the affairs of the Company under the Industries (Development and Regulation) Act. However, an inspection of the books of accounts of the Company under section 209 A of the Companies Act, 1956, revealed that the accumulated losses of the Company as on 30th June 1975 amounted to Rs. 181.42 lakhs.

Statement

(c) No complaints of mismanagement or corruption against the management of the company have been received by the department. According to the annual return of the Company up to 18th December, 1976, the Industrial Development Bank of India held 4,38,634 equity shares which was about 44.3 per cent of the total 9.90.000 equity shares of Rs.10 each of the Company.

बांकुरा और मेझिया कोयला क्षेत्र के बीच नई रेलवे लाईन

*196. **डा० विजय मंडल** : क्या **रेल** मंत्री बांकुरा से मेझिया तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में 12 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 433 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बांकुरा और मेझिया कोयला क्षेत्र के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य और प्राक्कलन तैयार करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या अब उपरोक्त लाइन का निर्माण करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) बांकुरा और मेझिया के बीच प्रस्तावित रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण तथा इस परियोना के अनुमान की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्टों के उपलब्ध हो जाने के बाद इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

नई रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

*197. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष कुछ नई रेलगाड़ियां चलाने का है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन जोनों में ये नई रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं,

(ग) क्या उक्त रेलगाड़ियों में डीजल इंजन लगाये जा रहे हैं, और

(घ) क्या इन रेल गाड़ियों में कोई नई सुविधाएं दी जा रही हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) 1977-78 में उत्तर रेलवे पर दिल्ली और फिरोजपुर के बीच दिन के समय में एक गाड़ी चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सप्ताह में दो बार चलने वाली 59/60 हवड़ा-बम्बई बी०टी० गीतांजलि एक्सप्रेस, जिसके दूसरे दर्जे में गद्देदार शायिकाओं की व्यवस्था है, को सप्ताह में तीन दिन चलाने

के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। इस वर्ष किसी भी गाड़ी के डीजलीकरण का प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों की शेष समस्याएं

*198. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कर्मचारियों की शेष समस्याओं को हल करने के लिए रेलवे की यूनियनों के नेताओं से अंतिम बार बातचीत की थी,

(ख) यदि हां, तो क्या नवम्बर में हुई बातचीत में कोई अन्तिम समझौता नहीं हो सका,

(ग) इन कर्मचारियों की मांगों की मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) उनको अंतिम रूप से निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) संसद में रेल मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया जायेगा। उसी के अनुपालन में रेलों पर उपयुक्त औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण विकसित करने की दिशा में कौन-कौन ठोस उपाय किये जा सकते हैं? इस बात की छानबीन करने के लिए दोनों मान्यताप्राप्त फ़ेडरेशनों अर्थात् आल इंडिया रेलवेमैन्स फ़ैडरेशन और नेशनल फ़ैडरेशन आफ़ इंडियन रेलवेमैन तथा रेल श्रमिकों से सम्बन्धित कुछ संसद सदस्यों तथा उनका साथ देने वाले ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया गया ।

विचार-विमर्श के दौरान उठाये गये और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया नीचे बताये गयी है :--

मुद्दे	टिप्पणी
(1)	(2)
1. मई 1974 की हड़ताल से सम्बन्धित मामले :-- (i) हड़ताल की अवधि के लिए वेतन का भुगतान; (ii) दण्ड का पूरी तरह रद्द किया जाना (1-4-1977 से को बजाए) ; (iii) निलम्बित रहने की अवधि तथा बर्खास्तगी/सेवा से हटाये जाने और फ़िर से बहाल किये जाने के बीच की अवधि के पूरे वेतन तथा भत्तों का भुगतान; (iv) नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों (जिन्हें हड़ताल के सम्बन्ध में हटा दिया गया था) को फ़िर से बहाल किया जाये; और	जहां तक सेवा भंग का सम्बन्ध है इससे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और इस प्रश्न पर कि इस अवधि को क्या माना जाये तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जायें। इन बातों के सम्बन्ध में और आगे विचार किया जा रहा है।

(1)	(2)
(v) जिन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं मिली उनका वेतन बढ़ाकर अथवा जिन वफ़ादार कर्मचारियों को पहले ही वेतन वृद्धि दी जा चुकी है उसे वापस लेकर मई 1974 को हड़ताल के सम्बन्ध में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि को स्वीकृति के कारण उत्पन्न असमानता को दूर किया जाये ।	
2. अन्य यूनियनों को जो स्थापना संहिता में दी गयी मान्यता की शर्तों को पूरा करती हैं, मान्यता प्रदान की जाये, इसी प्रकार रेलवे यूनियनों के अन्य संघों को भी मान्यता दी जानी चाहिए। किन्हीं कारणों से यदि यूनियनों तथा फ़ेडरेशनों को मान्यता देने में विलम्ब हो तो गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों/फ़ेडरेशनों को वार्ता का कोई अस्थायी माध्यम उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।	मई 1977 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के अनुसार यूनियनों को मान्यता दिये जाने के सामान्य मानदंडों तथा एक उद्योग में एक यूनियन की स्थापना के बारे में सिफ़ारिशें करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही रेलों में ट्रेड यूनियनों के एकीकरण को सरल बनाने के लिए कार्रवाई की जायेगी। इस बीच यूनियनों को मान्यता दिये जाने की वर्तमान पद्धति का अनुपालन किया जा रहा है।
3. महंगाई भत्ते की छठी किश्त, जो 1-5-75 से 1-5-76 तक देय हो गयी थी, दी जाये/महंगाई भत्ते के फार्मूले को इस प्रकार संशोधित किया जाये कि प्रत्येक 6 महीने के बाद अथवा मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 4 प्वाइंट की वृद्धि होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की जायें ।	जो आम मुद्दे उठाये गये हैं, उन पर अकेले रेल मंत्रालय कोई विचार नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसे व्यापक मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए निर्णय लेना होगा । 16-11-77 को सरकार 1-9-77 से महंगाई भत्ते की एक और किश्त देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है ।
4. अनुग्रह के रूप में स्वीकृत 15 करोड़ रुपये का भली प्रकार आबंटन किया जाये ।	समवेत उद्यम समूह, जिसमें मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि पहले से ही हैं, रेलों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की प्राथमिकता के प्रश्न के बारे में विचार करेगा ।
5. रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाये तथा विभिन्न स्तरों पर लिये गये विनिश्चयों में श्रमिकों का अधिक सहयोग लिया जाये ।	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर और अधिक कुशलता एवं बेहतर प्रशासन के लिए रेलवें बार्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और निर्णय की शीघ्र घोषणा कर दी जायेगी।

(1)	(2)
6 रेलों पर नियोजन के लिए रेल कर्मचारियों के बालकों को वरीयता दी जानी चाहिए अथवा उनके लिए कोटा आरक्षित कर दिया जाये ।	इस माँग की संवैधानिक उलझनों की जांच-पड़ताल की जा रही है ।
7. मई, 1974 की हड़ताल के समय माँगपत्र में 6 प्वाइंट शामिल किये गये थे ।	6 प्वाइंट वाले माँगपत्र के बकाया प्रश्नों से सम्बन्धित स्थिति नीचे दी गयी है :--
	(i) **बोनस** : सभी क्षेत्रों में वेतन, आय और मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसका व्यापक अध्ययन कर लेने के बाद ही सरकारी विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।
	(ii) **मंगहाई भत्ता**
	मद 3 की टिप्पणी में इसका उत्तर दिया जा चुका है ।
	(iii) **केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रमों में मिलने वाले वेतनों के साथ समानता**
	इस मद का बहुत कुछ सम्बन्ध वेतन, आय और कीमतों की नीति से है और इस पर सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा गहराई से विचार किया जायेगा ।
	(iv) **नैमित्तिक आधार पर नियुक्तियों को समाप्त करना**
	चूंकि तत्काल पूर्ण रूप से नैमित्तिक आधार पर नियुक्तियों को समाप्त करने की आदर्श स्थिति को प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें समाहित किये जाने आदि के मामले में नैमित्तिक श्रमिकों के असंतोष को कम करने के लिए कार्रवाई की गयी है और की जा रही है ।

(1)	(2)
	(v) **आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की सप्लाई** चूंकि सरकार को सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में सम्मिलित रूप से निर्णय लेना है इसलिए अकेले रेल मंत्रालय द्वारा उठाये गये मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता। (vi) **रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक माना जाये** रेल कर्मचारी पहले से ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि, सेवाओं की शर्तों के अनुसार पारम्परिक रूप से उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता हैं चूंकि मूल रूप से रेलों की प्रकृति जनता की सेवा है तथा अपने सामाजिक एवं सामरिक महत्व के कारण सरकार द्वारा सीधे चलायो जातो हैं।

भूतपूर्व ग्वालियर राज्य द्वारा इंडियन रेलवे को सौंपी गई रेल लाइनों की लम्बाई

*199. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के भारत संघ में विलय के समय भूतपूर्व ग्वालियर राज्य ने भारतीय रेलवे की कौन-कौन सी रेल लाइनें सौंपी थीं और उनकी लम्बाई क्या थी ;

(ख) रियासतों के विलय के बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए इन रेल लाइनों में, नई रेल लाइनें बिछाकर या/और इन लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलकर किये गये सुधा का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या इस भूतपूर्व रिसायत को रेल लाइनों के अन्दर आने वाले क्षेत्र—शिवपुरी, भिंड और मुरेना जिले—की भारतीय रेलवे द्वारा उपेक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) संघीय वित्तीय एकीकरण के परिणामस्वरूप छोटे आमान की (0.610 मीटर) रेलवे लाइन जिस पर सिन्धया स्टेट रेलवे का स्वामित्व था और जिसका कार्य संचालन ग्वालियर दरबार द्वारा

किया जाता था, को 1 अप्रैल, 1950 से भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था । बाद में, 5 नवम्बर, 1951 को इस रेलवे को मध्य रेलवे में मिला दिया गया था । इन खंडों का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

1. ग्वालियर-शिवपुरी लाइन	119.81 कि०मी०
2. ग्वालियर-भिण्ड लाइन .	83.57 कि०मी०
3. ग्वालियर-श्योपुर कलां लाइन .	196.21 कि०मी०
4. उज्जैन-अगर लाइन	67.14 कि०मी०
उपनगरीय	
5. गोलाकार मन्दिर से मुरार .	2.65 कि०मी०
6. ग्वालियर-काम्पू कोठी .	4.36 कि०मी०
	कुल 473.74 कि०मी०

(ख) बीना-कोटा खंड के गुना और भोपाल-उज्जैन नागदा खण्ड के मकसी स्टेशनों को मिलाती हुई बड़े आमान की 193.48 कि०मी० लम्बी एक नयी लाइन का निर्माण किया गया है और उसे 16-4-1977 से यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

दैनिक उपयोग की औषधियों का गायब होना

200. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दैनिक उपयोग की औषधियां आम आदमी को उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि आम उपभोग की कुछ औषधियां जैसे एस्प्रो, अनासीन, नोवलजीन आदि बाजार से गायब हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) देश के कुछ भागों में कभी-कभी दवाइयों के कुछ ब्राण्डों की कमी हो जाती है । लेकिन उसी प्रकार की दूसरी दवाईयां अनिवार्य रूप से उपलब्ध होती हैं ।

देश में औषधों की उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ रही है । 1975-76 में 550 करोड़ रुपये के मूल्य के सूत्रयोगों की तुलना में 1976-77 के दौरान 700 करोड़ रुपये के सूत्रयोग उपलब्ध थे । रसायन और उर्वरक मंत्रालय विभिन्न अनिवार्य औषधों के उत्पादन आंकड़ों की देख रेख करता है । 1977-78 के दौरान इन औषधों की उपलब्धता में और वृद्धि होने की आशा है । औषधों की उपलब्धता में और वृद्धि करने के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विकास को आयोजित ढंग से प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

Cost of Korba Fertilizer Plant

*201. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Dr. Vasant Kumar Pandit :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total cost of the Korba Fertilizer Plant and the period within which it was scheduled to be completed;

(b) the expenditure incurred so far thereon and the expenditure proposed to be incurred on this account in 1977-78; and

(c) the progress made so far and the time by which the plant is likely to be completed and if the completion of the plant is being delayed, the reasons therefor ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) to (c) The Korba Fertilizer Project was approved for implementation at a cost of Rs. 118.25 crores in June, 1974 and was scheduled to be completed in 1978. Some preliminary civil construction works were completed and orders for long delivery items of equipment were also placed. However, the implementation of the project was slowed down, following the decision that the further implementation of the project as well as setting up additional capacity, based on coal as feedstock, should be considered only after experience is available of the operation of the two coal based plants under implementation at Talcher and Ramagundam. The expenditure incurred on the project upto October, 1977 is Rs. 19.13 crores. The amount proposed to be spent during 1977-78 is Rs. 3 crores.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में एन्टीबायोटिक्स औषधियों के उत्पादन में वृद्धि

*202. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली से 1.4 करोड़ रुपये की लागत के अधिक उत्पादन वाले 'स्ट्रैन्स', जानकारी तथा विशेषता आरंभ किये जाने से इंडियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में एन्टीबायोटिक औषधियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दवाओं के मूल्य कम किये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । अधिक उत्पादन वाले स्ट्रेनों और अच्छी प्रोद्यौगिकी को लागू करने से आई० डी० पी० एल० के ऋषिकेश संयंत्र में एन्टीबायोटिक्स का पर्याप्त रूप से उत्पादन बढ़ जाने की संभावना है ।

(ख) और (ग) उत्पादन और उत्पादिकता के क्षेत्र में विभिन्न उपाय अपनाने से मूल्यों में कटौती करने के प्रश्न पर आखिर में पुनरीक्षण करना पड़ेगा । इस प्रकार की कार्रवाही करने के लिए कच्चे माल की लागत, मजदूरी और अन्य निवेश की लागत जैसे पहलुओं पर भी विचार करना पड़ेगा । इस मामले में अन्तिम रूप में कार्यवाही करने में कुछ समय और लगेगा ।

Transfer of Railway Employees during Academic Session

†1733. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway Board has formulated such a Rule in regard to the transfer of its employees that no employee is to be transferred during the academic session unless there is a complaint against the employee from people, Vigilance Department and C.I.D.;

(b) whether in violation of the above rule the concerned offices in Northern Railway made certain transfers during one year from Bakkas to Lalganj (in July, 1977) and Lalganj to Unnao (in September, 1977) and in North Eastern Railway from Mathura to Sikandara Rau and from Sikandara Rau to Kasganj; and

(c) if so, the action being taken by Government against such officers ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Instructions exist that generally staff should not be transferred unless there are serious complaints against them from the public. Instructions also exist that as far as possible staff should not be transferred during mid sessions (of schools and colleges) and if in exceptional cases they become necessary such transfers should be decided upon at a very high level. However, in the administrative interests if some transfers are unavoidable, these have to be effected.

(b) On the Northern Railway only one such transfer has taken place. One Shri R.P. Gupta, Asstt. Station Master, who was working at Bakkas was posted to Lalganj at his own request. It was subsequently noticed that one Shri S.K. Tiwari, Asstt. Station Master, Unnao, had registered for transfer to Lalganj earlier than Shri R.P. Gupta. The former was therefore, transferred to Lalganj and the latter to Unnao.

On the North Eastern Railway no transfer orders have been issued for transfer of staff from Mathura to Sikandara Rau and from Sikandara Rau to Kasganj, during the present academic session.

(c) Does not arise in view of the reply to parts (a) and (b) of the Question.

Legislation of Trusteeship

1734. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Janta Government propose to put into practice the trusteeship principle as promised in the election manifesto of the party;

(b) whether Government are aware that the Industrial Common Ownership Act, 1976 has been passed in the British Parliament and Dr. Ram Manohar Lohia and Shri George Fernandes had introduced Bills on trusteeship in the Indian Parliament; and

(c) whether Government would bring forward such a Bill after studying these bills at an early date ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) to (c) The Government have received a notice of the intention of the Hon'ble Member to move for leave of the House to introduce the "Janta Trusteeship Bill, 1977" in Lok Sabha and seeking President's recommendations thereto. The Government will examine the provisions of the said Bill in the light of the Industrial Common Ownership Act, 1976 of the U.K. and the Bills sought to be introduced by Late Dr. Ram Manohar Lohia and introduced by Shri George Fernandes in the Third and Fourth Lok Sabha respectively. Its stand thereon will be made known at the appropriate time.

मिराज वास्को मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलना

1735. **श्री अमृत कासर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज-वास्को मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर मांग की जा रही है ; और

(ख) इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। मिराज-लोंडा, हास्पेट-मार्मुगाओं और अलनावेर-डांडेली मीटर आमान वाले खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन खण्डों का आमान परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है ; इस परियोजना खण्ड पर होने वाले यातायात की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि फ़िलहाल इस परियोजना को शुरू न किया जाय।

ओलावाकोट-त्रिवेन्द्रम सैक्शन का विद्युतीकरण

1736. **श्री वयालार रवि :**
श्री के०ए० राजन :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे के ओलावाकोट-त्रिवेन्द्रम सैक्शन के विद्युतीकरण के बारे में किये गये लागत-एवं-सम्भाव्यता सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सामान्य औद्योगिक दर अपेक्षा सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने, जैसा कि केरल सरकार ने पहले कहा था, के बारे में केरल सरकार से पक्का आश्वासन न मिलने के कारण सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Take over of ferry service between Barari Ghat and Narainpur

†1737. Shri Gyaneshwar Prasad Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the ferry service being run by the North Eastern Railway between Barari Ghat and Narainpur Ghat has to face competition from private owners of such ferry service and has to face certain other difficulties; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by the Railway administration to remedy the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The Railway ferry service between Narainpur and Barari is facing no other difficulty except competition from the private ferry operators licensed by the Bihar State Government. In fact, the Railway Administration is sustaining considerable loss in working this ferry service.

(b) Railways are permitted to carry only through passengers to or from Railway Stations. Ghat to Ghat booking is not permitted by the State Government and as such the service is not viable.

हिमाचल प्रदेश में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स का एकक

1738. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) आई० डी० पी० एल० द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक संयुक्त क्षेत्रीय एकक की स्थापना के प्रस्ताव की जांच की जा रही है । सक्रिय संघटकों के निष्कासन के लिए तथा, अगर आवश्यक हो, तो उनकी उपयुक्त औषध में परिवर्तित करने के लिए औषध संबंधी संयत्रों पर आधारित एकक की स्थापना का प्रस्ताव हैं । हिमाचल प्रदेश सरकार से संयंत्रों की उपलब्धता के आंकड़े, इन संयंत्रों से औषधों के निष्कासन का वर्तमान स्तर उनके निर्यात आदि की संभावनाएं आई० डी० पी० एल० द्वारा प्राप्त की गई हैं तथा आई० डी० पी० एल० द्वारा तकनीकी आर्थिक संभाव्यता का कार्य एवं मांग सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

आई०टी० सी० द्वारा नई आरम्भ की गई कम्पनियां

1739. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० टी० सी० लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा, जिसके श्री ए० एन० हक्सर चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और निदेशक हैं, अपने विविधकरण के भाग के रूप में आरम्भ की गई उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, उनकी प्राधिकृत, अभिदत्त और जारी पूंजी कितनी है ; जिनके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और निदेशक श्री ए० एन० हक्सर हैं ;

(ख) इन प्रत्येक कम्पनियों में उनके पारिश्रमिक और भत्ते की राशि क्या-क्या हैं ; और

(ग) क्या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में एक व्यक्ति के अनेक कम्पनियों में निदेशक होने की कोई सीमा है ; यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) आई० टी० सी० लिमिटेड ने मैसर्स भद्राचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड का प्रवर्तन किया है और श्री ए० एन० हक्सर उक्त कम्पनी के निदेशक हैं।

मैसर्स भद्राचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी 14 करोड़ रु० है । कम्पनी की जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 31-3-1977 (सार्वजनिक निर्गम से पूर्व) तक 300 रुपये थी । कम्पनी सार्वजनिक निर्गम के लिए गई है ।

(ख) मैसर्स भद्राचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड के निदेशक, कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 100 के अनुसार उनके द्वारा उपस्थ 250 रु० प्रति बैठक से अधिक नहीं, के बैठक शुल्क लेने के अधिकारी हैं । इस विभाग ने मैसर्स भद्राचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड से श्री ए० एन० हक्सर को कोई अन्य पारिश्रमिक की अदायगी का अनुमोदन नहीं किया है ।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 और 278 के उपबन्धों की शर्तों में कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 20 से अधिक कम्पनियों में निदेशक का पद धारण नहीं कर सकता है । एक निजी कम्पनी जो ना तो सहायक है और ना धारक कम्पनी है, को पूर्वोक्त सीमा की गणना से छोड़ दिया जाएगा।

तंजानिया में तेल की खोज

1740. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजानिया में तेल की खोज के मामले में सहायता देने के लिये भारत सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या तंजानिया सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में कुछ मशीनरी देने की माँग की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) तन्जानिया में तेल के अन्वेषण कार्य में भावी सहयोग पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा तन्जानिया पैट्रोलियम विकास निगम (टी० पी० डी० सी०) द्वारा अक्तूबर, 1977 में एक पारस्परिक सूझबूझ के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । इस पारस्परिक सूझबूझ के ज्ञापन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा टी०

पी० डी० सी० के साथ रिग को बाद में खरीद के विकल्प और टी० पी० डी० सी० के कार्मिकों को कुछ प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित भूकम्पीय सर्वेक्षण आयोजित करने, गहरे कुएं खोदने में सहयोग/सहायता करने की व्यवस्था है ।

तालचेर-सम्भलपुर रेल सम्पर्क

1741. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर-टर्मिनस और सम्भलपुर टर्मिनस के बीच एक नया रेल सम्पर्क दक्षिणपूर्व रेलवे बनाने के लिये सर्वेक्षण करने हेतु कोई उपबन्ध किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) उक्त प्रस्तावित रेलवे लाईन की लम्बाई क्या है ; और

(घ) निर्माण कार्य जब भी किया जायेगा उस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हाँ, तालचेर और सम्भलपुर के बीच नये रेल संपर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी तथा यातायात, सर्वेक्षण का काम 1977-78 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है ।

(ख) आशा है कि सर्वेक्षण मार्च 1979 तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) और (घ) प्रस्तावित रेल संपर्क की लम्बाई लगभग 170 कि०मी० होगी और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 38.00 करोड़ रुपये होगी ।

रेलवे स्टेशन पोर्टरज कोआपरेटिव लेबर केन्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद को राजसहायता

1742. **श्री बटेश्वर हेमराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद मंडल के जोन संख्या 1 के अन्तर्गत आने वाले स्टेशनों पर पार्सल हैंन्डलिंग कार्य करने के लिये रेलवे स्टेशन पोर्टरज कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद को अदा की गई राज सहायता किस आधार पर नियत की गई थी ;

(ख) क्या सोसायटी प्रत्येक स्टेशन के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा नियत दैनिक वेतन की दर पर अदायगी करने को बाध्य थी/हैं ;

(ग) प्रत्येक स्टेशन पर अलग-अलग कितने पोटर हैं और इनको किस दर पर अदायगी की जा रही है ;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि सोसायटी ने आगे स्टेशन मास्टरों/पार्सल क्लर्कों को आगे उप ठेका दे रखा था और श्रमिकों को उचित मजदूरी दर पर आदायगी से वंचित रखा जा रहा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र सं० 1 में पार्सलों को चढ़ाने-उतारने के ठेके के लिए जो मासिक एकमुश्त आर्थिक सहायता देय है, वह नैमित्तिक मजदूरी की दर+विश्राम-दाताओं की लागत के रूप में उसके 1/6वें भाग, पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में उसके 12.5% तथा बोनस के रूप में उसके 4% की दर पर प्रत्येक स्टेशन पर अपेक्षित भारिकों की औसत संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ख) सोसाइटी को स्थानीय सिविल प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी दर पर भुगतान करना पड़ता हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

लगाये गये भारिकों की औसत संख्या और भुगतान की दर

स्टेशन	लगाए गए भारिकों की औसत संख्या	प्रतिदिन भुगतान की दर रु०
बालामऊ	11	5.00
हरदोई	9	5.00
शाहजहाँपुर	4	5.00
चन्दौसी	11	5.00
रामपुर	8	5.00
अमरोहा	9	5.00
गजरौला	10	5.00
हापुड़	16	6.00
पिलखुआ	9	6.00
बुलन्दशहर	3	6.00

रेल कर्मचारियों का संकल्प तथा उनकी शिकायतें

1743. **श्री एम० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में 8 मई, 1977 के सुअवसर पर डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति पूर्व रेलवे, धनबाद के आवहान पर रेल कर्मचारियों की आम बैठक में पास किये गये संकल्पों की प्रति प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो रेल कर्मचारियों के संकल्प और शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त हुए कर्मचारी अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है । सभी कोटियों के कर्मचारियों की माँगों पर विचार किया जाता है और स्थायी वार्ता तन्त्र तथा संयुक्त परामर्श तन्त्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से समस्याओं को हल किया जाता है । रेल मंत्री जी ने हाल ही में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श भी किया है ।

विवरण

1. एन० सी० सी० आर० एस० को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए रेल कर्मचारियों के बीच एकता का आवाहन ।

2. सम्पूर्ण क्रान्ति और ऐसे प्रशासन की स्थापना करने का आवहान जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो ।

3. आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी, बोनस, नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना अधिक से अधिक 8 घंटे काम, रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी मानकर ट्रेड यूनियन बनाने का पूरा अधिकार देना और पर्याप्त खाद्यान्न की व्यवस्था करना ।

4. आपात स्थिति के दौरान तथाकथित जोर-जबरदस्ती, ज्यादती और दण्ड के मामलों की जांच ।

5. नैमित्तिक मजदूरों और एवजियों को नियमित करना ।

6. नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों/एवजियों, आदि की बहाली में विलम्ब ।

7. जबरदस्ती सेवा-निवृत्त किये गये जिन कर्मचारियों को पुनः नौकरी में नहीं लिया गया है ।

8. आपात स्थिति के दौरान स्थानान्तरित किये गये कामगारों और यूनियन के पदाधिकारियों का पुनः स्थानान्तरण ।

9. रेलवे कालोनी में सुविधाओं की व्यवस्था ।

10. रेलवे कालोनी में प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम, स्कूलों का प्रबन्ध और रात के समय चलने वाले स्कूलों की स्थापना ।

11. रेल सेवा आयोग के अनुमोदन के बिना श्रेणी-III के पदों में की गयी नियुक्तियों को रद्द करना ।

12. मंडल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद द्वारा आयोजित की गयी बैठक के इश्तहारों को फाड़ना ।

13. 22/23-8-74 को गुरपा स्टेशन पर हुई दुर्घटना ।

14. हजारीबाग रोड में स्वास्थ्य एकक को बन्द करना ।

15. नौकरी से हटाये जाने की तारीख से बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए एवजियों को भुगतान न करना ।

16. आकाश केनारी/धनबाद के 8 मजदूरों की बहाली ।

17. हिन्दी के प्रयोग की अवहेलना ।

शेन्कोट्टाह से 'सरल एक्सप्रेस' गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

1744. **श्री एम अरुणाचलम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष जून से सितम्बर तक के बीच कुरटलम की भीड़ के लिये दक्षिण रेलवे में शेन्कोट्टाह से मद्रास तक के लिये 'सरल एक्सप्रेस' गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस बारे में स्थायी प्रबन्ध होने तक शेन्कोट्टाह स्टेशन पर क्विलोन-मद्रास 106 मेल के साथ तीन अधिक डिब्बे लगाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) मद्रास और शेन्कोट्टाह के बीच 105/106 मद्रास-कोल्लम डाकगाड़ी के साथ तीन खंडीय सवारी डिब्बे अर्थात् एक पहले दर्जे का, एक सामान्य दूसरे दर्जे का और एक दूसरे दर्जे का आंशिक

3-टियर शयन-यान प्रतिदिन चल रहे हैं। कुरटलम सीजन में यातायात की अतिरिक्त भीड़ के परिवहन के लिए संभावित यातायात और परिचालनिक व्यावहारिकता को देखते हुए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने की व्यवस्था की जाएगी।

विभाजन संबंधी डिक्रियों का निष्पादन

1745. **श्री बापू साहेब परुलेकर : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाजन संबंधी डिक्रियों के निष्पादन में असामान्य विलम्ब होने के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या सरकार उक्त विलम्ब को रोकने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों में उपयुक्त परिवर्तन करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्व लेखे निर्धारित भूमियों के विभाजन की डिक्री के भी निष्पादन की अधिकारिता सिविल न्यायालयों को देने का है जिससे कि विभाजन की डिक्रियों के निष्पादन में विलम्ब न हो ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में इस मंत्रालय को विभाजन डिक्रियों के निष्पादन में विलम्ब की बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रेल अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान

1746. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा भत्ता बिलों के दावे, उनकी जांच तथा उनके भुगतान संबंधी नियम क्या हैं;

(ख) क्या यात्रा भत्ता बिलों की वास्तविक भुगतान से पूर्व जांच की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या अदेय पायी गयी राशि का दावा नियमों के अन्तर्गत अपराध माना जाता है और सा होने पर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उन वाणिज्यिक तथा अन्य अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध अप्रैल, 1975 से अगस्त, 1977 के दौरान यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान प्राप्त करने के संबंध में, हालांकि उन्होंने पूर्णतः निजी तौर पर दौरे किये थे, इलाहाबाद डिवीजन में अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी है और/अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा भत्ता बिलों के दावे, उनकी जांच तथा उनके भुगतान सम्बन्धी नियम भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 के अध्याय II और III एवं लेखा विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता भाग 1 के पैरा 415 और 416 में दिये गये हैं। इनके साथ-साथ इस सम्बन्ध में समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक हिदायतें भी जारी की गयी हैं।

(ख) जी हां। भुगतान के लिए पास करने से पहले यात्रा भत्ता जर्नलों की पूर्व जांच की जाती है।

(ग) आन्तरिक जांच के फलस्वरूप गलत दावों को अस्वीकार कर दिया जाता है। गलत दावों को केवल बदनीयती की भावना शामिल होने पर ही अपराध माना जाता है।

(घ) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

बोंगाईगांव पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट में नियुक्तियां

1747. **श्री अहमद हुसेन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) बोंगाईगांव में पेट्रोकैमिकल्स प्रोजेक्ट में कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये गये, (दो) उनमें से कितने 500 रुपये या इससे अधिक के वेतनमान से नियुक्त किये गये, (तीन) उनमें से कितने कर्मचारी आसाम के थे और कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से (अलग-अलग) सम्बद्ध थे;

(ख) क्या यह परियोजना विभिन्न पदों/संवर्गों में भर्ती करते समय आसाम के स्थानीय लोगों, अल्पसंख्यक समुदायों तथा अन्य आरक्षित श्रेणियों को उचित प्रतिनिधित्व दे रही है;

(ग) क्या आरक्षित तथा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक न मिलने के कारण विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के स्थान पर साधारण श्रेणियों के आवेदकों की नियुक्ति की जा रही है; और

(घ) रिक्त स्थानों के लिये पूरे भारत के लिये कितने प्रेस विज्ञापन दिये गये और असम प्रेस में कितने विज्ञापन दिये गये।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

बोंगाईगांव शोधनशाला पेट्रो-रसायन लिमि० द्वारा (3-10-1973 की यथा स्थिति के अनुसार) भर्ती किये गये अधिकारियों की कुल संख्या तीन सौ तीस है। इन भर्ती किये गये उन अधिकारियों की संख्या एक सौ छप्पन है जिनका वेतन 500 रुपये और इससे अधिक है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
500 रुपये से कम वाले वेतनमान में . . .	17	18
50 रुपये और इससे अधिक वेतनमान में . . .	8	4

भर्ती करते समय आरक्षित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है और निम्नलिखित बातों में छूट दी जाती है :

(1) आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है।—

(2) न्यूनतम अर्हताओं के अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के न मिलने के कारण कुछ पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति करके भरा जाता है मार्च, 1974 से 9 नवम्बर, 1977 तक रिक्तियों को अधिसूचित करते हुए समाचार पत्रों में दिये गये

विज्ञापन की संख्या 46 है और इन सभी रिक्तियों को असम के समाचार पत्रों में साथ-साथ विज्ञापित किया गया था।

जहां तक अन्य अल्प संख्यक वर्गों और असम के स्थानीय लोगों से संबंधित व्यक्तियों के अनुपात कि सम्बन्ध है, सरकार को इस प्रकार की सूचना एकत्र करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़ों का एकत्र करना राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है।

उत्तर रेलवे में अनुसूतित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिये गये ठेके

1748. **श्री डो० अमात** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को छोटे-छोटे ठेके दिये गये; और

(ख) अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अनुसूचित जाति के 20 व्यक्तियों को खानपान/वेंडिग ठेके दिये गये हैं।

(ख) अनुसूचित जाति के 35 व्यक्तियों ने ठेके के लिये आवेदन किया था। अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति ने ठेके के लिए आवेदन नहीं किया।

बिहार में रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

1749. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में आरा-सासाराम और फतुहा-इस्लामपुर रेलवे लाईन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स फार्माफिन के साथ सहयोग करार

1750. **श्री आर० के० अमीन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फार्माफिन के साथ सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व आई० डी० पी० एल० ने अपने निदेशक बोर्ड और मंत्रिमंडल से अनुमति ले ली थी,

(ख) यदि नहीं, तो इस भूल तथा अनियमितता के लिये कौन उत्तरदायी है; और

(ग) इस त्रुटि के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)। (क) : इटली के मैसर्स फार्माफिन के साथ 6-12-76 को हुए सहयोग करार को आई डी पी एल के निदेशक मंडल की स्वीकृति 21-3-77 को दी गई थी। तथापि आई डी पी एल के निदेशक मंडल को इस करार पर हो रहे समझौते के बारे में उनकी 29-11-75, 9-1-76, 27-7-76, 22-9-76 और 29-9-76 की बैठकों में अवगत कराया गया था, विदेश निवेश बोर्ड ने सहयोग करार की शर्तों पर अपनी 29 सितम्बर 1976 की बैठक

में विचार किया था और प्रायोजना निवेश बोर्ड की पूर्व स्वीकृति की सिफारिश करते हुए यह बताया था कि सहयोग के लिये प्रस्तावित पैरामिटर उनकी स्वीकृति की आम खूबी है। भारत सरकार के लोक निवेश बोर्ड की स्वीकृति सिद्धांत रूप में 25-11-76 को दी गई थी और अंतिम स्वीकृति उनकी 17-12-76 की बैठक में दी गई थी। सहयोग की शर्तें आई डी पी एल को औपचारिक रूप में उद्योग मंत्रालय के 3-2-77 के पत्र द्वारा भेजी गई थीं।

तथापि यह करार भारत सरकार की स्वीकृति की शर्त से अनुबद्ध था। उद्योग मंत्रालय के 3-2-77 के स्वीकृति पत्र के परिणामस्वरूप यह करार 4-2-77 से प्रभावी हुआ।

(ख) और (ग) फार्माफिन प्रौद्योगिकी कार्यान्वयनाधीन है। प्रौद्योगिकी की खरीद से संबंधित कार्य के परिणामों पर सरकार कड़ी निगरानी रख रही है।

पूर्व रेलवे में रिक्त पद

1751. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में डिवीजनवार इन्डोर क्लर्क, कामर्शियल क्लर्क, टिकट कलक्टर, ट्रेन क्लर्क, नम्बर टेकर, फायरमैन ग्रेड ए और गार्ड की श्रेणी में 1 अप्रैल, 1974 को कितने-कितने पद खाली थे;

(ख) 1 अप्रैल, 1975 को और उससे बाद में उपरोक्त पदों में से कितने पद भरे गए और पूर्व रेलवे में डिवीजनवार कितने पद अभी तक खाली पड़े हैं; और

(ग) 1 अप्रैल, 1974 को खाली पड़े पदों में से जो बाद में भरे गये, उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Employment of Children of the Deceased Railway Employees

†1752. **Shri M.A. Hannan Alhaj** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether in the event of death of a railway employee, his children used to be provided with employment previously in the Railway Department;

(b) if so, whether it is a fact that they are not provided with employment now; and

(c) the number of cases which have come to the notice of Government during the last three years in which the children of the deceased employees have not been provided with employment in the Department ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) There is a provision for filling a small proportion of vacancies in Class III and Class IV from amongst dependants of staff who die on duty or in Railway accidents. Dependants of staff who die while in service due to natural causes leaving their families in indigent circumstances, are also eligible for consideration, but they have the last priority i.e. lower than the first two mentioned above.

(c) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा औषधियों का वार्षिक उत्पादन

1753. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों द्वारा औषधियों का वार्षिक उत्पादन कितना रहा, और

(ख) भारतीय औषध उद्योग को बढ़ाने और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इस उद्योग में एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क)

(रुपये करोड़ों में)

	प्रपुंज औषध			सूत्रयोग		
	1974-75	1975-76	1976-77 (अनुमानित)	1974-75	1975-76	1976-77 (अनुमानित)
विदेशी . . .	34	52	63	203	300	292
सरकारी/लघु उद्योग क्षेत्र सहित भारतीय फर्म	56	78	87	197	260	408
योग : .	90	130	150	400	560	700

(ख) इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को नियमित करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं। विदेशी क्षेत्र के विस्तार को नियमित करने के लिए विशेषकर निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :--

(1) निर्माण योजनाओं की स्वीकृति में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को वरीयता दी जाती है।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से बहुत बढ़ते हुए प्रपुंज औषधों का निर्माण करना।

(3) विदेशी फर्मों को सूत्रयोगों के निर्माण के लिये आमतौर पर तब तक औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किये जाते हैं जब तक कि उनका संबंध प्रस्तुत प्रपुंज औषधों के उत्पादन से न हो।

(4) विदेशी फर्मों से कहा गया है कि वे प्रपूंज औषधों का उत्पादन और अधिक मुल स्तर से करें और अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन का एक उपयुक्त भाग देश के गैर-सम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को उपलब्ध करायें तभी उनको अपनी क्षमता में विस्तार की अनुमति दी जावेगी, जहां आवश्यक हो, उपयुक्त निर्यात दायित्व भी निभाये गये हैं। उपरोक्त उपायों से उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गई है।

मैसर्स फाइजर और मैसर्स सैन्डोज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा बिना उचित लाइसेंस के उत्पादन

1754. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे मामलों का पता लगा है जिनमें मैसर्स फाइजर और मैसर्स सेन्डोज (इंडिया) लिमिटेड ने बिना उचित लाइसेंस/अनुमति के औषधियों का उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन किन मामलों में अनधिकृत उत्पादन हुआ, किन किन मदों का कितना कितना और कितने कितने मूल्य का उत्पादन हुआ; और

(ग) उक्त फर्म के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स सेंडोज (आई) लि० द्वारा लाइसेंस/अनुमोदन के बिना किसी दवाई के उत्पादन के बारे में कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। मैसर्स फाइजर को विशेष लाइसेंस के बिना 'प्रोटीनेक्स' का उत्पादन करते हुए पाया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित्त प्रोटीनेक्स ग्रेनूल्स की मात्रा नीचे दी गई हैं :

	मात्रा (मी० टन में)	बिक्री मूल्य (रुपये लाखों में)
1973	422.83	389.01
1974	376.21	346.11
1975	345.08	317.42

(ग) मैसर्स फाइजर लि० को वैध औद्योगिक लाइसेंस/स्वीकृति के बिना प्रोटिनेक्स का उत्पादन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फर्म से उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि वह प्रोटीन हैड्रोलासेट के लिए जारी किये गए लाइसेंस पर प्रोटीनेक्स का उत्पादन कर सकते हैं। उनके उत्तर की विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

रेल लाइनों से जुड़े हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1755. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और संख्या क्या हैं जो अभी तक रेल लाइनों से नहीं जुड़े हैं;

(ख) क्या ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेघालय राज्य को किसी रेलवे लाइन से निकट भविष्य में जोड़ने की कोई योजन सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) निम्नलिखित राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रों में कोई रेल लाईन नहीं हैं :—

1. मणिपुर
2. मेघालय
3. अरुणाचल प्रदेश
4. मिजोरम
5. सिक्किम
6. अंडमान और निकोबार द्वीप
7. दादरा और नागर हवेली
8. लक्षद्वीप

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) गुवाहाटी-बरनोहाट और जोगीघोपा/पंचरलाघाट से दारागीरि रेल सम्पर्कों के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरे किये गये हैं। उनकी रिपोर्टों की जांच की जा रही हैं। इन लाइनों के निर्माण के संबंध में कोई भी विनिश्चय धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के नाम जहां कोई रेल लाईन नहीं है	टिप्पणी
1	2	3
1.	मणिपुर	सिलचर-जीरीबाम नये मीटर लाइन के लिए सर्वेक्षण हो गया है और रिपोर्टों की जांच की जा चूकी है। रिपोर्टों से पता चला है कि इस लाइन पर 8.37 करोड़ रुपये लागत आएगी और इससे पहले वर्ष में (—) 2.20 प्रतिशत प्रतिफल मिलेगा। नवीनतम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यातायात का नये सिरे से जायजा लिया जा रहा है।
2.	मेंघालय	गवाहाटी-बरनीहाट रेल सम्पर्क के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद् की लागत पर सर्वेक्षण हाल ही में पूरे हुए हैं और रिपोर्टों की जांच की जा रही है 28.81 किलोमीटर लम्बी लाइन पर 8.9 करोड़ रुपये लागत आने और इसके खुलने के बाद छठे वर्ष में इससे 1.58 प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान है। अन्य सर्वेक्षण जोगीघोपा/पंचरलघाट से दारागीरि तक रेल सम्पर्क के लिए किया गया है और इसकी रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इन परियोजनाओं को शुरु करने के बारे में विनिश्चय धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
3.	अरुणाचल प्रदेश	उत्तर-पूर्वी परिषद् की लागत पर टिपलिंग-ईटानगर लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। सर्वेक्षणों के पूरा होने और रिपोर्टों की जांच हो जाने के

1	2	3
		बाद इस परियोजना को शुरु करने के बारे में विचार किया जायेगा। रंगपाड़ा-बलिपाड़ा लाइन को भालुकपोंग और मुरकांगसेलक पासीघाट लाइन तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने का विनिश्चय संसाधनों की उपलब्धता और योजना आयोग से स्वीकृति मिलने पर निर्भर करेंगा।
4. मिजोरम .		उत्तर-पूर्वी परिषद् के लागत पर लालाघाट लाला बाजार-सैरंग/ऐजल के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण पूरा होने और रिपोर्टों की जांच करने के बाद इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।
5. सिक्किम . .		सिक्किम के साथ रेल सम्पर्क कायम करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
6. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह .		फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
7. दादरा नागर हवेली . .		फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
8. लक्षद्वीप . . .		फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

1756. **श्री जी०एम० बनतवाला :**
श्री मुक्तियार सिंह मलिक :
श्री मनीराम बागड़ी :,

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारकुण्डे आयोग ने बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग के बारे में सरकार को सिफारिश की थी, और यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार निर्वाचन आयोग में और अधिक सदस्य नियुक्त करने का है, और यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव): (क) और (ख) निर्वाचन संबंधी सुधारों पर तारकुण्डे समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया है।

जम्मू से गुरदासपुर बटाला होते हुए बम्बई जाने वाली तेज रफ्तार की रेलगाड़ियों का मार्ग बदलना

1757. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू से गुरदासपुर बटाला होते हुए बम्बई जाने वाली तेज रफ्तार रेलगाड़ियों का मार्ग नियत दिनों को बदल देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 171/172 बम्बई जम्मूतवी एक्सप्रेस को गुरदासपुर के रास्ते से चलाने का कोई विचार नहीं है।

Price of Drugs

1758. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the criteria adopted by drug manufacturing firms for determining the cost price of their products;

(b) whether Hathi Committee has made recommendations for reducing the prices of certain drugs; and

(c) if so, the names of such drugs ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) : The prices of drugs are statutorily controlled under the provisions of Drugs (Price Control) Order, 1970. Drug manufacturing units having turnover not exceeding Rs. 50 lakhs in drug formulations are exempt from obtaining price approvals for formulations. The Order provides for a mechanism for revision of prices for existing products/packs. In fixing the prices cost of inputs like material cost, packing charges, conversion cost and packing materials are allowed. Over and above the cost of inputs Mark-up which includes manufacturers' margin, promotional expenses, outward freight, distribution costs and the trade commission is also allowed in accordance with the provisions of Drugs (Prices Control) Order, 1970. The maximum retail price under the provisions of Drugs (Prices Control) Order, 1970 includes Excise Duty but local taxes, if any are charged extra by the retailers. In so far as bulk drugs are concerned 31 bulk drugs have been included under Schedule-I as Essential Bulk Drugs. The prices of these bulk drugs are fixed after necessary cost-cum-technical examination conducted by the Bureau of Industrial Costs & Prices and while fixing the prices on input costs a return of 15% on capital employed/12% on net worth is allowed. However, there are 98 bulk drugs where prices have been fixed by. Government after cost-cum-technical examination by Bureau of Industrial Costs & Prices,

(b) and (c) : The Committee on Drugs and Pharmaceuticals Industry have, *inter alia* recommended rationalisation of prices of drugs and pharmaceuticals. The Committee have identified 117 essential medicines which should be made available in larger quantites. The recommendations of the Committee are in the final stage of consideration of the Government. The names of 117 medicines are indicated in Annexure-VII and Chapter X of their Report a copy of which was laid on the Table of the Lok Sabha on 8-5-1975.

प्लास्टिक उद्योग द्वारा सहायता की मांग

1859. **श्री राजेश्वर सिंह** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों लोगों को रोजगार देने के लिये प्लास्टिक उद्योग ने सरकार से सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसने किस प्रकार की सहायता मांगी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु के पैराफीन मोम का नियतन

1760. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की बातिक प्रिंटिंग उद्योग ने उसे कम से कम प्रति मास 200 मीट्रिक टन पैराफिन मोम देने का अनुरोध किया है क्योंकि वह ग्रामीण उद्योग बंद होने वाला है; और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या पैराफिन मोम के आयात में काफी समय लगता है और यदि हां, तो क्या तमिलनाडु को पैराफिन मोम के नियतन में वृद्धि करने की बांछनीयता है ?

पैट्रोलियम तथा सरायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) पैराफीन मोम (पूर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का "सक्षम प्राधिकारी" आम तौर पर उद्योग निदेशक ही उक्त आदेश के अन्तर्गत निर्धारित मार्ग दर्शी रूपरेखाओं के अनुसरण में उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन वास्तविक उपभोक्ताओं को पैराफीन मोम के आवंटन के लिये सक्षम है। भारत सरकार देश में किसी भी वास्तविक उपभोक्ताओं को पैराफीन मोम का सीधे आवंटन नहीं करती है। ईरोड बटिक प्रिंटर्स एसोसियेशन, ईरोड को तदनुसार सलाह दी गई है ।

राज्यों को पैराफीन मोम का वार्षिक आवंटन उस वर्ष विशेष में मोम की कुल आशान्वित उपलब्धता के आधार पर तथा प्रत्येक राज्य के विगत में मोम के वास्तविक उठान संबन्धी कार्यनिष्पादन पर की जाती है । असम तेल कम्पनी लिमि० की डिग्बोई शोधनशाला ही देश में पैराफीन मोम के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। उक्त शोधनशाला पर पैराफीन मोम का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से स्थिर हो गया है । क्योंकि पैराफीन मोम की मांग में वृद्धि हो रही है ; अतः घरेलू मांग को पूरा करने के लिये पैराफीन मोम की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से पैराफीन मोम के निर्यात को, जिसे वर्ष 1976 तक निर्यात किया जाता था, अब रोक दिया गया है । देशीय उपलब्धता में इस मद को और अधिक पूरक बनाने की दृष्टि से पैराफीन मोम के चरणबद्ध आयात की व्यवस्था करने के लिये वर्ष 1977-78 की आयात नीति, को संशोधित कर दिया गया है ।

देश में पैराफीन मोम की स्थिति में सुधार करने हेतु किसी प्रकार के विलम्ब की कोई प्रत्याशा नहीं है, बशर्ते कि ग्राहक अपनी-अपनी आवश्यकताओं को समुचित रूप से कलकत्ता स्थिति मैसर्स बामेर लारी एण्ड कम्पनी के पास पंजीकृत कर दें, जिसे इस प्रयोजनार्थ एक सारणी बद्ध एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

मद्रास तथा बरौनी तेल शोधक कारखानों में पैराफीन मोम के उत्पादन के लिये मद्रास शोधनशाला लिमि० तथा इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा इस समय अध्ययन किये जा रहे हैं।

देश में जब तक कि मद्रास अथवा बरौनी में प्रस्तावित इकाईयों की स्थापना से पैराफीन मोम की उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं की जाती, तब तक आशा है कि पैराफीन मोम का सरणीबद्ध आयात इस मद की कमी को समाप्त कर देगा तथा वास्तविक प्रयोगकर्ताओं का पैराफीन मोम के उपलब्ध कराने में सुधार होगा।

अपना बाजार, सेन्ट्रल कन्ज्यूमर्स कोपरेटिव स्टोर्स, जूनागढ़ (गुजरात) को इण्डेन गैस की वितरण एजेंसी

1762. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपना बाजार सेंट्रल कनज्यूमर्स कोपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, जूनागढ़, (गुजरात) ने इण्डेन गैस का वितरक बनाये जाने के लिये अनुरोध किया है और यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया गया था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ; और

(ग) इसे मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) अपना बाजार केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमि० जूनागढ़ (गुजरात) ने नवम्बर 1976 में इन्डेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिये इंडियन आयल कारपोरेशन को आवेदन दिया था, लेकिन अपर्याप्त उत्पाद उपलब्धता और जूनागढ़ में सीमित विपणन संभावनाओं के कारण वहां अतिरिक्त इंडेन वितरक एजेंसी देना उपयुक्त नहीं समझा गया।

प्रशिक्षुओं को खपाया जाना

1763. **श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जून में आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी प्रशिक्षुओं को खपाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31-3-78 तक होने वाली 50% रिक्तियों को लिपिक वर्ग में प्रशिक्षित एक्ट एप्रन्टिसों द्वारा भरा जायेगा। उत्तर रेलवे में, जहां कि जून, 1977 में लिखित परीक्षा ली गयी थी, ऐसे अप्रेंटिसों की संख्या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध रिक्तियों से अधिक है।

हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपिकों के लिए पदोन्नति के अवसर

1764. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या मंत्रालय के राजभाषा खण्ड और विधि साहित्य प्रकाशन में हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपिकों के कुछ संवर्ग-बाह्य पद हैं, जिनका वेतनमान वही है जो केन्द्रीय सचिवालय के एक भाषा के आशुलिपिकों का है ;

(ख) क्या इन आशुलिपिकों के लिए पदोन्नति के कोई भी अवसर नहीं हैं ; और

(ग) क्या उनके वेतनमान में संशोधन करने या उन्हें कोई अन्य राहत देने अथवा पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए उन्हें केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) राजभाषा खण्ड और विधि साहित्य प्रकाशन में आशुलिपिकों के सभी पद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से बाहर के पद हैं। इन पदों के पदधारियों से अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण कार्य तथा हिन्दी या किसी प्रादेशिक भाषा में भी आशुलिपि और टंकण कार्य का जानना अपेक्षित है। इन पदों का वेतनमान वही है जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रुप 'सी' के आशुलिपिकों का है ।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय ने तारीख 15-10-77 को इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में ग्रेड 'सी' के आशुलिपिकों के लिए, उनके ग्रेड में गंभीर गतिरोध को देखते हुए तारीख 1-10-77 से 650-30-740-35-880-द०रो०-40-960 रु० के वेतनमान में एक चयन श्रेणी आरम्भ की जानी चाहिए। राजभाषा खण्ड और विधि साहित्य प्रकाशन में आशुलिपिकों को इन आदेशों का लाभ प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

बालक विवाह अवरोध अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम का क्रियान्वयन

1765. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बालक विवाह अवरोध अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम देश में पर्याप्त रूप से प्रभावी साबित नहीं हुए हैं ;

(ख) क्या उनका संशोधन करने और उन्हें प्रभावी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इन दोनों अधिनियमों को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से उनमें संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। जहां तक बालक विवाह अवरोध अधिनियम का संबन्ध है विवाह की न्यूनतम आयु, स्त्रियों के लिए पन्द्रह से बढाकर सोलह वर्ष और पुरुषों के लिए अठारह से बढाकर इक्कीस वर्ष करने के उद्देश्य से उस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद् के चालू सत्र में पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है ।

गोआ में छोटी रेल लाइनें

1766. **श्री एडोआर्डो फैलीरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संघ राज्य क्षेत्र गोआ की अर्थव्यवस्था में रेलवे अधिक भूमिका अदा नहीं करती क्योंकि मुख्यतः इस क्षेत्र में कवल छोटी रेल लाइन है ;

(ख) क्या मार्गाओं (गोआ) की जनता की उपरि पुल के निर्माण की मांग है जिसके अभाव में उस टाउन की जनता तथा यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है; और

(ग) गोआ की जनता की इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मिरजलोंडा, हास्पेटमरमागाओं तथा अलवानेर डण्डेली खंडों को मीटर लाइन मे बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यह परियोजना अलाभप्रद पायी गयी है। सीमित यातायात की सभावनाओं तथा संसाधनों की कमी को ध्यान में रखत हुए फिलहाल इस परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इस संबन्ध में जनता से रेलवे को कोई भी अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ग) उपर्युक्त खंड (क) में बतायी गयो लाइनों के बदलाव के प्रस्ताव पर संसाधनों की स्थिति में सुधार होते ही आगे विचार किया जायेगा। ऊपर (ख) में बताये गये गोआ स्टेशन पर ऊपरि सड़क पुल के निर्माण के सबन्ध में, गोआ प्रशासन से निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वर्तमान नियमों के अनुसार पुल पर आने वाली लागत वहन करने के लिए वचन देने पर ही विचार किया जायेगा।

गीतांजलि एक्सप्रेस के लिये टिकट जारी करना

1767. **श्री वंसत साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बम्बई से अकोला जाने और वहां से वापस बम्बई आने के लिये कोई टिकट जारी नहीं किये जाते हैं--यद्यपि यह एक्सप्रेस अकोला स्टेशन पर खड़ी होती है--क्योंकि अकोला से बम्बई की दूरी 584 किलोमीटर है जो ऐसी गाड़ियों के लिए निर्धारित न्यूनतम दूरी से केवल 16 किलोमीटर कम है ;

(ख) क्या सरकार जन हित में इन नियमों में उपयुक्त रूप स संशोधन करेगी और दूरी को कम करके 400-500 किलोमीटर के स्तर तक लायेगी ; और

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 59 डाउन/60 अप गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस मुख्यतः बम्बई और हवड़ा के बीच लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चलायी गयी थी। इस गाड़ी में कम दूरी की यात्री को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इस गाड़ी पर दूरी-प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, क्योंकि ऐसे यात्रियों के लिए इस मार्ग पर अन्य गाड़ियां उपलब्ध हैं।

अकोला से हवड़ा की ओर 59 डाउन गीतांजलि एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी की पांच शायिकाओं तथा द्वितीय श्रेणी की 5 सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है, और इसमें 600 किलोमीटर की दूरी का प्रतिबन्ध है। बम्बई और अकोला के बीच 600 कि०मी० की प्रतिबन्धित दूरी में छूट दी गयी है जिसके अनुसार द्वितीय श्रेणी की पांच शायिकाओं और द्वितीय श्रेणी की 5 सीटों के लिए यात्री बुक किये जा सकते हैं।

अप दिशा गीतांजलि एक्सप्रेस में, 600 कि०मी० की दूरी के प्रतिबन्ध में छूट देकर गाड़ी में उपलब्ध स्थान के अनुसार अकोला स्टेशन पर बम्बई के लिए टिकट जारी किये जा सकते हैं।

(ग) जी नहीं ।

रूमानिया की सहायता से पैट्रोलियम रेखाचित्र तैयार करना

1768. **श्री दीनेन भट्टाचार्या** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रूमानिया की सहायता से अशोधित तेल के, तटदूर और तट पर भण्डारों का पता लगाने के लिये कोई पेट्रोलियम रेखाचित्र तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

अशोधित तेल का उत्पादन

1769. **श्री सी०के० जाफर शरीफ** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अशोधित तेल की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान अशोधित तेल का आयात करने की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और सरकार के लक्ष्यों के अनुसार देश में इसका कितनी मात्रा में उत्पादन होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) वर्ष 1977-78 के दौरान 14.3 मिली० मी० टन अशोधित तेल के आयात करने की संभावना है। दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के लिये अपनी आयातित अशोधित तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पहले से ही विभिन्न निश्चित प्रबन्ध कर लिये गये हैं। चालू वित्त वर्ष 1977-78 (अर्थात् जनवरी—मार्च, 1978 की अवधि में) की अन्तिम तिमाही के दौरान आयातित अशोधित तेल की आवश्यकताओं को वर्ष 1978 में ही विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ही अशोधित तेल की सप्लाई के विभिन्न ठेकों के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा। इन ठेकों पर इस समय विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है। तथापि ईराक से वर्ष 1978 के दौरान 3 मि०मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई के लिए हाल ही में एक पक्का ठेका किया जा चुका है ।

वर्ष 1977-78 के दौरान समुद्रतट और समुद्र के अन्दरूनी स्रोतों से देशीय तौर पर लगभग 10.8 मिली० मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन होने की संभावना है ।

Reduction in Prices of Petrol and Kerosene Oil

1770. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of reducing the price of petrol and kerosene oil ; and

(b) if so, by what time and the extent to which the price thereof will be reduced ?

The Minister of Petroleum and Chemicals & Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) There is no such proposal at present.

(b) Does not arise.

मध्य रेलवे में दोहरी लाइन बिछाना

1772. **श्री डी० जी० गवई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे में लाइनों को दोहरा करने के बारे में सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण)—मध्य रेलवे के ट्रंक मार्गों पर दोहरी लाइन बिछाने के काम के समबन्ध में स्थिति इस प्रकार है:—

1. **नई दिल्ली (तुगलकाबाद-बल्हारशाह)**—1281 कि०मी० की कुल लम्बाई में से 995.5 कि०मी० में दोहरी लाइन बिछायी जा चुकी है, बधोली-हिगणघाट खंड (7.71 कि०मी०) पर दोहरी लाइन बिछाने का काम पहले से चल रहा है और 278 कि०मी० की लम्बाई में इकहरी लाइन बकाया है ।

2. **बम्बई वी०टी० नैनी (इलाहाबाद)** : 1352 कि०मी० की कुल लम्बाई में से 1099 कि० मी० लम्बाई में दोहरी लाइन बिछा दी गयी है अब नैनी-जुकेही के बीच 253 कि०मी० में इकहरी लाइन शेष है ।

3. **बीना-कटनी :**—263 कि०मी० की कुल लम्बाई में से 255.5 कि०मी० लम्बे रेल पथ में दोहरी लाइन बिछायी जा चुकी है और ईसरवाड़ा-नरयावली खंड (7.45 कि०मी०) पर काम चल रहा है ।

4. **पुणे-शाहबाद :**—403 कि०मी० की कुल लम्बाई में से 76 कि०मी० में दोहरी लाइन बिछायी जा चुकी है और दौंड़-शाहबाद के बीच 327 कि०मी० भाग में इकहरी लाइन बकाया है ।

5. **कल्याण पुणे और वर्धा भुसावल :**—कल्याण-पुणे (138 कि०मी०) और वर्धा-भुसावल (314 कि०मी०) ट्रंक मार्गों पर पूरी तरह दोहरी लाइन बिछायी जा चुकी है । इसके अलावा मध्य रेलवे के उपनगरीय खंड पर चेम्बर और मानखुर्द (3.67 कि०मी०) खंड में दोहरी लाइन बिछाने और कसारान इगतपुरी (13.97 कि०मी०) और कर्जत-लोनावला (28.54 कि०मी०) के बीच तिहरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है ।

इनके अलावा मध्य रेलवे पर दोहरी लाइन बिछाने के बारे में और किसी काम को अभी तक अनुमति नहीं मिली है ।

लोको रनिंग स्टाफ द्वारा आन्दोलन

1773. **श्री शिवाजी पटनायक :**
श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लोको रनिंग स्टाफ रेलवे बोर्ड के साथ हुए पहले वाले समझौते को क्रियान्वित करवाने के लिये आन्दोलन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) उन्होंने ऐसा कोई आन्दोलन शुरू नहीं किया है । उन्होंने इस सम्बन्ध में संकल्प पारित किये हैं तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं और भेजे हैं ।

(ख) तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा सम्मत व्यवस्थाओं में उल्लिखित मुद्दे तथा उनके सम्बन्ध में स्थिति नीचे बतायी गयी है :—

मुद्दा	स्थिति
1. (क) ज्यों ही वर्तमान आन्दोलन वापस ले लिया जायेगा, वे सभी कर्मचारी जो आन्दोलनों के सम्बन्ध में (मई-अगस्त, 1973) में गिरफ्तार किये गये हैं, उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनके खिलाफ तोड़-फोड़ करने, रेल सम्पत्ति की नुकसान पहुंचाने तथा हिंसा के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जा रही है, छोड़ दिया जायेगा ।	पूरा कर दिया गया ।
(ख) जिन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे कार्यों के लिए जो तोड़-फोड़, रेल सम्पत्ति की क्षति अथवा हिंसा की कोटि में नहीं आते, भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों के अधीन दायर की गयी चार्ज-शीटों की (कुरेशी) समिति पुनरीक्षा करेगी तथा उनको वापस लेने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी। तोड़-फोड़, रेल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा हिंसा के मामलों में राज्य सरकार से हरेक मामले के गुण-दोष के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा जायेगा ।	
2. जेल से छूटे सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जायेगा ।	पूरा कर दिया गया ।
3. आन्दोलन के लिए अथवा आन्दोलन के सम्बन्ध में दण्ड स्वरूप दिये गये स्थानान्तरण, पदावनति, निलम्बन तथा नौकरी हटाने के आदेश उन मामलों को छोड़ कर जो तोड़-फोड़, रेल सम्पत्ति को क्षति तथा हिंसा के कार्यों से सम्बन्धित हैं, वापस ले लिए जायेंगे ।	पूरा कर दिया गया ।
4. सेवा भंग को माफ किया जायेगा ।	पूरा कर दिया गया ।
5. अगस्त आन्दोलन के सिलसिले में 1 अगस्त 1973 से अनुपस्थिति को अर्जित छुट्टी मान लिया जायेगा तथा जिन मामलों में अर्जित छुट्टी देय नहीं होगा, उनमें इसे निकट भविष्य में अर्जित की जाने वाली छुट्टी के हिसाब में समायोजित कर दिया जायेगा ।	पूरा कर दिया गया ।
6. प्रशासनिक स्वरूप की ऐसी चार्ज-शीटें जिनका सीधा सम्बन्ध आन्दोलनों (मई-अगस्त, 1973) के सिलसिले में मजदूर यूनियन की गतिविधियों से है, वापस ले ली जायेंगी ।	पूरा कर दिया गया ।

मुद्दा	स्थिति
7. लोको रनिंग कर्मचारियों से काम पर आने के हस्ताक्षर करने के समय से लेकर काम छोड़ने के हस्ताक्षर करने के समय तक लगातार दस घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायेगा ।	इसका कार्यान्वयन 1-12-73 से शुरू हुआ । 1974 के अन्त तक सभी मेल, एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियां इस व्यवस्था के अन्तर्गत आ गयी थीं ।
दस घंटे काम के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए इसके ब्यौरे, साधन और तरीके पर अगस्त आन्दोलन वापस लिये जाने के छः सप्ताह के भीतर कुरेशी समिति विचार करेगी और इसे अन्तिम रूप देगी ।	माल गाड़ियों के मामले में यह व्यवस्था लगभग 86% मामलों में लागू हो गयी है । शेष मामलों में भी इसे लागू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।
8. जुलाई, 1967 से आज तक सरकार द्वारा दिये गये उन सभी आश्वासनों को जो अभी कार्यान्वित नहीं किये गये हैं, यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा ।	पूर्ववर्ती रेल मंत्रियों द्वारा लोको रनिंग कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में दिये गये सभी बयानों की यह जानने के लिए सावधानी पूर्वक जांच की गयी है कि कौन-सा आश्वासन कार्यान्वित नहीं हुआ । जांच से पता चला कि वास्तव में सभी आश्वासन पूरे कर दिये गये थे । लेकिन, लोको रनिंग कर्मचारी एसोसिएशन से उन आश्वासनों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था जो पूरे नहीं किये गये परन्तु वे ऐसी कोई सूचना न दे सके ।
9. शिकायतों के अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रेल उप-मंत्री श्री मोहम्मद शफी कुरेशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें रेल मंत्रालय के पांच वरिष्ठ अधिकारी तथा लोको रनिंग कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि होंगे । ये समिति लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा काम पुनः शुरू करने के पांच दिन के भीतर काम करना शुरू कर देगी । समिति की बैठक में श्रम मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी भाग लेगा ।	इस समिति ने 23 अगस्त, 1973 से काम करना शुरू किया । इसकी 16 बैठकें हुईं । अपना काम पूरा कर लेने पर इसे 7-8-75 को भंग कर दिया गया ।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिए विश्व बैंक सहायता

1774. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेल परियोजना की धीमी प्रगति का मुख्य कारण धन का अभाव है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोंकण रेलवे का निर्माण

1775. **श्री आर० के० महालगी :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे के निर्माण की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसके पश्चात् क्या प्रगति हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) योजना आयोग द्वारा स योजना को स्वीकृति दिलाने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये जा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) कोंकण लाइन का निर्माण आरम्भ करने के लिए योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) और (घ) योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन मण्डल द्वारा इस परियोजना की जांच की जा रही है । रेल मंत्रालय योजना आयोग के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए है और उनके द्वारा अपेक्षित सूचना समय-समय पर प्रस्तुत करता रहा है ।

रेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आय तथा मजूरी नीति का अध्ययन

1776. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत मूल्यों, महंगाई भत्ते, बोनस और ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में विषमता की समस्याओं और रक्षा, डाक तथा तार और रेलवे सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय तथा मजूरी नीति का अध्ययन किया है ; और

(ख) नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आय, वेतन और मूल्य नीति पर भारत सरकार द्वारा श्री एस० भूतलिंगम् की अध्यक्षता में गठित एक अध्ययन दल आजकल विचार कर रहा है ।

(ख) रेलों पर नैमित्तिक मजदूरों के पारिश्रमिक का प्रश्न मियाभाय अधिकरण को भेजा गया था । उक्त अधिकरण की सिफारिशों के अनुसार अब इन मजदूरों को निम्नलिखित दरों पर पारिश्रमिक दिया जाता है :—

(1) स्थानीय प्राधिकारी अथवा सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा बतायी गयी दैनिक दरों पर; अथवा

(2) यदि ये दरें मालूम न हों, तो रेल कर्मचारियों की वैसी ही कोटियों के कर्मचारियों के लिए लागू वेतनमान के निम्नतम और महंगाई भत्ते के जोड़ का 1/30वां भाग की दर पर; तथा

(3) निम्नतम वेतन अधिनियम द्वारा शासित नैमित्तिक मजदूरों के मामले में, यदि ऊपर मद (1) और (2) में बतायी गयी कोई दरें श्रम मंत्रालय द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत घोषित न्यूनतम दरों से कम हों तो घोषित दरें लागू की जाती हैं।

चालू लाइन रेलों पर उन नैमित्तिक श्रमिकों को जो 120 दिन की निरन्तर सेवा कर लेते हैं, अस्थायी ओहदा दे दिया जाता है जिससे उन्हें निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन और भत्ते तथा वे अन्य लाभ मिल जाते हैं जो अस्थायी रेल कर्मचारियों को प्राप्त हैं। परियोजनाओं में छः महीने की निरन्तर सेवा पूरी कर लेने पर नैमित्तिक श्रमिक वेतनमान पर आधारित दैनिक दर अर्थात् उपयुक्त वेतनमान का 1/30वां भाग (महंगाई भत्ता जोड़ कर) प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

नारखेर का अमरावती के साथ जोड़ा जाना

1777. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :**
श्री बसन्त साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर नारखेर रेलवे स्टेशन को अमरावती रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या अमरावती से नारखेर तक पहाड़ों से होकर बनाई जाने वाली रेल लाइन की लागत बहुत अधिक होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि यदि अमरावती को नारखेर की बजाय पंडुरना के साथ जोड़ा जाये जो अमरावती से केवल 6 मील दूर है, तो सरकार लाखों रुपये बचा सकती हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अमरावती से नारखेर को जोड़ने के लिए नयी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) इस लाइन की लागत का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

(ग) अमरावती से पंडुरना की दूरी लगभग 150 कि०मी० है जो कि लगभग उतनी ही दूरी है जितनी अमरावती से नारखेर की।

(घ) संसाधनों की भारी कमी के कारण इन वैकल्पिक लाइनों में से किसी पर विचार करना फिलहाल सम्भव नहीं हो पायेगा।

नेशनल रेयन कारपोरेशन के निदेशकों के प्रतिवेदन का स्वीकार किया जाना

1778. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल रेयन कारपोरेशन के शेयर होल्डरों ने सितम्बर, 1977 में हुई अपनी बैठक में वर्ष 1976 के लिये निदेशकों के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्ध में कुप्रबन्ध आ गया है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को भारी नुकसान हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार ने कम्पनी के कार्यों की जांच की है; और

(घ) इस कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) हिस्सेधारियों की यह राय थी कि कपाड़िया निदेशकों द्वारा किये गये कुप्रबन्ध के कारण कम्पनी को हानियां उठानी पड़ी थीं ।

(ग) तथा (घ) प्रबन्धक वर्ग ने कम्पनी के कार्य-कलाप का कुप्रबन्ध किया था, जिसके परिणाम-स्वरूप, लाभ-हानि लेखे के अनुसार, 31-12-76 की वर्ष समाप्ति में 1,78,48,285 रु० की राशि की हानि उठानी पड़ी थी । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण निदेशालय द्वारा, निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण रिपोर्ट से प्रकाश में आई कुप्रबन्ध की अनेक कायवाहियों को दृष्टि में रखते हुये, कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने दिनांक 11-7-1977 के आदेश द्वारा कम्पनी के निदेशक मंडल में 8 निदेशक नियुक्त किये । कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी के कुछ हिस्सों के स्वामित्व की जांच करने के लिए एक निरीक्षक भी नियुक्त किया है, एवं उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही के लिये विचार किया जायेगा ।

कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति का कार्यकरण

1779. **श्री के० ए० राजन :**

श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री यज्ञदत शर्मा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम पर पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न व्यवसायी संगठनों को 32 पृष्ठ की एक प्रश्नावली भेजी थी;

(ख) क्या इन संगठनों ने उस प्रश्नावली के प्रति बहुत कम रुचि दिखाई थी;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी कम्पनियों ने विशेषज्ञ समिति के कार्यकरण में बाधा डालने का प्रयत्न किया था जिनकी राजनीतिक स्मारिका के लिये विज्ञापन देने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) प्रश्नावली, विधि मंडलों सहित 194 संगठनों को प्रेषित की गई थी तथा अब तक 20 की संख्या तक संगठनों से प्रत्युत्तर प्राप्त हो गये हैं । इन प्रत्युत्तरों के लिये अन्तिम तारीख 30 नवम्बर 1977 तक बढ़ा दी गई है, तथा यह आशा है कि उक्त समय तक अधिकतर प्रत्युत्तर प्राप्त हो जायेंगे ।

(ग) सरकार को ऐसे किसी प्रस्तवन की सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आगरा से बीकानेर तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चलाया जाना

1781. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले इस वर्ष आगरा और बीकानेर के बीच एक ऐक्सप्रेस रेलगाड़ी के चलाने का निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति रुक जाने के क्या कारण ह और इस रेलगाड़ी के कब तक चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं, फिर भी मेड़ता रोड के रास्ते जयपुर और बीकानेर के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है जिसमें आगरा फोर्ट और बीकानेर के बीच यू सवारी डिब्बे लगाये जायेंगे । फुलेरा कुचामन रोड खंड में दरार पड़ जाने के कारण अभी तक इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका । जब भी इस खंड पर यातायात शुरू हो जायेगा, बीकानेर जयपुर के बीच गाड़ी चलायी जायेगी ।

प्रत्येक राज्य में फार्मुलेशन संयंत्र

1782. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में एक फार्मुलेशन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां: तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां कहीं संभव हो, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं, विभिन्न राज्यों में औषध फार्मुलेशन के निर्माण के लिए संयुक्त क्षेत्रीय एकक स्थापित करेंगी ।

सरकार ने अभी तक आई० डी० पी० एल० द्वारा उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त क्षेत्र में तथा दूसरा मद्रास में आई० डी० पी० एल० के अपने एकक में फार्मुलेशन एकक की स्थापना के लिए अनुमोदन किया है । सरकार ने आई०डी०पी०एल० द्वारा पंजाब में संयुक्त क्षेत्र में स्टार्च, डेक्सट्रोज आदि के निर्माण के लिए परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है । अन्य राज्यों में मिलते जुलते संयुक्त क्षेत्रीय एककों की स्थापना के प्रस्ताव सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विचाराधीन हैं ।

Reserved quota of S.C. and S.T.

†1783. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the reserved quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the Class I, II, III, and IV posts in the Railways has not been filled as per rules in this regard during the last three years; if so, the action taken by Government to fill the reserved quota;

(b) the percentage of the reserved quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes separately filled class-wise during the said period (up to 31st October, 1977) and the percentage of rest of the reserved quota yet to be filled class-wise ; and

(c) whether special cells have been created for filling up the reserved quota of posts and promotions for them, if so the action taken by these special cells in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as per the quota prescribed, are filled duly following the rules laid down in this behalf. Filling up of the entire quota, however, depends on the availability of suitable candidates.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) A special cell on each Zonal Railway and also in the Ministry of Railways has been set up to ensure proper and correct implementation of the rules relating to reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The position is constantly reviewed by the special cells and action as considered necessary is taken to fill, as far as possible, the vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Recently a drive has been launched from 1st October, 1977 to fill up, to the maximum extent possible, the shortfall in the vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Class III and IV services on the Railways.

अपराधियों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल का अभियान

1784. **श्री शंकरसिंह जी बाघेला :**
श्री अन्नत दवे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने कट्टर अपराधियों और चोरी के समान को आदतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान प्रारम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) रेलवे सामान की चोरियों के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शाहदरा-सहारनपुर रेलवे को बदलना

1785. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा-सहारनपुर रेल लाइन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस वर्ष कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस लाइन को बिजली की लाइन में बदलने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अक्तूबर, 1977 तक कुल मिलाकर 46.5 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) 415.06 लाख रुपये।

(ग) जी नहीं।

बनमांखी रेलवे स्टेशन पर उपरि-पुल

1786. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में बनमांखी रेलवे स्टेशन का उपरि-पुल केवल प्लेटफार्म नं० 1 और 2 को ही जोड़ता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि सामान्य यातायात के लिए स्टेशनों पर उपरि-पुल बनाये जाने की आवश्यकता है; और

(ग) उक्त उपरि-पुल का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जीं नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Stoppage of work by Lawyers in Courts

†1787. **Shr Mohamed Hayat Ali** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs be** p leased to State :

(a) whether the lawyers have stopped working in the courts due to Government not acceding to their demands communicated to Government by New Delhi Bar Association;

(b) the steps taken by Government to resolve this matter ; and

(c) the details of the demands in acceding to which Government experience difficulty ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) to (c) According to information received from the Delhi Administration, the New Delhi Bar Association addressed a letter to the Executive Councillor (Medical) demanding that a dead line be fixed for shifting the courts from Parliament Street to Patiala House and tha individual chambers be provided to lawyers at their own cost. The letter was received on 8-11-1977 and mentioned that the lawyers had been on strike from 3-11-1977. Within a few days the strike was called off.

Accommodation in the Patiala House complex has been allotted to the Delhi Administration for the use of New Delhi Courts. However, some construction work e.g. setting up of Court Rooms is going on and the shifting will take place as soon as it is completed. Regarding the provision of Chambers for Members of the Bar the demand is under the consi deration of Delhi Administration.

ट्रेन एक्जामिनरों के लिए पदोन्नति के अवसर

1788. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मार्च, 1974 को रेलवे बोर्ड ने ए०आई०आर०एफ०, एन०एफ०आई०आर० और ट्रेन एग्जामिनरों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक में यह आश्वासन दिया था कि ट्रेन एग्जामिनरों की श्रेणी के लिए उच्च श्रेणी के पदों के लिए प्रावधान और पदोन्नति के अवसर तथा यांत्रिकी विभाग के शेडों और कर्मशालाओं के चार्जमैनों के समान रु० 840–1040 के वेतनमान के आवंटन आदि विषयों पर मार्च, 1974 के बाद नौ महीने की अवधि में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और वह मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब का क्या कारण है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो ट्रेन एग्जामिनरों के लिए रु० 425–700 से के ऊपर के ग्रेडों में पदों के प्रस्तावित पुनर्वितरण का क्या ढांचा होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) बैठक में 205–280 रु० तथा 250–380 रुपये के दो प्राधिकृत वेतनमानों का 425–700 रुपये के केवल एक संशोधित वेतनमान में विलय करने की सिफारिश करने का विनिश्चय किया गया था। दोनों फेडरेशनों की मांग इस कोटि के लिए पदों के प्रतिशत वितरण पर नये सिरे से विचार करने के अतिरिक्त 840–1040 रुपये का उच्चतर ग्रेड देने की भी थी।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से 425–700 रु० का केवल एक संशोधित वेतनमान पहले ही आबंटित किया जा चुका है । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 550–750 रुपये तथा 700–900 रुपये के उच्चतर ग्रेड भी आबंटित किये गये हैं। पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करने तथा पदों के वितरण में असन्तुलन को यथासंभव ठीक करने के उद्देश्य से 425–700 रुपये के वेतनमान के 217 पदों का ग्रेड

बढ़ाकर 550-750 रुपये कर दिया गया है। रेलों पर कुछ विशिष्ट पर्यवेक्षक कोटियों के लिए जिनमें गाड़ी परीक्षक भी शामिल हैं, 840-1040 रुपये का वेतनमान आवंटित करने का प्रताव भी विचारधीन है।

Barsoi Railway Junction

1789. **Shri Yuv Raj** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Barsoi is an important Railway Junction of Metre gauge and Broad gauge lines of North East Frontier Railway where an over-bridge has been constructed for the use of passengers ;

(b) whether passengers are experiencing great difficulty in the absence of shed over the bridge ; and

(c) if so, the time by which shed would be provided over the bridge and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) Barsoi is a junction station on N.F. Railway and a foot over-bridge has been provided at this station for the convenience of passengers. The movement of passengers from one platform to the other over the foot over-bridge is not much and hence the foot over-bridge is not intensively utilised.

There is therefore no proposal to provide covering ove the foot-bridge at present.

नगरीय क्षेत्रों के लिये कुकिंग गैस की व्यवस्था

1790. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी दो वर्षों के भीतर सभी प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में कुकिंग स की व्यवस्था करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री भगवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) एल०पी०जी की सीमित उपलब्धता के कारण इसके विपणन का दो वर्षों के भीतर समस्त प्रमुख शहरी क्षेत्रों में विस्तार करना कठिन होगा। वर्ष 1980 से एल०पी०जी० की उपलब्धता में संभावित वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऐसे क्षेत्रों में जहां यह अभी उपलब्ध नहीं है इसका विपणन करना संभव हो सकेगा।

पारादीप पत्तन में उर्वरक संयंत्र

1791. **श्री सरत कार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकर का विचार उड़ीसा में पारादीप पत्तन में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) क्या पारादीप में भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास करने की बात किसी व्यवहार्यता प्रतिवेदन के आधार पर थी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में परिकल्पित सरकारी क्षेत्र की 5 उर्वरक प्रायोजनाओं में से पारादीप भी एक परियोजना थी। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने अप्रैल, 1973 में सम्भरण सामग्री के रूप में ईंधन तेल पर आधारित इस प्रायोजना के लिये एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की थी और बाद में अक्तूबर, 1974 में उसे अन्तिम रूप दिया था। अप्रैल, 1974 में इस प्रायोजना की नींव डाली गई थी। संसाधनों की अत्यन्त कठिनाइयों के कारण पांचवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रायोजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

अब बम्बई हाई और बसीन संरचना तथा असम में संबद्ध/प्राकृतिक गैस की खोज से गैस पर आधारित अतिरिक्त नाइट्रोजनयुक्त क्षमता स्थापित करने के लिये वरीयता दी जा रही है। अतः पारादीप के ईंधन तेल पर आधारित नाइट्रोजनयुक्त संयंत्र की स्थापना को कम वरीयता मिलेगी। तथापि अतिरिक्त फोस्फेटिक क्षमता की योजना बनाते समय पारादीप के बारे में उचित रूप से विचार किया जायेगा।

मद्रास के धर्मपुरी जिले में रेल गाड़ी का रुकना

1792. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-रेलवे डिवीजन में मद्रास बंगलौर लाइन पर धर्मपुरी जिले में यरकाड एक्सप्रेस के अलावा कोई अन्य एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वेस्ट कौस्ट मंगलौर, आयलैण्ड, केरल, कर्नाटक-केरल, मद्रास-कोयम्बतूर, जयन्ती-जनता और नीलगिरि एक्सप्रेस ट्रेनों को बेम्पिदी अथवा मोराप्पुर में रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

Use of Saloons in Railways

+1793. **Shri S.S. Das** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there has neither been any appreciable decrease in use of saloons in the Railways nor has it any notable impact on the economic position and administration of Railways, despite Government's declared policy in this regard ;

(b) whether Government propose to compensate officers entitled to travel by saloons for undertaking journey in ordinary coaches after denying the D.A. and T. A. at current rates and other similar facilities ; and

(c) if so, whether Government propose to take a decision to the effect that no T.A. and D.A. will be paid to those who travel by saloons, keeping in view the rules, regulation and economy ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The use of inspection carriages, sometimes referred to as saloons, has since been restricted only for inspection purposes, and to places where adequate resting places are not available on the Railways. There has been an overall decline in the use of inspection carriages.

(b) When in accordance with the principle laid down in reply to part (a) above, inspection carriages are used, T.A./D.A. is admissible under the rules. However, when members of the Railway Board travel by inspection carriages on duty, they are not entitled to daily allowance for the journey but only for the days of halt.

(c) The existing orders on use of inspection carriages are quite restrictive and no further change is proposed.

दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों द्वारा एक दिन की भूख हड़ताल

1794. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों ने अपने छः सूची मांगपत्र के समर्थन में 24 अक्तूबर, 1977 को सभी पांच प्रभागीय कार्यालयों के सामने विरोध-स्वरूप एक दिन की भूख-हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, कुछ स्थानों पर कर्मचारियों के एक वर्ग ने हड़ताल की थी।

(ख) मांग-पत्र में उल्लिखित मुद्दों और उनके सम्बन्ध में टिप्पणी नीचे दी गयी है :--

(1) बोनस--सभी क्षेत्रों में वेतन आय और मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिये सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसका व्यापक अध्ययन कर लेने के बाद ही सरकारी विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए बोनस के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(2) मंहगाई भत्ता--जो आम मुद्दे उठाये गये हैं उन पर अकेला रेल मंत्रालय विचार नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसे व्यापक मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा। 16-11-77 को सरकार 1-9-77 से देय मंहगाई भत्ते की एक और किश्त की घोषणा पहले ही कर चुकी है।

(3) केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों में मिलने वाले वेतनों के साथ समानता-- इसका घनिष्ठ सम्बन्ध वेतन आय और मूल्य नीति से है जिस पर सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा गहराई से विचार किया जा रहा है।

(4) नैमित्तिक श्रमिकों का स्थायीकरण --हांलांकि सभी नैमित्तिक श्रमिकों को पूर्ण रूप से तत्काल स्थायी करने की आदर्श स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है फिर भी नैमित्तिक श्रमिकों को समाहित किये जाने आदि के मामले में उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कार्रवाई की गयी है और की जा रही है।

(5) आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की सप्लाई --चूंकि सरकार को सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में सम्मिलित रूप से निर्णय लेना है इसलिए उठाये गये मामलों पर अकेले रेल मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता।

(6) औद्योगिक श्रमिक के रूप में रेल कर्मचारी--रेल कर्मचारी पहले से ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सेवा की शर्तों के बारे में वे परम्परागत रूप से सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से रेलों की प्रकृति जनता की सेवा है इसलिए अपने सामाजिक एवं सामरिक महत्व के कारण सीधे सरकार द्वारा चलायी जाती है।

स्वदेशी काटन मिल्स के शेयरों की कुर्की

1795. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के 90 लाख रुपयों के मूल्य के 9 लाख शेयरों ो उसके श्रमिकों के वेतन के भुगतान के लिए कुर्की की है;

(ख) क्या स्वदेशी काटन मिल्स के श्रमिकों में असन्तोष चल रहा है और उन्होंने कई बार प्रबन्धक का घेराव किया है ;

(ग) क्या मिल की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार इस मिल को अपने हाथ में लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी। उत्तर प्रदेश शासन विद्युत उपक्रम (शेष वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 5 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर कानपुर मैसर्स स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड में कम्पनी द्वारा धारित 90 लाख रु० के प्रत्यक्ष मूल्य के शेयरों के अभ्याग्रहण और बेचने का आदेश दिया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त आदाता को उनको जब्त करने की शक्ति भी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त आदाता को कथित शेयरों को समर्पण करने में मिल्स के प्रबन्ध की असफलता पर, आदाता ने अपने 10-11-1977 के नोटिस द्वारा अधिसूचित किया है कि पूर्वोक्त शेयरों को अभ्याग्रहीत कर लिया गया है तथा धारक उनके हस्तांतरण या अन्यथा उनके निपटान के अधिकारी नहीं हैं।

(ख) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मिल के मजदूरों ने 26-10-1977 को मिल के सचिव श्री के० सी० अग्रवाल का घेराव किया था।

(ग) तथा (घ) मिल के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक मण्डल में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति इस समय कम्पनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है।

निगमित क्षेत्र के प्रबन्धकों के पारिश्रमिक

1796. **श्री सी० के० चन्दप्पन :**
श्री मनोरंजन भक्त :
डा० बापू कालदाते :
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय निगमों सहित निगमित क्षेत्र के प्रबन्धकों के पारिश्रमिकों तथा भत्तों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शन्ति भूषण) : (क) और (ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हो, के प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में वर्तमान मार्गदर्शक नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Re-Introduction of Passenger Train from Nagpur to Itarsi

+1797. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to re-introduce the passenger train from Nagpur to Itarsi on the Central Railway which was cancelled during the Emergency;

(b) the reasons for which it was cancelled; and

(c) the time by which Government would re-introduce it ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) The run of the previous 393/394 Nagpur-Jhansi Passenger was curtailed on Amla-Jhansi Section to make way for introduction of Bilaspur-Bhopal-Nizamuddin Chhattisgarh Express. However, for the convenience of passengers on Itarsi-Amla section, Chhattisgarh Express has been provided stoppages at all stations except three and also a pair of shuttles has been introduced between Betul and Amla from 15-8-1976. Restoration of 393/394 on Amla-Itarsi Section is not feasible due to lack of spare line capacity on the section.

Criteria for Stoppages of Express Trains

+1798. **Shri R.L. Kureel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the criteria followed in deciding stoppage for an Express train at a particular station;

(b) whether it is proposed to provide a stoppage at Mohanlal Ganj Tehsil, which is big Tehsil and an industrial complex, for the Triveni Express and any other express trains; and

(c) if not, the reasons therefor and whether three Express trains stop at Bachhrawan station in Rai Bareli District and if so, the reason why no express train stops at Mohanlal Ganj which is bigger than Bachhrawan in all respects ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Stoppage of Express trains are provided at intermediate stations having regard to the volume and the nature of the long distance traffic offering at the stations, timings and the importance and fast character of the particular express train.

(b) No.

(c) The traffic offering (for both short and long distance) at Bachhrawan is much more than that at Mohanlalganj.

भारतीय तकनीशियनों द्वारा अन्य देशों में रेलवे लाइनें बिछाया जाना

1799. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अन्य देशों ने अपने यहां रेलवे लाइन बिछाने के लिए भारतीय तकनीशियनों की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है और भारत उनकी किस प्रकार की विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) कई वर्षों से विदेशों में--विशेषकर मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में रेलवे परामर्शदायी सेवाओं तथा रेलवे निर्माण-कार्यों के लिए बहुत मांग रही है । सम्बन्धित देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ आपसी सहयोग के बारे में समय-समय पर द्विपक्षीय बातचीत हुई है और विदेश में रेलवे निर्माण-परियोजनाओं को प्राप्त करने की सम्भावनाओं की खोज जारी है । विदेश में रेल प्रणालियों के विकास में भारत की भागीदारी रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानामिक सर्विसेज लि० (राइट्स) और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० (अरकान) के माध्यम से हो रही है । ये दोनों उपक्रम रेल मंत्रालय के संरक्षण में क्रमशः 1974 और 1976 में स्थापित किये गये थे । राइट्स ने सीरिया, ईरान और नाइजेरिया में नई रेलवे लाइनों के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन के संबंध में परामर्श देने के कार्य किये हैं । अरकान ने ईराक में एक नई रेलवे लाइन बनाने का काम करने के लिए प्रस्ताव किया है । यदि कोई ठेके मिल जाते हैं तो संबंधित देशों के साथ उपयुक्त समझौते किये जायेंगे ।

Thefts at Diesel Shed at Ratlam

†1800. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether brass was stolen in large quantity from the Diesel Shed at Ratlam on the Western Railway during the last month;

(b) whether diesel drums were also stolen from this shed during the last two years; and

(c) if so, the steps taken to check such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) 7 Drums of lubrication oil were stolen on 11-5-75 and 2 drums of mobil oil on 26-6-77 from diesel shed Ratlam valued at Rs. 16,000. All these 9 drums were recovered later.

(c) Adequate security staff has been provided to guard such installations to avoid thefts and pilferages of oil. Surprise checks are also conducted by supervisory staff at fuelling points.

Division Benches of High Courts at State Capitals

†1801. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the States which do not have a Division Bench of the States' High Courts at their capitals and the reasons therefor;

(b) the action being taken by Government to set up a Division Bench of each of the High Courts at State Capitals; and

(c) the criteria or rules normally laid down by Government for setting up a Division Bench of a High Court ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) & (b) The States of Madhya Pradesh and Kerala do not have Benches of their respective High Courts at their capitals. No action has been taken by the Government to set up Benches at the capitals of these two States. Regarding Madhya Pradesh, no proposal for the establishment of a Bench at Bhopal has been made by the State Government.

Regarding Kerala, the State Government of Kerala sent a proposal for the establishment of a Bench of the Kerala High Court at Trivandrum in September, 1971. They were addressed in July, 1973 for completing certain statutory consultations. No reply has been received.

(c) It is difficult to lay down any criteria or rules for setting up Benches. The Law Commission and the High Court Arrears Committee have generally expressed themselves against the establishment of Benches.

विनय मार्ग नई दिल्ली पर रेलवे पुल

1802. **श्री बलबीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि विनय मार्ग, नई दिल्ली पर निर्मित नये रेलवे पुल में बहुत खराबियां हैं और उसको मेड मौसम की पहली वर्षा का भी दबाव सहन नहीं कर सकी ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि पहाड़ियों को ढकने के लिए प्रयोग में लाई गई सीमेंट की सिलें भी दोषपूर्ण थीं और टूट गई थी और पुल की हालत बहुत खराब है; और

(ग) यदि हां, तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए और इस दोषपूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) विनय मार्ग के निचली सड़क पुल के केवल रेल पथ के नीचे का हिस्सा रेल विभाग ने नई दिल्ली नगर पालिका के खर्च से बनाया था । पहुंच मार्गों का निर्माण नई दिल्ली नगर पालिका ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रशन कारपोरेशन के माध्यम से करवाया था । निचले पुल तथा पहुंच मार्गों में कोई गम्भीर दोष नहीं पाया गया है । पिछली मानसून के दौरान भारी वर्षा को पुश्ते ने सफलतापूर्वक सहन किया है और उसमें कोई बड़ी क्षति या दरार नहीं आयी है । नये पुश्तों में पहली वर्षा से मिट्टी का मामूली बैठना तथा छोटे-मोटे कटाव हो जाना स्वाभाविक है लेकिन इनके लिए चिन्ता की कोई बात नहीं है ।

(ख) निचले सड़क पुल के पहुंच मार्गों के पैदल पथ के कुछ प्रीकास्ट आर सी सी स्लैब क्षतिग्रस्त हो गये थे । पुल की बुनियाद काफी मजबूत है और वह खराब हालत में नहीं है ।

(ग) निचले पुल तथा पहुंच मार्गों में कोई गम्भीर दोष नहीं पाये गये हैं अतः जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है । फिर भी किनारों में जहां कहीं मिट्टी बैठी थी उसे ठीक कर दिया गया है । पैदल पथों/नालियों में क्षतिग्रस्त पूर्वनिर्मित आर सी सी स्लैबों की या तो मरम्मत की जा चुकी है/बदला जा चुका है या मरम्मत की जा रही है/बदला जा रहा है ।

बहुराष्ट्रीय औषधि फर्मों द्वारा अनुसन्धान तथा विकास कार्यों पर खर्च

1803. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय औषधि फर्में अनुसन्धान और विकास कार्यों पर अपने लाभ की केवल नगण्य प्रतिशतता ही खर्च कर रही है;

(ख) विनियमों का पालन न करने के क्या कारण है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए तथा ठोस कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि ये फर्म स्वदेशी जानकारी का विकास करने के लिए एक बड़ी सीमा तक योगदान दें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा वर्ष 1973, 1974 और 1975 के दौरान आर० एंड डी० पर खर्च की गई कुल बिक्री की प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1196/77] । इसी प्रकार वर्ष 1976 के लिए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) आर० एंड डी० कार्यकलापों में लाभ की विशिष्ट प्रतिशतता को मालूम करने के लिए अब तक कोई विनियमन नहीं बनाया गया है । सरकार द्वारा औषध के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप इस समय सरकारी लिमिटेड संस्थानों में (जिनमें सी० डी० आर० आई०, एन० सी० एल०, प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ-साथ दो सरकारी क्षेत्रीय एकक अर्थात् आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० शामिल हैं) कार्यान्वित किए जाते हैं । कुछ प्राइवेट

क्षेत्रीय फर्में भी निजी आर० एंड डी० यूनिट रखते हैं । मैसर्स हैक्स्ट, साराभाई, सीवा गोगी, ग्लेक्सो और अन्य कई औषध निर्माता एकक जो नए औषधों के विकास और अच्छी प्रक्रिया प्राप्त करने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, विज्ञान तथा औद्योगिक विभाग के पास पंजीकृत किए गए हैं ।

हाथी समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ औषधों और भेषज उद्योग में आर० एंड डी० के कामों में वृद्धि के लिए कुछ सिफारिशें की हैं । ये सिफारिशें सक्रिय रूप में विचाराधीन हैं ।

New Railway Line from Jabalpur-Lalitpur

†1804. **Shri Laxmi Narain Nayak**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any proposal to the Union Government for laying new railway lines from Jabalpur to Lalitpur via Patna, Damoh, Tikamgarh and from Lalitpur to Satna via Tikamgarh, Chhatarpur, Khajuraho and Panna; and

(b) when the said proposal was received by the Union Government and the action being taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) Yes, a proposal was received in July 1974. However, in view of the limitation of resources and heavy commitments already made it may not be possible to take up surveys for laying the proposed new railway lines at present.

भावनगर तारापुर रेलवे लाइन का निर्माण

1805. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नई भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य अब आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग के साथ परामर्श करके इस परियोजना की और आगे जांच की जा रही है।

कुर्सियोंग रेलवे प्रेस में प्लेटन मशीन

1806. **श्री के० बो० चेतरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग जिले में कुर्सियोंग रेलवे प्रेस में प्लेटन मशीन 1 अगस्त, 1977 से बन्द पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्लेटन मशीन के बन्द रहने से 1 अगस्त, 1977 से 15 नवम्बर, 1977 की अवधि में कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) मशीन चालू करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। चूंकि मशीन चालक को चोट आ गयी थी इसलिए 1-8-77 से प्लेटन मशीन का परिचालन बन्द कर दिया गया और इस दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने का आदेश दे दिया गया है।

(ग) उत्पादन के रूप में 1.85 लाख डबल फुलस्केप छापों की हानि हुई है लेकिन वित्तीय रूप से केवल 50 रुपये की हानि हुई है।

(घ) जांच पूरी हो जाने के बाद मशीन का उपयोग शुरू किया जायेगा।

रेलवे प्लेटफार्मों पर पुस्तकों आदि की बिक्री

1807. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि ब्रिटिश शासन में भारत सरकार ने रेलवे प्लेटफार्मों पर किताब और पत्र-पत्रिकायें आदि बेचने के लिए जिन कुछ व्यक्तियों को इसका एकाधिकार दिया था, वे अब भी यह कार्य कर रहे हैं जबकि वे लोग वास्तविक रूप से काम करने वालों और प्रकाशकों आदि का शोषण कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि इन बुक-स्टालों के मालिक प्रकाशकों को प्रकाशनों में वास्तविक कीमतों से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य छापने के लिए कहते हैं और यहां तक कि उस पर भी 35 प्रतिशत अथवा अधिक कमीशन लेते हैं और वास्तविक कर्मचारियों को $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक नहीं देते हैं और विभिन्न तरीकों से उनका शोषण करते हैं;

(ग) क्या सरकार इस एकाधिकारी व्यवस्था को समाप्त करने और बेरोजगार स्नातकों, हरिजनों को बुक स्टाल देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ग) इस समय भारतीय रेलों पर किसी भी बुकस्टाल ठेकेदार का कोई एकाधिकार नहीं है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार रेलवे स्टेशन के परिसरों में बुकस्टालों की भविष्य के लिए किये जाने वाले आबंटन एक मात्र बेरोजगार स्नातकों, उनकी सहकारी समितियों/संघों/हिस्सेदारों और वास्तविक कार्यकर्ताओं की सहकारी समितियों/स्टेशनों पर बुकस्टालों में पहले से लगे हुए विक्रेताओं के लिए किया जाता है। जो हरिजन स्नातक हैं उन पर भी अन्य स्नातकों के साथ विचार किया जाता है।

(ख) अब तक सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) भाग (क) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Fertilizer Factory in Agra Division

1808. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state whether Government propose to set up a big fertilizer factory in Agra Division in the near future ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): A large sized fertilizer plant at Mathura was envisaged as one of the five fertilizer plants to be set up during the Fifth Plan period. A Feasibility Report for setting up this project based on naphtha as feedstock was also submitted to Government. However, the project could not be taken up for implementation due to the severe constraint on resources. In the context of availability of associate/free gas from the Bombay High and Bassein structures and in Assam, priority is now being accorded for setting up additional fertilizer capacity based on gas.

निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

1809. **श्री अनन्त दवे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचक नामावलियों का गहन रूप से पुनरीक्षण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) वर्ष 1977 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां घर-घर गणना करने के पश्चात् पुनरीक्षित की गई थीं । पुनरीक्षण के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों को वर्ष 1977 के सितम्बर और अक्टूबर मास की विभिन्न तारीखों को प्रकाशित किया गया था । निर्वाचक नामावलियों के साधारण सघन पुनरीक्षण कराने का अब कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Conversion of Sonepur-Lucknow Railway Line

†1810. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the implementation of the scheme of conversion of main metre gauge railway lines into broad gauge lines on North Eastern Railway and when the scheme for conversion of Sonepur-Lucknow line is likely to be completed;

(b) whether the branch lines, such as Sonepur, Pahlejaghat, Muzaffarpur-Narkatiaganj, Samastipur-Darbhanga-Narkatiaganj, Sivan-Gorakhpur (loop line) are also proposed to be converted into broad gauge and if so, the time by which work is likely to commence on each of these lines; and

(c) the manner in which coaches, wagons, engines, etc. of the metre gauge lines are proposed to be utilized after the above conversion when they will be rendered surplus ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Out of a total 587.27 Kms., conversion of 111 Kms. long Samastipur-Sonpur section has already been completed and opened for BG traffic. About 47% of the work has been completed and by March 1978 the overall progress will be about 55%. With the present level of allotment of funds, conversion of the remaining 476 Kms. long MG section between Sonpur and Barabanki is expected to be completed during 1980-81.

(b) It is proposed to provide mixed gauge over the Sonpur-Palezaghat section. Gauge conversion of Samastipur-Darbhanga line is an approved work. The report on the final location engineering survey-cum-traffic reappraisal for this line has been received recently and is under examination. A survey for the gauge conversion of Muzaffarpur-Sagauli-Narkatiaganj was carried out in 1969-70. Gauge conversion of Siwan-Gorakhpur line is not considered necessary at present as this will be an essential link in the east-west metre gauge route after the gauge conversion of Barabanki-Samastipur line.

(c) As and when rolling-stock are released they will be shifted to other metre gauge lines for utilisation.

रेल मार्ग के विद्युतिकरण की प्रगति कम होना

1811. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962--72 के बीच 2,305 किलोमीटर लम्बे रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था जबकि वर्ष 1973--77 के बीच केवल 780 किलोमीटर लम्बे रेल मार्ग का ही विद्युतीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेल मार्ग के विद्युतीकरण की प्रगति में इतनी अधिक कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1967--69 के बीच औसतन 350 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था; वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किस हिसाब से हुआ था ;

(घ) क्या रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किये जाने से (एक) हाई-स्पीड डीजल तेल पर होने वाला खर्च बच सकता है (दो) रोजगार की सम्भावना बढ़ सकती है और (तीन) प्रति वर्ष औसतन लगभग 60 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) क्या योजना आयोग रेल विद्युतीकरण का विरोध कर रहा है और तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) बिजलीकरण में तेज गति प्राप्त करने में धन की अनुपलब्धता प्रमुख रुकावट रही है।

(ग) 1957 और 1969 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 227 किलोमीटर रेल मार्ग को बिजली कर्षण के अन्तर्गत लाया गया था । 1976-77 के दौरान रेलवे लाइन के 64 किलोमीटर रेल मार्ग को बिजली कर्षण के अन्तर्गत लाया गया जबकि 1977-78 में किसी खंड को बिजलीकरण की संभावना नहीं है।

(घ) (i) और (ii) जी हां । (iii) जो रकम बचेगी वह बिजलीकारण तथा यातायात के घनत्व पर निर्भर करेगी ।

(ङ) जी नहीं।

325 अप वर्दवान-साहिब गंज पैसेन्जर गाड़ी की टक्कर

1812. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 325 अप वर्दवान-साहिबगंज पैसेन्जर गाड़ी 14 अक्टूबर, 1977 को स्वादीनपुर रेलवे स्टेशन पर एक माल गाड़ी से टकरा गई थी और यदि हां, तो हताहत होने वालों की अलग-अलग संख्या क्या थी और इस बारे में वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां । इस दुर्घटना में 17 व्यक्ति घायल हुए । इसके अतिरिक्त 31 व्यक्तियों को मामूली चोटें जैसे खरोंच, आदि आईं ।

इस दुर्घटना के कारणों की छानबीन करने के लिए जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

(ख) चूंकि अधिकांश दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की चूक के कारण ही होती हैं, अतः 24 अक्टूबर, 1977 से एक राष्ट्रव्यापी संरक्षा अभियान चलाया गया है ताकि गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों में संरक्षा चेतना जागृत हो तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों का उल्लंघन न करें तथा छोटे रास्ते और असुरक्षित तरीके न अपनायें । मानव तत्व पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से विभन्न प्रकार के परिष्कृत उपस्करों जैसे पहियों, धुरों और पटरियो की खराबी बताने के लिए पराश्रव्य त्रुटि संसूचक रेल पथ परिपथन, स्वचल चेतावनी प्रणाली आदि का उत्तरोत्तर प्रवर्तन किया जा रहा है ।

Bikaner State Railway

†1813. **Shri Daulat Ram Saran** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether any agreement was entered into when the Bikaner State Railway was taken over by the Indian Railways and whether a copy of the agreement will be laid on the Table of the House;

(b) the amount of terminal tax of the Bikaner State Railway received by the Ministry at the time of taking over and the amount of terminal tax still lying with the Railway department;

(c) how the amount of terminal tax was to be utilised and whether it was utilised accordingly; and

(d) if so, the details of amount deposited and expenditure incurred ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) No agreement was entered into in this regard.

(b) Nil.

(c)
(d) } Does not arise.

सरकारी काउन्सेलों की नियुक्ति के बारे में शिकायतें

1814. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउन्सेलों और वरिष्ठ काउन्सेलों की नियुक्ति, ब्रीफों के वितरण और पारिश्रमिक के बारे में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के पैनल के एक स्थायी काउन्सेल से अपर्याप्त फीस और ब्रीफों के वितरण के बारे में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है । उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थायी काउन्सेल की नियुक्ति के बारे में कोई अन्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रथम श्रेणी के मानार्थ रेलवे पास

1815. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रथम श्रेणी के मानार्थ रेलवे पास जारी करने के लिए सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे पास जारी करने के बारे में सरकार का विचार कोई नई नीति निर्धारित करने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) मानार्थ पास जारी करने के बारे में सरकार ने मोटे तौर पर निम्नलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धांत पहले ही निर्धारित कर दिये हैं :--

(1) सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेल-कूद एवं शैक्षणिक क्रियाकलापों से सम्बद्ध संस्थाएं और संगठन जिनका कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय स्तर का है।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े और उपेक्षित समुदायों, महिलाओं, अंधों और अपंग व्यक्तियों आदि के कल्याण से सम्बन्ध संगठन।

(3) राष्ट्रीय महत्व के काम में लगे वे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें अपने काम के सम्बन्ध में बार-बार यात्राएं करनी पड़ती हैं।

Scarcity of oils (Petroleum Products) in Country

1816. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the names of the oils (petroleum products) of which scarcity is being experienced in the country at present;

(b) State-wise scarcity of the oils indicating the name of the oil which is in greater scarcity in each State and whether efforts are also being made by Central Government to import oil from abroad to meet this scarcity; and

(c) If so, the name of the oil and the country-wise quantity thereof proposed to be imported ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) to (c) There is no general shortage of any petroleum product excepting liquefied petroleum gas (LPG) and paraffin wax in respect of which some scarcity is being experienced. In the case of liquefied petroleum gas, the demand is far in excess of the availability of the product. However, the gas refill requirements of existing customers are generally being met in full. In the case of temporary shortages of liquefied petroleum gas, import of spiked crude to the extent possible from free foreign exchange sources is allowed. Paraffin wax, which is produced mainly in the Digboi Refinery of Assam Oil Company, is not adequate to meet the demands. Hence, canalised import of paraffin wax has been permitted under the import policy for 1977-78. Import of a quantity of 600 metric tonnes of paraffin wax from free foreign exchange sources has been firmed up so far during the current financial year.

The total demand for petroleum products in the country for the year 1977-78 which is estimated to be about 26 million tonnes is expected to be met by indigenous production of crude of about 10.8 million tonnes, import of about 14.3 million tonnes of crude and around 2.5 million tonnes of product imports.

The sources of import are generally as under :

Item	Sources of import
Crude oil	Persian Gulf countries against free foreign exchange; and USSR under rupee payment arrangements.
High Speed Diesel and Kerosene Oil	USSR under rupee payment arrangements and from Persian Gulf countries against free foreign exchange.
Other products	From free foreign exchange sources.

उड़ीसा के लोगों का अभ्यावेदन

1817. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उड़ीसा के लोगों तथा उड़ीसा सरकार से सितम्बर, 1977 में उनके उड़ीसा दौरे में कोई अभ्यावेदन मिला था; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँग क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) उड़ीसा सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार के मंत्रियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ अभ्यावेदन अलग-अलग व्यक्तियों से भी प्राप्त हुए हैं।

(ख) सितम्बर, 1977 में अपने उड़ीसा के दौरे के दौरान रेल मंत्री को उड़ीसा सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों में जो विविध माँगें प्रस्तुत की गयीं थीं, वे नीचे दी गयी हैं :--

1 जाखापुरा--बाँसपानी रेल सम्पर्क।

2 रुपसा-बाँगरीपोसी छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलना और उसका विस्तार।

3. भुवनेश्वर के पास मांचेश्वर में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना।

4. हावड़ा-मद्रास मुख्य लाइन के नरमुंडी और बारंग खंड के बीच केन्द्रीयकृत यातायात नियंत्रण की व्यवस्था।

5. (क) खुर्दा रोड-बालनगिर (ख) कोरापुट रायगदा गुनपुर--ब्रह्मपुर नई रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण।

6. नवरंगपुर-पारलाकिमंडी-गुनपुर छोटी लाइनों में सुधार, इसका बड़ी लाइन में बदलाव और बिस्सामकटक/रायगडा तक विस्तार।

7. पुरी/भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए खड़गपुर, आद्रा, आसनसोल और वाराणसी, मुगलसराय के रास्ते एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाना।

8. पुरी/भुवनेश्वर और बम्बई के बीच थुरू सवारी डिब्बों वाली एक तेज एक्सप्रेस गाड़ी चलाना।

9. कटक-पारादीप लाइन पर अतिरिक्त यात्री हाल्टों की व्यवस्था।

10. कटक स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन।

11. अन्य स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं।

12. भुवनेश्वर में पर्यन्त सुविधाओं की व्यवस्था।

13. उड़ीसा में एक नये रेलवे मंडल की स्थापना।

14. भुवनेश्वर में दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए एक रेल सेवा आयोग की व्यवस्था।

15. भुवनेश्वर में एक रेल समन्वय निदेशालय की स्थापना।

16. टाटानगर-बड़ाजामदा सवारी गाड़ी का चालन क्षेत्र उड़ीसा के किंझार जिले में बारबिल तक बढ़ाना।

17. द०बो०कि० रेलवे पर यात्री और वाणिज्यिक माल यातायात को ढलाई।

18. टिटिलागढ़-सम्भलपुर खंड पर बोलनगिर-सोनपुर रोड पर बोलनगिर समपार पर और चेरुपाली पर हाल्ट स्टेशन खोलना और लोर्मसिघा स्टेशन पर टाटा मद्रासएक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था।

19. उड़ीसा में भुवनेश्वर और बोलनगिर के बीच एक रेल सम्पर्क की व्यवस्था।

20. दक्षिण पूर्व रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में टिटिलागढ़ व्यापारी संघ के प्रतिनिधि का नामन।

21. उड़ीसा में सम्भलपुर और सम्भलपुर रोड स्टेशन के बीच गोपालमल में ऊपरी पुल का निर्माण।

इन मांगों पर ब्यौरेवार विचार किया जा रहा है।

सार्वजनिक जमा खातों वाली कम्पनियों का परिसमापन

1818. **श्री दलबेव सिंह जसरोतिया :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होंने जनता से धन इकट्ठा किया था और जो अब सरकारी परिसमापक के अधीन परिसमापना वस्था में हैं; उन्होंने कितना धन जमा किया और वे किस तिथि से परिसमापन में हैं ;

(ख) छोटे जमाकर्ताओं के लम्बित दावों की वास्तविक राशि क्या है और जमाकर्ताओं को वास्तव में कितनी धनराशि वापस अदा की जा चुकी है ;

(ग) सरकार ने छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या विशेष उपाय किये हैं;

(घ) क्या सरकार ने छोटे जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि पिछली सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो क्या नई सरकार का छोटे जमाकर्ताओं को सहायता करने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1197/77]**।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत, गैर-बैंकिंग 'गैर-वित्तीय कम्पनियां' जनता से केवल उक्त नियमों में वर्णित सीमा तक जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं। इस प्रकार की कम्पनी जब तक अपनी वित्तीय स्थिति, निदेशक मंडल की संरचना, तथा वह उद्देश्य जिसके लिए जमा धन का प्रयोग किया जाना है, के साथ-साथ सूचना देते हुए विज्ञापन प्रेषित नहीं करती, तब तक वह जमा धन आमंत्रित नहीं कर सकती।

(घ) तथा (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, तथा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के उल्लंघन करने की चूकों के लिए उचित मामलों में गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों तथा उनके अधिकारियों के विरूद्ध मुकदमे दायर किये जाते हैं।

तेल खोज के लिये स्थलों का पता लगाने की योजना

1819. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल की खोज के लिए और अधिक स्थलों का पता लगाने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वे स्थल कौन से हैं और उन पर कितना खर्च किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख) भू-भौतिकीय प्राथमिकताओं के आधार पर पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य को भूमि और समुद्र तट के अन्दरूनी क्षेत्रों में आरम्भ किया जाता है। इस समय इस प्रकार का कार्य, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में तथा देश के विभिन्न समुद्र तट के अंदरूनी क्षेत्रों में चल रहा है। यह कार्य लगातार चलने वाली प्रकृति का है; और इसके खर्चे का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

बम्बई हाई गैस के विदोहन के लिए उर्वर संयंत्र

1820. **श्री एस० के० शारदा** : क्या **पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई हाई गैस के विदोहन के लिए अद्यतन उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु विदेशी कम्पनियों को बुलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इन संयंत्रों की स्थापना के लिए भारतीय उर्वरक निगम की अवहेलना की जा रही है जबकि यह संगठन आसाम में गैस पर आधारित बहुत बड़े संयंत्र नामरूप संयंत्र का पहिले ही संचालन कर रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र : (क) और (ख) बम्बई हाई गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये केवल उतनी प्रौद्योगिकी और विदेशी सहायता के आयात की व्यवस्था की जायेगी जितनी भारत में उपलब्ध नहीं हो।

ऐजेंसियों के माध्यम से मंगाने के कारण औषधियों के ऊंचे मूल्य

1821. **श्रीमोती भाई आर० चौधरी** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधियां ऐजेन्सियों के माध्यम से मंगाये जाने के कारण उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर मिलती हैं, क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ऐजेंसियों के माध्यम से मंगाई जाने वाली औषधियों के साथ इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेंस्युटिकल्स लिमिटेड अपनी बनाई हुई अन्य औषधियां भी वितरित करता है;

(ग) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड की औषधियों के मल्यों के सम्बन्ध में कोई लागत एवं तकनीकी जाँच की गई है, यदि हाँ, तो ऐसी मदों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इंण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड ने किन मामलों में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों का उल्लंघन किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) सारणीबद्ध प्रपत्र औषधों के आयात को स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटीकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (सी पी सी) द्वारा विदेशी निर्माताओं से आमन्त्रित कोटेशनों के आधार पर प्रतियोगी मूल्यों पर व्यवस्था की जाती है। देश की आवश्यकताओं और पहले के विभिन्न स्रोतों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक उपभोक्ताओं

के आयात मूल्यों में विभिन्नताओं को भी ध्यान में रख कर सारणीबद्ध औषधी की सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है। कुछ सारणीबद्ध औषधों के मूल्यों में प्रतियोगिता और विभिन्नता के बारे में स्थिति निम्नलिखित सारणी में दिखाई देगी।

क्रम सं०	औषध का नाम	1977-78 के दौरान आयात की मात्रा (आयोजित) मी० टन	सी०आई०एम० मूल्य जिस पर सरणीबद्ध से पहले वास्तविक/आयात कर्ताओं द्वारा आयात किया गया था	सी०पी०सी० के जरिए सारणीबद्ध के बाद आयात का सी आई एफ मूल्य
1	2	3	4	5
1.	इन्डो मेथासीन	8	4320	364.83
2.	ट्रीमेथोसिन	2	2060	561.34
3.	जेन्टामीसिन	0.1	70180	3537S.00
4.	डाक्सी साइकविन	1	2037	1608.88
5.	मैट्रैनीडा जोल	20	125 से 250 तक	152.00

आयातित सारणी बद्ध औषध के बिक्री मूल्य, सी०सी०आई० एण्ड ई० का फार्मूला जिस पर अन्य बातों के साथ-साथ अवतरित मूल्य पर 4 प्रतिशत के वितरण प्रभार और सी आई एफ मूल्य पर 3 प्रतिशत का सारणीबद्ध एजेन्सियों के लिए लाभ की व्यवस्था है, के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए मूल्यों में ये भार शामिल हैं। जब कि वास्तविक उपभोक्ता से प्रभार बचा सकता है यदि वह सीधा आयात करता है और सारणी बद्ध योजना, प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कोटेशनों पर एक समान मूल्यों पर वास्तविक उपभोक्ताओं को सारणीबद्ध औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। यह भी उलिखित है कि सारणीबद्ध ऐजेन्सियों को भी सरणी बद्ध औषधियों के बारे में विषय सूचियों को लगभग 2/3 महीने रखना चाहिए ताकि आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। कुछ औषधियों के बारे में देशीय उत्पादन और आयातों के बीच में पुलिंग मूल्य की पद्धति भी अपनानी पड़ेगी और वह संभव न हो पाएगी यदि वास्तविक उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए सीधे आयात की अनुमति दी जाएगी।

सी पी सी केवल विदेशों से, उन औषधी के निर्माताओं से सरणीबद्ध औषधों के आयात की व्यवस्था करती है जबकि वास्तविक उपभोक्ता पोतधारियों से (शिपर्स) जो कभी कभी अपना अल्प कालिक स्टाक सस्ते मूल्यों पर बेच लेते हैं से भी इन औषधियों का आयात कर सकते हैं।

उपरोक्त कारणों के कारण आयात की सरणीबद्ध योजना बड़ी हद तक जनहित की पूर्ति करती है।

(ख) सरणीबद्ध प्रपुंज औषधें मैसर्स इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि० (आई डी पी एल) के वितरण और उत्पादन के क्षेत्र में आगे हैं।

इनके अतिरिक्त कई अन्य प्रमुख औषध हैं जो आई डी पी एल द्वारा निर्मित किए जाते हैं और ये गैर संगठित सूत्रकार्य कर्ताओं में बेचे जाते हैं यद्यपि आई डी पी एल केवल अपने द्वारा वितरित सरणीबद्ध मदों के लिए तिमाही आर्डर जारी करता है और न कि अन्य गैर समबद्ध मद जो गैर-संगठित सूत्रयोग कर्ताओं को बेचे जाते हैं।

(ग) आई डी पी एल द्वारा निर्मित निम्नलिखित प्रपुंज औषधों के मूल्य समय-समय पर लागत व तकनीकी जांच के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

1. पैंसेलिन
2. टेट्रासाइकलिन/आक्सी टेट्रासाइक्लिन
3. स्ट्रैप्टो माइसिन
4. सोडियम पी ए एस
5. सल्फा डी माइ
6. सल्फा डी माइडीन
7. फेना सेटिन
8. डी फेनीलकार वेसीइटे
9. मेटाजोल (अलाजिन)
10. फैनोबार बीटोन
11. बिटामिन-बी-1
12. सल्फासे टामिड
13. निकोटीना माइड
14. निकोटीनिक एसिड

निम्नलिखित प्रपुंज औषधों के बारे में या तो आई डी पी एल के घोषित मूल्य स्वीकार किए गए हैं अथवा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अंतर्गत निर्धारित फार्म-1 में अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त करने के बाद मूल्य मंजूर किए गए हैं।

1. फैलिक एसिड
2. विटीमिन-बी-2
3. पाइप्रा जाइन फास्फेट
4. पाइप्रा जाइन फास्फेट
5. एमीडो पी राइन
6. पाइप्रा जाइन सीटेट
7. एसेटा जोला माइडा
8. सल्फा मैथा जोल
9. फिथा लियल सल्फाथिया जोल
10. मैट्रोनिडा जोल

(घ) दो मामले ऐसे है जहां आई डी पी एल द्वारा लिए गए मूल्यों का संशोधन किया गया था।

1. विटामिन-बी-1 का पृष्ठ मूल्य 10-9-1974 को 592.48 रुपये प्रति कि०ग्राम निर्धारित किया गया था जो सभी प्रकार के औषधों के लिए 620.76 रुपये प्रति किलो ग्राम के देशी मूल्य पर आधारित था। तदनरूपी 10 फरवरी 1975 को देशी मूल्य 666.31 रुपये प्रति कि०ग्रा० तक संशोधित किया कया था । चूंकि 1975-76 के दौरान विटामिन -बी-1 के किस्मों में से एक अर्थात थाइमादन मोनीट्रेट का आयात नही हुआ था, आई डी पी एल ने 660.41 रुपये प्रति कि०ग्राम के देशी मूल्य लेने आरम्भ किए थे। औषधनिर्माता एकक के अभ्यावेदन पर वी आई सी पी के साथ परामर्श से मामले की जांच की गई थी और आई डी पी एल को थायामाइन मोनोनीट्रेट सहित सभी किस्मों के लिए 592.48 रुपये प्रति कि०ग्राम० लेने की सलाह दी गई थी इस बीच में उनके द्वारा लिए गए विभिन्न मूल्यों को वापस करने के लिए भी उन्हें सलाह दी गई थी।

2. आई डी पी एल ने मध्य वर्ती के रूप में ट्रीटिंग पोटेशियम पैंसिलिन जी प्रथम क्रायस्टल की 470 रुपये प्रति वीयू तक बेचना आरम्भ किया था इस मध्यवर्ती का मूल्य, 21-2-1976 से अन्यों को बेचने के लिए वी आई सी पी के साथ परामर्श से अब 431 रुपये प्रति वीयू पर अधिसूचित किया गया है। उसके बाद आई डी पी एल सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य ले रही है।

Nationalisation of Drug Manufacturing Companies

1822. **Shri Brij Bhushan Tiwari** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to nationalise drug manufacturing companies in order to check the manufacture of spurious drugs and increase in prices of the drugs in the country; and

(b) if so, when it is likely to be implemented ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguana) : (a) and (b) No proposal for the wholesale nationalisation of drug industry is under consideration.

Quality control on drugs is exercised under the provisions of the Drugs & Cosmetics Act, 1940. This Act is administered by the State Drugs Controllers. The Hathi Committee have made recommendations for the strengthening of the organizations in the States. This is under active consideration of Government.

The price control on drugs is exercised under the Drugs (Prices Control) Order, 1970. Drug manufacturing units having turnover not exceeding Rs. 50 lakhs are exempt from obtaining price approvals for formulations. Since prices are statutorily controlled under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 1970 manufacturers are not free to increase the prices unilaterally.

देश में उर्वरकों का उत्पादन

1823. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या यह हमारे देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार उर्वरकों के स्टाक की इस कमी को अपने ही संसाधनों से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) वर्ष 1977-78 के दौरान न्यूट्रियेंट्स के बारे में देशी उत्पादन तथा उर्वरक की मांग का अनुमान निम्न प्रकार से है :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

	एन	पी	के
उत्पादन	22.00	7.00	पोटाश (के) का कोई उत्पादन नहीं हुआ है।
मांग	29.92	8.19	4.81

(ग) क्योंकि देशी उत्पादन मांग से कम रहा, कमी को पूरा करने के लिए आयात किया गया है।

Companies engaged in oil drilling near Bombay High

1824. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the quantity of petroleum and gas reserves found and likely to be found during the oil drilling operations near Bombay High;

(b) the name of the company which is doing oil drilling and whether a part of the income from the oil bearing areas is being demanded by the Maharashtra Government from the Central Government; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) It will not be in public interest to disclose this information.

(b) ONGC is doing oil drilling in Bombay High area with its own rig Sagar Samrat and three other rigs hired from Atwood Oceanics of USA and Viking Offshore of Norway. Central Government has not received any proposal from the Government of Maharashtra demanding a part of the income from the oil-bearing areas.

(c) Does not arise.

भारतीय उर्वरक निगम तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए विदेशों से इंजीनियरी सामान की खरीद

1825. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय तथा इसके भिन्न संगठनों, यथा, उर्वरक निगम, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आदि के लिये विदेशों से खरीदे गये इंजीनियरी सामान का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसी कितनी खरीदों के लिये सरकारी उपक्रम रिचर्डसन एण्ड क्रुडास से पूछताछ की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) पांच उपक्रमों, अर्थात् इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि०, पाइराइट्स

फोस्फेट एण्ड कैमिकल्स लि०, हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, से संबंधित सूचना और फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० से संबंधित आंशिक सूचना परिशिष्ट पर दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1198/77]

शेष उपक्रमों, अर्थात् मद्रास फर्टिलाइजंस लि०, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० से संबंधित सूचना और फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० से संबंधित शेष सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा अन्य उपक्रमों से संबंधित सूचना भी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

नत्रजन (नाइट्रोजन) उर्वरक का जमा होना

1826. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों के पास नत्रजन (नाइट्रोजन) उर्वरकों के भारी स्टाक जमा हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 30 सितम्बर, 1977 तक उनकी कुल कितनी मात्रा जमा हो गई थी;

(ग) उनके जमा हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस जमा हुए स्टाक को समाप्त करने तथा किसानों को उर्वरकों की सप्लाई को सहज बनाने के उद्देश्य से देश भर में इन उर्वरकों के आने जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) 1-10-1977 को निर्माताओं के पास नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का 73,000 मी० टन का स्टाक था जो अधिक नहीं है ।

(घ) जी, नहीं । उर्वरकों के अन्तर-राज्य यातायात पर उर्वरक यातायात नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्ध इस आशय से लगाये गये थे कि राज्य सरकारों को देशीय और आयातित दोनों प्रकार के उर्वरकों का आबंटन करने के लिये एक समन्वित योजना बनाने में सुविधा हो । रेलवे और निर्माताओं के परामर्श से बनाई गई सप्लाई योजना, राज्य सरकारों को उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा की सप्लाई इस ढंग से सुनिश्चित करती है जिससे दूर तक ढुलाई करने और कठिनाई से यातायात करने की आवश्यकता नहीं होती है । अतः समन्वित योजना बनाने से उर्वरकों को रेल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लाने ले जाने में सुविधा होती है, और किराया कम लगता है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कर्मचारी मजदूर सभा द्वारा शेष बोनस के लिए अपील

1827. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कर्मचारी मजदूर सभा की ओर से वर्ष 1975-76 के लिए शेष बोनस के बारे में न्याय के लिए अपील प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मांग की न्यायसंगतता क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) ओ० एन० जी० सी० कर्मचारी मजदूर सभा से प्राप्त अपील के अनुसार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में उपलब्धियां होने तथा उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, उद्योग की माली हालत ठीक न होने और स्वदेशी अशोधित तेल का कम मूल्य निर्धारित किये जाने के कारण (अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में) जिसके फलस्वरूप आवंटन हेतु पर्याप्त अधिशेष नहीं बचता, कर्मचारियों को अधिकतम बोनस नहीं मिल पाता।

(ग) इस सम्बन्ध में मजदूर संगठन तथा ओ० एन० जी० सी० के प्रबन्धकों के बीच एक समझौता हो गया है।

Right to work

†1828. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether in the context of economic policy the right to work to all has been accepted in the Janata election manifesto;

(b) whether Government propose to implement the same and if so, whether steps have been taken to bring amendments in the Constitution in this direction;

(c) the difficulty being encountered by Government in implementing this right now; and

(d) whether any talks have been held with the leaders of opposition parties in this regard and if not, whether it is proposed to do so ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Narsingh Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) At present, there is no proposal before Government to incorporate the right to work in the Constitution.

Natural Gas in Bhagalpur District

1829. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that natural gas has been found near Kahal village in Bhagalpur district;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in regard to its exploitation, research and utilisation thereof;

(c) whether Government would seek cooperation in this work of the scientists of the Department of Chemistry of Bhagalpur University, who discovered gas there; and

(d) whether he has visited Kahal village and if not, whether he would do it in the near future ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a), (b) and (c): No show of natural gas has been reported near village Kahal in Bhagalpur district. However, gas shows had been reported near village Subatola which is situated approximately 14 Km North-East of village Kahal in Bhagalpur District. These shows of gas were investigated by the Geologists of the ONGC in January/February, 1977. Further action for conducting exploratory drilling in the area to assess the presence of hydrocarbons is being taken by the ONGC.

Normally, it would not be necessary for ONGC to seek any cooperation in this regard. However, if necessary, the ONGC would not hesitate to seek any cooperation including that of the Scientists in the Department of Chemistry of Bhagalpur University.

(d) Does not arise.

भारतीय रेलवे में रोजगार प्रदान योजना

1830. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 और 1978-79 में भारतीय रेलवे में रोजगार प्रधान योजना लागू करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भारतीय रेलें अपने विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत विविध परियोजनाएं/योजनाएं शुरू करती हैं जिससे कि उस प्रत्याशित यातायात को सम्हाला जा सके जिसके विशेष कालान्तर में होने की कल्पना की गयी है । इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं की विभिन्न योजनाशीर्षों जैसे चल स्टाक, कारखाने व शेड, लाइन क्षमता के काम, नयी लाइनें, बिजलीकरण, रेलपथ का नवीकरण आदि के अधीन सूत्रबद्ध किया जाता है । इन कार्यक्रमोंयो/जानाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान और उसके बाद रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होते हैं । यद्यपि रेलें केवल रोजगार देने के उद्देश्य से ही रोजगार उन्मुख विशिष्ट स्कीमें नहीं चलाती हैं, वे वर्ष 1977-78 के लिए अपने विकास कार्यक्रमों के अधीन परियोजनाओं/योजनाओं को साथ-साथ क्रियान्वित कर रही हैं और वर्ष 1978-79 के लिए परियोजनाओं/योजनाओं को योजना आयोग के परामर्श से सुत्रबद्ध कर रही हैं ।

T.B. Ward of Railway Hospital, Gangapur City

†1831. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the T.B. Ward of Railway Hospital, Gangapur City (Kota—Western Railway) is situated near the out-door patients room of the Hospital as a result of which there is every likelihood of the out-door patients being infected by T.B.;

(b) whether many employees have made complaints in this regard;

(c) whether there are two rooms in the backyard of the Hospital which can be converted into a T.B. Ward at a very small cost;

(d) if so, whether Government propose to shift the T.B. Ward in the backyard of the hospital if so, when;

(e) whether an ambulance has not been made available to the Hospital though necessary sanction was accorded therefor, if so, the reasons therefor; and

(f) the time by which the ambulance will be made available to the Hospital and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No. The ward is in a building near the dispensary.

(b) Some representations received in this connection had been considered.

(c) No suitable rooms are available.

(d) Does not arise as T.B. patients are not considered likely to spread disease in the given situation in the light of the modern knowledge.

(e) No ambulance has been made available to the Railway Hospital at Gangapur City and no sanction for the procurement of an ambulance has been accorded.

(f) There is no proposal pending with the Railway Ministry for provision of an ambulance at Gangapur City as there is comparatively no justification at present to have an ambulance at this place.

Railway Crossing near Power House in Gangapur City

†1832. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the gate of the railway crossing near power house in Gangapur City (Kota—Western Railway) often remains closed;

(b) whether a railway colony is situated on both the sides of the railway line near the said station;

(c) whether on one side of the gate there is local railway hospital and on the other side of the gate are situated Railway Station, loco-shed and more than half of the railway colony as a result of which an ambulance or other vehicles in emergent cases find it difficult to cross it immediately;

(d) whether the people have to depend on this gate only as the railway culvert situated on the other side of the station is not fit for traffic like jeep; and

(e) Whether Government propose to make this crossing a manned crossing or an automatic crossing if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) There is no level crossing meant for public vehicular traffic at this location. There is only a pedestrian crossing which is meant essentially for the use of railway staff. The gate of this crossing have to be closed frequently as it is located in a passenger yard.

(b) The main railway colony is situated on the east of the railway lines, while a small number of staff quarters are situated on the other side i.e., to the west.

(c) No. The Railway Hospital and the main staff colony are situated on the same side and the loco-shed and the Station building on the other side of the railway tracks. In case of emergency, use of pathway by light vehicles including ambulances is permitted.

(d) No. Light vehicles can make use of Railway Bridge No. 382 to the north of the station. Pedestarins can also make use of the foot overbridge to cross the lines.

(e) No. It is not feasible to provide a regular level crossing fit for vehicular use at this location.

पेरूंगुझी रेलवे स्टेशन का कार्यकरण

1833. **श्री बयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरूंगुझी रेलवे स्टेशन ने अभी सरकारी तौर पर कार्य करना आरम्भ नहीं किया है हालांकि स्टेशन की बिल्डिंग पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है और सरकार का विचार उस स्टेशन में सभी अपेक्षित सुविधायें कब उपलब्ध कराने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) पेरूंगुझि हाल्ट स्टेशन, जिसे 23-6-75 से एक फ्लैग स्टेशन में बदल दिया गया था, का प्रबन्ध वहां आवासीय स्थान उपलब्ध न होने के कारण विश्राम दाता कर्मचारियों को तैनात करके विभागीय रूप से किया जा रहा है । रेल मंत्री जी को सम्बोधित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें बहुत से प्रश्न उठाये गये थे और नियमित आधार पर कर्मचारियों को तैनात करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, प्रकाश की व्यवस्था, पटरी स्तर का प्लेटफार्म, लोहे के तार लगाना, शुष्क शौचालय, बेन्चों आदि जैसी सुविधाओं सहित स्टेशन की एक नयी इमारत की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है । अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होने वाले यातायात के औचित्य के अनुसार तथा धन उपलब्ध होने पर की जायेगी ।

Operation of Railway Steamers in Barari-Mahadeopur

†1834. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether private steamers are operated along with railway steamers in Barari-Mahadeopur, Mahendru-Palezaghat, Sakri-Manihari Ghats, (N.E.R.) and if so, the necessity thereof;

(b) whether Government are aware of the minimum distance between the stopping points of railway steamers and private steamers and whether these private steamers are kept at that distance;

(c) whether Railways suffer loss as a result of operation of private steamers along with railway steamers in the same ghat, because private companies charge less fare than that charged by Railwys and so the passengers prefers to travel by the private steamer and if loss is suffered whether Government propose to cancell the licences given to private companies; and

(d) whether a complaint about collision of private steamer just near the railway steamer at Bararighat-Mahadeopur ghat in Bhagalpur has been received and if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, private steamers are being operated under licence from the Bihar State Government. Railways are permitted to carry only through passengers either to or from railway stations. For Ghat to Ghat service the State Government have given licences to private operators.

(b) According to Section 16 of the Bengal Ferries Act, 1885, a private ferry service should not operate within two miles of the public ferry without the sanction of the State Government. Since private steamers at all the points have been licensed by the State Government, they are treated as public ferries and the statutory limit is, therefore, not applicable.

(c) Yes, the Railways are sustaining a recurring loss in maintaining these ferry services. The cancellation of the licences of private ferry operators is not within the competence of the Railway Adminitration, as these have been awarded by the Bihar State Government.

(d) No.

M/s. Nalikool Private Limited

1835. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date of inception of the concern M/s. Nalikool private Ltd. Nalikool, District Hooghly and the names of its directors;

(b) whether one of the directors of the said company was not informed of any meeting and annual general meeting of the company and he was removed from office of company's directoship in an illegal manner;

(c) whether a notice about the balance sheet and the meeting of the company for 1976 was not issued to the company's shareholders and whether the said company did not submit its returns and balance sheet in time; and

(d) if so, the action taken by Government in this connection?

Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) M/s. Nalikool Private Limited having its registered Office at 2, India Exchange Place Calcutta-1 was registered on 26-6-1959. According to latest documents filed by the company the following persons are directors.

1. Shri Khamkaran Bhuteria

2. Shri Shobhag Bijoy Singh Dugar

3. Shri Sardul Singh Jain

4. Shri Bingraj Giria

5. Shri Rajendra Kumar Bothra

(b) Shri N.M. Gandhi one of the ex-directors had complained *inter-alia* that no Board Meetings and Annual Genral Meeting of the company are being held for the last 9 months. On enquiry the company has intimated that Board of Director's meetings are regularly held. Annual General Meeting of the company was held on 28-6-1977 after circulating the notice of meeting to all members. Shri N.M. Gandhi was not re-elected as director in the Annual General Meeting held on 28-6-1977.

(c) & (d) The company has replied that accounts were circulated among the shareholders of the company on 4-6-1977 and Annual General Meeting was held on 28-6-1977. There is no contravention in laying the balance sheet as at 31-12-1976 at the Annual General Meeting held on 28-6-1977. However there has been delay in filing the said returns with the Registrar of Companies, Calcutta for which additional fee in terms of section 611 (2) of the Companies Act is proposed to be charged.

हिमाचल प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं

1836. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय हिमाचल प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधाओं के बारे में कोई सावधिक सर्वेक्षण करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में आखरी बार कब सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में 1977-78 वर्ष के दौरान प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर क्या-क्या यात्री सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1977 में मंडलीय रेल उपयोक्ता समिति की हुई पिछली बैठक में ।

(ग) 1977-78 के दौरान निम्नलिखित यात्री सुविधा सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति दी गयी है :—

शिमला : एक और विश्रामालय की व्यवस्था ।

तलाड़ा : पाइप द्वारा पानी की सप्लाई की व्यवस्था ।

हिमाचल प्रदेश के अन्य स्टेशनों पर कोई और अन्य निर्माण-कार्य शुरू करने का विचार नहीं है ।

Unloading of Coal Rakes at Khurja City Station

†1837. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether arrangements exist at Khurja city station on Northern Railway for unloading of entire coal rakes or the goods trains are stopped at some other station and sent to Khurja city from there ;

(b) whether Government propose to make arrangements there for unloading of entire rakes since Khurja is an industrial town; and

(c) if so, when this is likely to be provided for ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No. Block rakes are dealt with at Bulandshahr station, which is situtated at a distance of only 16 kilometre from Khurja city station.

(b) & (c) The demand for consumption of coal in Khurja City itself is not sufficient to justify provision of a siding for unloading block rakes.

बामडा रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी का हाल्ट

1838. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप और डाउन उत्कल एक्सप्रेस रेल गाड़ी दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए बामड़ा रेलवे स्टेशन पर हाल्ट बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : यातायात के विचार से तथा इस लम्बी दूरी वाली गाड़ी की तेज रफ्तार की विशेषता को ध्यान में रखते हुए, 77/78 उत्कल एक्सप्रेस को बामरा स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है ।

मुरादाबाद डिवीजन के जोन 4 के अन्तर्गत स्टेशन पर पार्सलों का चढ़ाना-उतारना

1839. **श्री बटेश्वर हेमरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद डिवीजन के जोन 4 के अन्तर्गत आने वाले स्टेशनों पर 16 जून, 1977 से पार्सलों के चढ़ाने उतारने के कार्य में लगी सोसायटी को राजसहायता निर्धारित करने के आधार क्या है ;

(ख) क्या रेलवे द्वारा प्रति मास एक मुश्त भुगतान निर्धारित किया गया था अथवा ऐसा सोसायटी ने बताया था

(ग) 16 जून, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान स्टेशनवार अलग-अलग औसतन कितने कुली उपलब्ध कराये गये और इन कुलियों को प्रति दिन किस दर से मजूरी दी गई :

(घ) क्या अन्य श्रमिक सहकारी समितियों ने भी उक्त ठेके के लिए आवेदन किया था और यदि हां, तो क्या उन्हें भी बातचीत के लिए बुलाया गया था और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल पोर्टरों को परेशान किया जाना

1840. **श्री बटेश्वर हेम राम** : क्या रेल मंत्री इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल पोर्टरों को परेशान किये जाने के बारे में 5 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2573 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अक्तूबर, 1976 तथा 11 नवम्बर, 1976 के ज्ञापनों की जांच कर ली गई है जिनमें पार्सल पोर्टरों को परेशान किये जाने की शिकायत का उल्लेख है ; और

(ख) यदि हां, तो सोसायटी के विरुद्ध उनके द्वारा जानबूझ कर की गई गलतियों के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) रेल प्रशासन ने सोसाइटी पर 100 रुपये का जुर्माना कर दिया था और श्रमिकों को सितम्बर, 1977 से प्रतिदिन 5.50 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है । कम भुगतान के सवाल पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) द्वारा कार्रवाई की गयी है ।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य) से नोटिस

1841. **श्री बटेश्वर हेमराम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टस कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड द्वारा इलाहाबाद रेल स्टेशन पर पार्सल पोटरों को दी गई थोड़ी सी राशि के पुनः भुगतान के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य) से नोटिस मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य) के नोटिस के अनुसार किन-किन पार्सल पोर्टरों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना है ;

(ग) क्या मांगी गई राशि श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य) के पास जमा करा दी गई है या श्रम विभाग के किसी प्रतिनिधि के सामने पोर्टरों को पृथक-पृथक दे दी गई है ;

(घ) क्या मुख्य नियोजक द्वारा सोसायटी से यह रकम वसूल करने की कार्यवाही शुरू की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—11199/77]**

(ग) जी नहीं,

(घ) जी नहीं,

(ङ) चूंकि इस बारे में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) सोसायटी के साथ पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं अतः इस स्थिति में कामगरों को किए गए तथा कथित कम भुगतान की वसूली के संबंध में रेल प्रशासन कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है । श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) का फैसला मिल जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

नैनीताल में राज्य निर्वाचन आफिसरों का सम्मेलन

1842. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा आयोजित राज्य निर्वाचन आफिसरों का सम्मेलन सितम्बर, 1977 में नैनीताल में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए नैनीताल को चुने जाने के क्या कारण थे ;

(ग) इस सम्मेलन पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सहित कुल कितना व्यय हुआ ;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व आदेश जारी किए थे कि व्यय में कमी करने की दृष्टि से ऐसे सम्मेलन नई दिल्ली में किए जाने चाहिए ;

(ङ) वित्त मंत्रालय के निदेशों का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) ऐसे निर्वाचन आयुक्तों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो अपने परिवारों के साथ नैनीताल गए थे और जिन्हें वहां राज्यकीय अतिथि माना गया था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव): (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल में सम्मेलन आयोजित करने के लिए आतिथ्य और ठहरने के स्थान की सुविधा प्रदान की थी।

(ग) सम्मेलन पर किये गये कुल खर्च का, जिसमें सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया यात्रा भत्ता/दैनिक/भत्ता सम्मिलित है, ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(घ) आयोग को वित्त सचिव के तारीख 1-10-77 के पत्र की प्रति जिसमें यह कहा गया था कि यह वांछनीय है कि पर्वतीय स्थलों पर सम्मेलन आयोजित करने से बचा जाए, इस सम्मेलन के समाप्त हो जाने के पश्चात् प्राप्त हुई थी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके परिवार के अलावा आयोग के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या प्रतिनिधियों में से किसी को, जो सम्मेलन में उपस्थित हुआ था, राज्यकीय अतिथि के रूप में नहीं माना गया था।

Construction of Railway Yard

*1843. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be please to state :

(a) the number of contractors who were given contracts by the N.E.F. Railways for the construction of Railway Yards, etc. by clearing forests for opening new railway stations from March 1963 to March 1965 and the names of the places where construction work was done;

(b) whether the concerned officers have not so far, made payment to the contractors even after the completion of the work; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : A large number of contracts have been awarded on the Railway for new lines, gauge conversion and line capacity works all of which involve clearing of forests. It is not possible a this stage to furnish information in respect of all these contracts.

दुर्गापुर और गोरखपुर स्थित स्टेशनों के लिए विद्युत् संयंत्र उपकरणों की खरीद

1844. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि दुर्गापुर और गोरखपुर स्थित बिजली घरों के लिए विद्युत संयंत्र उपकरण खरीदने के लिए 180 लाख डालर के ऋण की अवधि को और आगे न बढ़ाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्रों के कार्य संचालन और उनकी क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए नवम्बर 1975 में विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के दुर्गापुर और गोरखपुर एककों में कैप्टिव पावर प्लांटों की स्थापना करने की योजनाओं का वित्त पोषण उक्त ऋण से किए जाने का प्रस्ताव है। इस ऋण को 30 जून, 1980 से पूर्व प्रयोग किया जाना है। सरकार ने इस अवधि को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

Installation of Ferrosilicon and Polyester Fibre Plant

1845. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the Rajasthan Government, keeping in view the requirements of the country have requested the Central Government to give approval for installation of Ferrosilicion Industry and the Polyester fibre plant with an annual capacity of 15,000 tonnes instead of 6,000 tonnes in the State ;

(b) if so, whether the Central Government has given its approval for the same and if not, the reasons therefor; and

(c) if yes, the time likely to be taken in this matter ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) to (c) Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation Ltd. have applied for Letters of Intent for manufacture of Ferro Silicon and Polyester Fibre. The capacity originally applied for Polyester Fibre, was 6,100 tonnes per annum; the Corporation has subsequently amended the application revising the capacity to 15,000 tonnes per annum.

The application for manufacture of Ferro Silicon has been rejected for the reasons that adequate capacity for this item has already been licensed, and there is no scope for creation of additional capacity of this item.

Government is likely to take a view shortly on the application for manufacture of Polyester fibre.

Demand for Distributionship of Indane Gas by Central Consumers Cooperative, Porbander

1846. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Porbandar Central Consumers Cooperative Societies Limited of Porbandar, the biggest city of Junagadh District in Gujarat, have made a demand to Government for the distributionship of Indane Gas and if so, when the demand was made and the details thereof;

(b) the action taken by Government in this regard; and

(c) the reasons for such a delay in according approval and when their demand would now be acceded ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna): (a) to (c) The Porbandar Central Consumers Cooperative Society Limited had applied for an Indane agency at Porbandar to Indian Oil Corporation in December, 1968. The Society's application was considered by Indian Oil Corporation alongwith other applications at that time and the Society was not found suitable as it did not possess requisite facilities like land for godown, showroom, telephone, finance etc. The Society has been representing to Government since December, 1974 for award of Indane distributorship at Porbandar, but due to limited LPG availability and inadequate potential at Porbandar, appointment of an Indane distributor in addition to the existing one has not been found feasible so far.

बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयले वाले क्षेत्रों में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

1847. **श्री चित्त बसु**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयला वाले क्षेत्रों में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने की सम्भाव्यता का भी अध्ययन किया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गिड्डी, बिहार में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा तैयार की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को सरकारी क्षेत्र रानीगंज–दुर्गापुर बेल्ट में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रयोजना व संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस समय कोयले पर आधारित दो बड़े आकार के उर्वरक संयंत्रों को उड़ीसा में तालचर नामक स्थान पर और आंध्र प्रदेश में रामागुडम नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। इन संयंत्रों की 1978 के उत्तरार्द्ध में आरम्भ होने की संभावना है। कायले पर आधारित किसी अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाने से पहले इन दो कोयलों पर आधारित संयंत्रों के कार्य निष्पादन के परिणामों को देखा जाए।

बंगलौर-गुंटकल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1848. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-गुण्टकल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में कब तम बदले जाने का लक्ष्य है

(ख) क्या यह सच है कि उक्त परियोजना पर कार्य हाल ही में रूक गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(घ) उक्त परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) गुतकल्लु से धरमावरम तक समानान्तर बड़ी लाइन रेल सम्पर्क का निर्माण तथा धरमावरम से बेंगलूरु तक मीटर लाइन से बड़ी लाईन को बदलाव समय पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर, आशा है कि 1980 तक पूरा हो जायेगा।

(ख) और (ग) इस परियोजना पर काम चालू है और इसे रोका नहीं गया है।

(घ) इस परियोजना के काम को शीघ्र पूरा करने के लिए वार्षिक खर्च और अधिक प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विधि आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव

1849. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्य कौन होंगें ;

(ग) यह आयोग किस तारीख से कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(घ) इस पर व्यय कितना होगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) आठवें विधि आयोग का पुनर्गठन 1 सितम्बर, 1977 से 31 अगस्त, 1980 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(ख) आयोग में अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगें। पूर्वतन आयोग के सदस्य सचिव, श्री पी०एम० बख्शी की इस आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति की जा चुकी है। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति होते ही आयोग कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

(घ) अनुमानित वार्षिक व्यय आयोग के लिए 2,14,000 रुपए और कार्यालय संबंधी सहायता और अन्य खर्चों के लिए 6,29,000 रुपए हैं ।

बालक दत्तक ग्रहण

1850. **श्री एडुआर्डो फैलोरो :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी तथा हिन्दुओं से भिन्न अन्य समुदायों के सदस्य भारत में वैध रूप से बालक का दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते ;

(ख) क्या वैध रूप से दत्तक ग्रहण करने के लिये अल्पमत सम्प्रदायों की असमर्थता के बालक का दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए गंभीर परिणाम हैं;

(ग) क्या बालक दत्तक ग्रहण विधेयक के प्रति अब तक उदासीनता दिखाई गई है और इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक माता-पिता अनिश्चितता की स्थिति में हैं ;

(घ) क्या भारतीय समाज कल्याण परिषद ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनसे मांग की गई है कि इस बारे में शीघ्र कदम उठाये जायें, ; और

(ङ) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) जो स्थिति बताई गई है वह साधारण तौर पर सही है। हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन दत्तक ग्रहण ऐसे व्यक्तियों में अनुज्ञात है जो--

(i) धर्म से हिन्दू है ;

(ii) बौद्ध, जैन और सिख है; और

(iii) (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) भारत में अधिवासित ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, नहीं हैं जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि उक्त अधिनियम पारित न किया गया होता तो तो ऐसे व्यक्ति हिन्दु विधि से शासित नहीं होते ।

पूर्वतर पुर्तगाली या फ्रांसीसी राज्य क्षेत्रों में कुछ प्रवर्गों के व्यक्तियों में दत्तक ग्रहण उन प्राचीन पुर्तगाली या फ्रांसीसी विधियों द्वारा अनुज्ञात है जो उन राज्य क्षेत्रों के विलय के पश्चात् भी लागू बनी हुई है। संख्या की दृष्टि से व्यक्तियों के एक महत्वहीन प्रवर्ग में, (जो मुख्य रूप से हिन्दुओं से संप्रतिवर्तित है) रूढ़ि के आधार पर दत्तक ग्रहण अनुज्ञात है अन्य सभी मामलों में दत्तक ग्रहण अनुज्ञात नहीं है।

(ख) मुस्लिम लोग उन पर इस विधेयक को लागू किए जाने के विरूद्ध हैं। पारसी लोग विधेयक में कुछ उपान्तर चाहते हैं। इसका प्रभाव उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं इतना गम्भीर नहीं है जितना कि उन बालकों के सम्बन्ध में है जिनका दत्तक ग्रहण किया जा सकता है और जो उसके द्वारा उपयुक्त परिवार पा सकते हैं।

(ग) विधेयक में जो मुद्दे हैं वे विशेष रूप से मुस्लिमों की दृष्टि से और दत्तक ग्रहण के लिये भारतीय बालकों को भारत से बाहर ले जाने की अनुज्ञा देने के दृष्टिकोण से भी दूरगामी महत्व के हैं। यही कारण है कि उस संयुक्त समिति ने जिसने विधेयक पर विचार किया था यह आवश्यकता अनुभव की कि जनता के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण जानने के पश्चात् विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाये। इन मुद्दों पर सावधानी से और पूरी तौर से विचार करने की आवश्यकता है और यह कहना सही नहीं है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में उदासीनता दिखाई गई है।

(घ) भारतीय समाज कल्याण परिषद् ने बालक दत्तक ग्रहण विधेयक को शीघ्र पारित कराने का आग्रह करते हुए प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है।

(ङ) भारतीय समाज कल्याण परिषद् ने अपने उपर्युक्त ज्ञापन में यह आग्रह किया है कि भारत सरकार निम्नलिखित के लिए आवश्यक कदम उठाये ; अर्थात् :

(i) दत्तक ग्रहण विधेयक को शीघ्र पारित करने के लिए ;

(ii) सभी राज्यों में सेवा का व्यावसायीकरण करने की दृष्टि से, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के क्रियान्वयन के नियमों को संशोधित करने के लिए ;

(iii) राज्य सरकारों पर इस बात का जोर देने के लिए कि अनाथ बालकों की सेवाओं को सर्वोच्च पूर्विकता दी जाये ;

(iv) भारत और विदेश में उन अभिकरणों की सूची का अनुमोदन करने के लिए जो दत्तक ग्रहण में सम्बद्ध होंगी।

(v) भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को उन बालकों का पर्यवेक्षण और उनके सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाई करने का निदेश देने के लिए जिनका अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण किया गया है।

इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

Laying of new Railway line Dholpur-Karauli-Gangapur

*1851. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay a new Dholpur-Karauli-Gangapur city (Rajasthan) railway line for the development of mineral industry; and

(b) if so, whether a survey has been conducted in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) No survey has been carried out for the proposed line in the past. The proposal may have to await better times for consideration on account of constraint of resources.

बंगाल कैमिकल्स, कलकत्ता का अधिग्रहण

1851. **श्री चित्त बसु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल कैमिकल्स, कलकत्ता के अधिग्रहण के प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय प्रस्ताव पर विचार किस स्थिति में हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) कम्पनी के कार्य के सम्पूर्ण जांच करने के उद्देश्य से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत नियुक्त जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वह सरकार के विचाराधीन है।

इन्सोव आटो लिमिटेड के मामलों की जांच

1853. **श्री चित्त बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंन्सोव आटो लिमिटेड के कार्य की स्थिति के बारे में जांच करने के कोई आदेश दिये गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है : और

(ग) प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): (क) हां , श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) 23-11-1977 को एक अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मुख्य शिफारिश प्रबन्ध में परिवर्तन के लिए हैं। यह परीक्षान्तर्गत हैं।

पेट्रो-रसायन उद्योगों के अध्ययन के लिये टास्क फोर्स

1854. **श्री चित्त बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में पेट्रो-रसायन उद्योगों की सम्भाव्यताओं के गहन अध्ययन के लिए एक कृतिक-दल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने प्रमुख पेट्रो-रसायनों के उत्पादन हेतु हाईड्रोकार्बन्स की अनुकूलतम उपयोग की योजना तैयार करने के लिए पेट्रो-रसायनों के लिए एक कार्यकारणी दल का गठन किया है ; इसके दिसम्बर, 1977 के अन्त तक अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है।

हाथी समिति प्रतिवेदन पर विचार

1855. **श्री एस० आर० दामाणी** :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री सुभाष आहूजा :

श्री बसन्त साठे :

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औषध तथा भेषज उद्योग के बारे में काफी समय पूर्व प्रस्तुत किए गये हाथी समिति प्रतिवेदन पर विचार पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां; तो उसकी सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर विचार करने में क्या रुकावटें हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) वर्तमान पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा कार्यभार सम्भालते ही हाथी समिति की विभिन्न सिफारिशों की शीघ्र जांच करने के बारे में उनके द्वारा नये अनुदेश जारी किए गए थे। औषध उद्योग से संबंधित संगठनों ने भी अनेक अभ्यावेदन दिये थे। इन पर विस्तार पूर्वक विचार करने के लिए भारतीय भेषज उत्पादक संघ, भेषज और सम्बद्ध निर्माता तथा वितरक संघ/भारतीय औषध निर्माता संघ भारतीय भेषज निर्माता संघ और भारतीय चिकित्सा संघ तथा कैमिस्ट और ड्रगिस्ट संघ के प्रतिनिधि जुलाई-अगस्त 1977 में मंत्री महोदय से मिले थे। मंत्री महोदय द्वारा अन्तर-मंत्रालय बैठकें भी बुलाई गई, जिनमें सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अनेक उच्चस्तरीय अन्तर-मंत्रालय बैठकें भी बुलाई गई थीं। हाथी समिति की रिपोर्ट पर विस्तार पूर्वक विचार करने के लिए 5 नवम्बर, 1977 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक भी विशेष रूप से बुलाई गई थी।

विभिन्न स्रोतों से आने वाले सभी सुझावों और विचारधाराओं पर विचार कर लिया गया है और हाथी समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अब शीघ्र ही लिए जाने की आशा है।

पाइप लाइन निगम के बारे में सुझाव

1857. **श्री ओ० बी० अलगेशन :**

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग के विशेषज्ञों ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि देश में पाइप लाईन के विस्तार के लिए 'पाइप लाइन निगम' जैसा एक केन्द्रीय निकाय स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अपने सुझाव के समर्थन में उन्होंने क्या मुख्य कारण बताए हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) समाचार-पत्रों में इस आशय की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें एक पाइप लाइन निगम की स्थापना का सुझाव दिया गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विभिन्न राज्यों में कम्पनियों का पंजीकरण

1858. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**

श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल जुलाई, 1977 के दौरान ही 201 फर्मों का पंजीकरण हुआ :

(ख) अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर में कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया और नवम्बर 1977 में कितनी कम्पनियों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया ;

(ग) क्या पंजीकृत होने वाली कम्पनियों में सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में थी ; और

(घ) यदि हां, तो पंजीकरण की राज्यवार स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी, जुलाई, 1977 में शेयरों द्वारा सीमित 201 कम्पनियों का पंजीकरण किया गया था।

(ख) शेयरों द्वारा सीमित 209 कम्पनियों का अगस्त, 219 का सितम्बर और 216 का अक्तूबर, 1977 में पंजीकरण किया गया था। उन कम्पनियों की संख्या जिन्होंने नवम्बर, 1977 के प्रथमार्द्ध की अवधि में पंजीकरण के लिए आवेदन किए थे, 125 थीं।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

(घ) जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, 1977 और नवम्बर, 1977 के प्रथमार्द्ध की अवधि में नवीन पंजीकरणों के सम्बन्ध में राज्यानुसार स्थिति संलग्न विवरण पत्र में दी जाती है।

विवरण

जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, 1977 माहों की अवधि में राज्यानुसार शेयरों द्वारा सीमित नई कम्पनियों के पंजीकरण की संख्या और 1—15 नवम्बर, 1977 की अवधि में प्राप्त पंजीकरण के लिए आवेदनपत्रों को प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र

राज्य/संघशासित क्षेत्र	शेयरों द्वारा सीमित नवीन कम्पनियों के पंजीकरण की संख्या		1—15 नवम्बर, 1977 की अवधि में पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या		
	जुलाई, 77	अगस्त, 77	सितम्बर, 77	अक्तूबर, 77	
i	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	12	11	8	12	8
2. असम	2	—	4	—	1
3. बिहार	4	3	2	1	3
4. गुजरात	4	10	24	4	3
5. हरियाणा	1	—	3	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	3	—	—	—	1
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	1	—	—
8. कर्नाटक	16	14	14	25	4
9. केरल	7	4	7	7	2
10. मध्य प्रदेश	1	3	6	3	1
11. महाराष्ट्र	45	65	45	53	33
12. मणीपुर	1	—	—	—	—
13. मेघालय	—	1	—	—	—
14. नागालैण्ड	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	1	2	4	—	11
16. पंजाब	3	2	1	5	3

1	2	3	4	5	6
17. राजस्थान . .	—	1	4	9	4
18. तमिलनाडु	17	11	14	12	8
19. त्रिपुरा	—	—	—	1	—
20. उत्तर प्रदेश	20	6	20	15	4
21. पश्चिम बंगाल	32	42	32	33	17
22. दिल्ली	29	29	27	30	16
23. चण्डीगढ़	—	3	1	5	6
24. गोआ, दमन और दीव	3	1	1	—	—
25. पाण्डिचेरी	—	—	1	1	—
26. अरुणाचल प्रदेश .	—	1	—	—	—
योग . .	201	209	219	216	125

औद्योगिक लाइसेंस कानूनों के उल्लंघन के लिये फाइजर को कारण बताओ नोटिस

1859. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस कानूनों के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए फीजर नामक एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनी को कारण बताओ नोटिस दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कम्पनी से सरकार को उत्तर मिल गया है,; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मसर्स फाइजर लि० के पास प्रोटीन हैड्रोलीसेट के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस है परन्तु प्रोटीनैक्स जो एक प्रोटीनहेड्रोलीसेट पर आधारित अन्तिम उत्पाद है और उनके द्वारा बेचा जाता है, के उत्पादन के लिए उनके पास अलग औद्योगिक लाइसेंस नहीं है। एक कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया है। जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि बिना औद्योगिक लाइसेंस के प्रोटीनेक्स का उत्पादन करने के लिए उनके विरुद्ध दण्डनीय (पेनल) कार्रवाई क्यों न की जाए उनके उत्तर की विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

Merger of Accounts Clerk Grade I and II into One Grade

1860. **Shrimati Parvathi Krishnan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a former Member of Parliament had written a letter in the second week of May in regard to merging of Accounts Clerk Grade I and Grade II into one grade and Post by bringing about uniformity in their pay scales;

(b) whether promotion is given from Grade II to Grade I in the Accounts Department only on passing the Appendix 2A examination;

(c) whether one has to do the same work on the same table even after passing the examination and getting promotion;

(d) whether the employees, who have not passed the examination, have been rotting in Grade II for 20–25 years; and

(e) if so, whether Government propose to abolish the system of Appendix 2A examination and to make one grade and post ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) No. Vacancies in Clerk Grade I are required to be filled upto the extent of 55% by Clerks Grade II who have qualified in a written examination called Appendix 2(IREM), 25% by seniority-cum-suitability and balance 20% by direct recruitment of Graduates.

(c) No. Though the nature of work of Clerks Grade I and Clerks Grde II is generally the same, Clerks Grade I are engaged on more important clerical work while clerks Grade II are given less important and routine work.

(d) Information is not readily available. However, in as much as 25% of the vacancies are reserved for being filled up on seniority-cum-suitability basis, an avenue exists for those who have not passed Appendix--2A(IREM) examination. Promotion from Clerks Grade II to Grade I are made dependnig upon the availability of vacancies and cannot be claimed as a matter of right.

(e) No, it may be added here that the successive Pay Commissions, and a One Man Tribunal, have supported the continuance of the present system.

रेलवे सुरक्षा बल का प्रतिवेदन

1861. **श्री के० लकप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि गत वर्ष रेलवे को दुर्विनियोजन और चोरी के कारण 1525 करोड़ रुपये की हानि हुई तथा इस हानि को कम करने के लिये सरकार को 64,000 कर्मचारियों के भारी रेलवे सुरक्षा बल पर दोगुने से अधिक अर्थात् 35.10 करोड़ रुपये खर्च करती हैं;

(ख) प्रतिवेदन का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Eunuchs Travelling in Ladies' Compartment

†1862 **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Western Railway had got awarded punishment of imprisonment and fine to 34 eunuchs for travelling in ladies compartment;

(b) whether Government treat them as male ; and

(c) if so, the basis thereof and if not, the reasons for taking action against them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No. However, on receipt of complaints from lady commuters of Bombay Suburban section regarding harassment cause by some unsocial elements among eunuchs, a special drive was launched by Western Railway from 16-8-1977 to 31-8-1977 to curb the nuisance.

During these raids, 8 eunuchs were apprehended travelling without ticket in general compartments and 45 were apprehended on platforms for trespass. Out of these, 20 were fined and 33 were jailed for one day each. None was prosecuted for travelling in compartments reserved for females.

(b) & (c) For Census purposes 'Eunuchs' and 'Hermaphrodites' are taken as males.

Production of Acrylic

1863. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether efforts are on to produce the base-element acrylic for manufacturing cloth out of lime-stone in the country; and

(b) if so, the places where such yarn is proposed to be produced and when this proposal is likely to be implemented ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कच्चे तेल की सप्लाई

1864. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश को कच्चे तेल की सप्लाई किन-किन देशों द्वारा की जाती है; और

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान उन देशों ने कितने कच्चे तेल की सप्लाई की ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

देश	1976-77 के दौरान सप्लाई किये गये अशोधित तेल की मात्रा (मि० मी० टनों में)
आबू धाबी	0.94
मिश्र	0.10
ईरान	5.95
ईराक	2.88
सऊदी अरब	4.05
कुल	13.92

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

1865. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में अन्य राज्यों के सभी न्यायाधीशों का स्थानान्तरण उनके अपने-अपने राज्यों में कर दिया गया था; और

(ख) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनके अपने राज्यों से बाहर स्थानान्तरण न किया जाए ?

विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) आपात्काल के दौरान उच्च न्यायालय के जिन 21 न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया गया था उनमें से 4 न्यायाधीशों को उनकी सहमति से स्थानान्तरित किया गया था। जिन 17 न्यायाधीशों को उनकी सहमति के बिना स्थानान्तरित किया गया था उनमें से एक न्यायाधीश सेवा निवृत्त हो गए हैं और दो न्यायाधीश उन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति हो गए हैं जिनमें वे स्थानान्तरित किए गए थे। बाकी 14 न्यायाधीशों में से 9 न्यायाधीशों को जिनमें दो मुख्य न्यायाधिपति भी सम्मलित हैं) भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उन उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरित कर दिया गया है जिनसे वे स्थानान्तरित किए गए थे। एक न्यायाधीश ने उसी उच्च न्यायालय में रहने की इच्छा व्यक्त की जिसमें उन्हें स्थानान्तरित किया गया था। बाकी चार न्यायाधीशों की बाबत सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1866. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने रेल कर्मचारी हैं ;

(ख) कितने रेल कर्मचारियों के पास क्वार्टर हैं ;

(ग) क्या उनके लिये क्वार्टरों का निर्माण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) रेलों पर कर्मचारियों की संख्या 14.58 लाख है।

(ख) 5.48 लाख।

(ग) और (घ) कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने का कार्यक्रम प्रतिवर्ष धन की उपलब्धता के अनुसार बनाया जाता है। चालू योजना के दौरान प्रतिवर्ष लगभग चार हजार क्वार्टरों का निर्माण किया जाता है।

विधान सभा और लोक सभा के स्थानों के लिए उप-निर्वाचन

1867. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या गुजरात राज्य में गुजरात विधान सभा तथा लोक सभा के लिये बहुत से उप-निर्वाचन होने हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे संभवतः कब होगें ;

(ग) देश में विधान सभाओं और लोक सभा के लिए कुल कितने उप निर्वाचन होने हैं ; और

(घ) उन्हें कराने में विलम्ब के क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव): (क) इस समय गुजरात विधान सभा में 124—बालासीनोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक स्थान रिक्त है और लोक सभा में गुजरात राज्य 4, राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक स्थान रिक्त है।

(ख) ऊपर उल्लिखित दो रिक्त स्थानों को भरने के लिए उप निर्वाचन कराने का कार्यक्रम अधिसूचित किया जा चुका है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तारीख 18—12—1977 है।

(ग) और (घ) इस समय लोक सभा में पांच स्थान रिक्त हैं (जिसमें एक रिक्त स्थान गुजरात से है) और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं में 60 स्थान रिक्त हैं (जिनमें एक रिक्त स्थान गुजरात से है)। लोक सभा और विभिन्न विधान सभाओं में रिक्त स्थानों की संख्या और इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए उप निर्वाचनों के कराने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शित करने वाले दो विवरण संलग्न हैं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -1200/77**]

पाइपलाइन बिछाने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ठेके पर हस्ताक्षर

1868. **श्री प्रसन्न भाई मेहता:**
श्री ग्वालावर रवि :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई तट दूर तेल क्षेत्रों को न्यू बम्बई में हजीरा के साथ जोड़ने हेतु 250 पाइपलाइन बिछाने के लिये एक अमरीकन फर्म मैसर्स ब्रो एण्ड रूट के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फर्म ने काम करना शुरू कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यह फर्म संभवत: कब तक अपना काम पूरा कर लेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एव उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ओ एन जी सी द्वारा इस कार्य को संयुक्त राज्य अमरीका की ब्राउन एण्ड रूट को दे दिया गया है क्योंकि ओ एन जी सी द्वारा इसके स्टेशनों को न्यूनतम और इस कार्य को आरम्भ करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम पाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) 30" तेल पाइपलाइन को बिछाने का काम 5 नवम्बर, 1977 को आरम्भ किया गया था। 26" की गैस लाइन को बिछाने का काम नवम्बर, 1977 के अंत तक आरम्भ किये जाने की संभावना है।

(घ) इन दोनों पाइपलाइनों को बिछाने का काम 31 मई, 1978 तक पूरा हो जाना निश्चित है।

तट पर तथा तट दूर तेल की खोज

1869. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष में तथा आ.गा.मी वर्ष में तट पर तथा तट दूर तेल की खोज के बारे में एक जोरदार कार्यक्रम की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो चालू तथा आगामी वर्ष में आरम्भ होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात में अधिक क्षेत्रों का पता लगाने तथा वर्तमान एककों का विस्तार करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(घ) आगामी वर्ष में तेल की खोज के लिये किन अन्य क्षेत्रों के बारे में विचार किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (श्री एन जी सी) तथा आयल इंडिया लि० (श्री आई एल) का, जो ये दोनों एजेंसियां तेल अन्वेषण के कार्य में रत हैं, तेल अन्वेषण का कार्यक्रम भू-गर्भीय प्राथमिकताओं पर आधारित है।

श्री आई एल :—आयल इण्डिया अरुणाचल प्रदेश के निगरू क्षेत्र में एक कुआं खोद रहा है तथा पांच और उत्थले कुओं की खोदने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इसके दोरान खनन आधार वाले क्षेत्र में अर्ध-अन्वेषी कुओं को भी खोदने का प्रस्ताव है। यह असम में जोराजन तेल क्षेत्र में इस समय अर्ध-अन्वेषी कुएं भी खोद रहा है। आयल इंडिया लि० की महा नदी बेसिन में हवाई महत्व के प्रभावशाली तथा भूकम्पीय सर्वेक्षण आयोजित करने की योजना है।

ओएनजीसी :—वर्ष 1977–78 और 1978–79 के लिये ओएनजीसी की तटीय तथा समुन्द्र तट के अन्दरूनी क्षेत्रों में अन्वेषी क्रिया कलाप अत्यन्त व्यापक तथा महत्वाकांक्षी है। जिन स्थानों पर भू-अन्वेषी व्यधन कार्य चल रहा है, उनमें गुजरात के दहेज, वामेज, पिसवाड़ा, और अमेटी में असम चराचादेव, लक्ष्मीजान, बनमाली, चारगोला, मशीनपुर, तिरुपहाड़ी क्षेत्र और बायाराल्ला तथा त्रिपुरा में कन्चछर, रोरिवया, और गोजालिया और पश्चिम बंगाल में डायमं हार्बर शामिल है। असम तथा गुजरात के सुविख्यात और मान्यता प्राप्त इलाकों में अन्वेषण कार्य को आरम्भ करने के अलावा, कृष्णा, गोदावरी, बेसिन में नरसापुर, गंगाघाटी में पूरनपुर तथा पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में अन्वेषी व्यधन कार्य को आरम्भ करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश के राशहर में पहले से अन्वेषी व्यधन कार्य चला रहा है।

नाइजीरिया में रेलें चलाने में भारत द्वारा सहायता

1870. **श्री प्रसन्ना भाई मेहता :**
श्री सीके चन्द्रप्पन :
श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नाइजीरिया ने एक करार के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अधीन भारत नाइजीरिया में रेलें चलाने में नाइजीरिया सरकार की सहायता कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं और इसके लिये कितनी संख्या में भारतीय तकनीशनों की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या पहले भी भारतीय रेलवे ने बहुत से अन्य देशों में रेलवे लाइनें स्थापित करने में उनकी सहायता की है ;

(घ) यदि, हां, तो कितने देशों में; और

(ङ) क्या भारत का भविष्य में अन्य देशों के साथ ऐसे और अधिक करारों पर हस्ताक्षर करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) इस वर्ष अक्तूबर के शुरू में नाइजीरिया से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया और बातचीत की। बातचीत का सम्बन्ध उपर्युक्त प्रबन्धकीय, तकनीकी एवं सामग्री की व्यवस्था द्वारा वर्तमान नाइजीरियाई रेलवे प्रणाली को सरल और सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग को जारी रखने तथा उसे बढाने से था। बातचीत की समाप्ति पर 5 अक्तूबर, 1977, को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

(ग) और (घ) : विदेशीय रेल प्रणालियों के विकास में भारत की भागीदारी रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानामिक सर्विसेज लि० (राइट्स) और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० (अरकान) के माध्यम से हो रही है। ये दोनों उपक्रम रेल मंत्रालय के संरक्षण में क्रमशः 1974 और 1976 में स्थापित किये गये थे। राइट्स ने सीरिया, ईरान और नाइजीरिया में नई रेलवे लाइन के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन के सम्बन्ध में परामर्श देने के कार्य किये हैं। अरकान ने ईराक में एक नई रेलवे लाईन बनाने का काम शुरू करने के लिए प्रस्ताव किया है। मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के विकासशील कुछ दूसरे देशों में रेलवे निर्माण-परियोजनाओं को प्राप्त करने की सम्भावनाओं की खोज जारी है। यदि कोई ठेके प्राप्त कर लिये जाते हैं तो सम्बन्धित देशों के साथ उपयुक्त समझोते किये जायेंगे।

गत दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मंत्रालय के अन्तर्गत परियोजनाएं

1871. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन वे सभी परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिन्हें गत दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आरम्भ किया गया था तथा प्रत्येक परियोजना किस तारीख को आरम्भ हुई, उसके पूरा होने की तारीख निर्धारित क्या थी और प्रत्येक परियोजना वास्तव में किस तारीख को पूरी हुई ;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर व्यय का मूलतः अनुमान कितना था और उस पर वास्तव में कितना व्यय हुआ ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि परियोजनाएं समय पर पूरी हो जायें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजधानी के लिये भूमिगत रेलवे

1872. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी के लिये भूमिगत रेलवे की योजना त्याग देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी के निवासियों के लिये सस्ती और द्रुत परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या वैकल्पिक समाधान निकाला गया है ;

(ग) राजधानी के लिये क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित नई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दिल्ली में वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे की व्यवस्था करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) महानगर परिवहन योजना (रेलवे) संगठन, दिल्ली द्वारा दिल्ली के लिए एक सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है जिसमें 36 कि०मी० भूमिगत और 97 कि०मी० धरातल पर दोहरे रेल पथ गलियारे सम्मिलित हैं। संसाधनों

की कमी के कारण योजना आयोग ने इस वृहद योजना को प्रारम्भ करना सम्भव नहीं पाया और उनके सुझाव पर निर्माण और आवास मंत्रालय ने एक संविष्ट कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है। इस कार्यक्रम में वर्तमान सड़क परिवहन प्रणाली का अधिकतम उपयोग तथा सड़क और रेल परिवहन का एकीकरण शामिल है ताकि कम से कम कीमत में अधिकतम सेवा की व्यवस्था की जा सके।

कार्यकारी दल ने 138 करोड़ रुपये की एक परियोजना की सिफारिश की है जिसमें (i) सड़कों में सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये, (ii) बस परिवहन में सुधार के लिए 59 करोड़ रुपये, (iii), शकूर बस्ती और तुगलकाबाद के बीच परिक्रमा रेल सेवा के साथ-साथ विद्युतीकृत दैनिक यात्रा रेल सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए 22 करोड़ रुपये तथा (iv) दिल्ली/नई दिल्ली को गाजियाबाद, बल्लभगढ़ और सोनीपत से मिलने वाली रेल लाइनों के साथ-साथ विद्युतीकृत उपनगरीय दैनिक यात्री रेल सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये 32 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(घ) परिक्रमा रेल सेवा के साथ-साथ अन्तर्नगरीय विद्युतीकृत दैनिक यात्रा रेल सेवाओं की व्यवस्था करने की योजना की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जा रही है कि यह लम्बी दूरी की यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों के सम्बन्ध मे हमारी योजना के प्रतिकूल तो नहीं है।

लेखा विभाग में ग्रेड I के लिपिकों का स्थायी किया जाना

1873. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि लेखा विभाग में ग्रेड I के क्लर्कों को स्थायी बनाये जाने सम्बन्धी सामान्य सिद्धांतों का, जो सम्बद्ध आदेशों में निर्धारित है एफ०ए० एवं सी०ए०ओ० मध्य रेलवे द्वारा पालन नहीं किया गया है और पाँच वर्ष के बाद 1972 में जारी किये गये स्थायीकरण के आदेश इन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सही है कि मध्य रेलवे के ग्रेड I के उन पीड़ित क्लर्कों से अनेक अभ्यावेदन एफ०ए० एवं सी०ए०ओ० मध्य रेलवे और बोर्ड को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने वर्ष 1958 में एप्रेन्टिस II परीक्षा पास की थी, लेकिन जिन्हें उचित समय और स्थान पर स्थायी नहीं बनाया गया ;

(ग) यदि हाँ, तो स्थायीकरण में हुई गलतियों में सुधार करने के लिए एफ०ए० एवं सी० ए० ओ० मध्य रेलवे ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या एफ० ए० एवं सी०ए०ओ० मध्य रेलवे बम्बई बी०टी० स्थायीकरण के नियमों में संशोधन करने में सक्षम नहीं है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो गलत स्थायीकरण से कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इन कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) चूंकि सभी स्थायीकरण सम्बन्धित आदेशों के अनुसार किये गये थे इसलिए गलतियों मे सुधार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) किसी गलत स्थायीकरण का आदेश नहीं दिया गया है।

Cost of Delhi-Rajhara-Jagadalpur Railway Line

1874. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the estimated cost of the proposed railway line from the proposed Delhi-Rajhara-Jagdalpur via Narayanpur Kodagaon which would be connecting Howrah-Bombay railway line; and

(b) when the construction work of the proposed railwy line would commence and the number of years to be taken in its completion ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The estimated cost of the line is Rs. 46 crores.

(b) It will be possible to take up the construction of this rail link and to fix a target date for its completion after it is cleared by the Planning Commission and funds are allocated by them for its construction.

1875. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a large number of railway wagons were lying idle in N.E. Railway during August and September, 1977 for want of Customers; and

(b) if so, the details in regard to the wagons lying idle ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) During August-September, 1977, 5630 wagons (M.G.) on an average had been stabled daily, on the North Eastern Railway being surplus to requirements. The drop in the wagon demands during July-September is an annual feature on account of less offer of general merchandise and monsoon conditions etc. During the corresponding months of last year, the daily average surplus wagons stabled on North Eastern Railway was 7382.

भारतीय उर्वरक निगम का ट्राम्बे संयंत्र

1876. **श्रीमती अहिल्या पो० रांगनेकर :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का ट्राम्बे संयंत्र चालू हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) नाइट्रोफोस्फेट के निर्माण के लिए स्थापित किया जा रहा ट्राम्बे–4 एकक चालू होने वाला है और इसमें अप्रेल-1978 तक वाणिज्यिक उत्पादन होने की आशा है। अमोनिया और यूरिया का परिकल्पित निर्माण करने वाली ट्राम्बे पाँच परियोजना कार्यान्वयाधीन है और इसके 1980 के आरम्भ में चालू होने की आशा है।

हाथरस किला शिकोहाबाद और फीरोजाबाद स्टेशनों पर माल का उतारना-चढ़ाना

1877. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में हाथरस किला, शिकोहाबाद और फिरोजाबाद स्टेशनों पर माल उतारने चढ़ाने का काम नैमित्तिक श्रमिक किन तारीखों से करने लगे हैं ;

(ख) क्या 6 महीने से अधिक अवधि तक काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा बताये गये वेतन मानों के अनुसार मंजूरी दी जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार भुगतान न करने के विचार से अन्य सेवायें उपलब्ध की जाती हैं या सेवा में व्यवधान डाला जाता है ताकि इन पोर्टरों की 6 महीने की निरन्तर अवधि पूरी न होने पाये ;

(घ) क्या उस क्षेत्र में काम करने वाली श्रम सहकारी समितियों ने उनको काम देने के लिये आवेदन पत्र दिये थे ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक स्थाई व्यवस्था हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरक के उत्पादन के लिए ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव

1878. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उत्पादन के बारे में ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में भारत से कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्रा): (क) से (ग) जी, हाँ। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार द्वारा निकट भविष्य में स्थापना की जाने वाली कुछ नई उर्वरक परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा लागत के लिए वित्तीय सहायता की है। विशिष्ट परियोजनाओं को पहचानने तथा उपकरणों की सप्लाई जिन्हें यू०के० ऋण के अन्तर्गत पूरा किया जा सकता है, के बारे में विचार-विमर्श किय जा रहा है।

नागपुर—अजनी लोकल गाड़ी को हिंगाना तक बढ़ाना

1879. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल यात्री संघ की ओर से नागपुर-अजनी लोकल गाड़ी को हिंगाना तक बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) रेल यात्री संघ द्वारा हाल ही में दिये गये अन्य प्रस्तावों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव-वार क्या कार्यवाही/निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (घ) नागपुर-अजनी स्थानीय गाड़ियों को हिंगाना औद्योगिक क्षेत्र तक बढ़ाने के बारे में रेल यात्री संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। नागपुर-अजनी स्थानीय गाड़ियों को हिंगाना/अम्बाजारी साइडिंग से/तक बढ़ाने का न तो वित्तीय औचित्य है और न ही परिचालनिक व्यावहारिकता पाई गई है।

डायमंड हार्बर पर तेल के लिये कुआं खोदना

1880. **श्री बीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर में पहला कुंआ खोदा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हाँ ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल स्थित डायमंड हार्बर में 7-10-77 को प्रथम कुएं की खुदाई की। 5,500 मीटर की गहराई तक इस कुएं की खुदाई की जानी है जिसमें से 614 मीटर की गहराई तक खुदाई कर ली गई है ।

विधि आयोग का कार्यकरण

1881. **श्री सोमनाथ चटर्जी**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विधि आयोग की संरचना क्या है ; और

(ख) क्या विधि आयोग के कार्यकरण की किसी संसदीय समिति द्वारा अथवा अन्यथा समीक्षा करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) अभी विधि आयोग में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार सदस्य होंगें । सदस्य-सचिव की नियुक्ति हो चुकी है । अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

1882. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ चल रही हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इनमें से किसी कम्पनी के विरुद्ध अब तक कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन किए जाने की कोई शिकायत की गई है जहाँ तक यह अधिनियम ऐसी कम्पनियों पर भी लागू होता है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में अपनी शाखाओं और/या अपनी भारतीय सहायकों अर्थात् भारतीय कम्पनियों जिनमें प्रदत्त शेयर पूंजी का बहुतायत विदेश निगमित निकाय द्वारा धारित है, के माध्यम से कार्य करती हैं। 31-3-1977 तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की 482 शाखाएं भारत मे कार्य कर रही थीं । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भारतीय सहायकों के मामले में समतुल्य सूचना 31-3-1976 को समाप्त होने वाले वर्ष तक उपलब्ध है, जब तक इन सहायकों की संख्या 171 थी ।

31-3-1977 तक भारत में कार्य करने वाली 482 शाखाओं में सब से अधिक अर्थात् 276 यू०एस०ए० आस्थान कम्पनियों द्वारा अनुगमित यू० के० आस्थान कम्पनियों को शाखाएं थीं। जिनकी भारत में 81 शाखाएं थीं। समरूप 31-3-1976 तक भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीयों की 171 सहायकों में से, 116 सहायकों को धारक कम्पनियाँ, यू०के० में और 25 यू०एस०ए० में विनिगमित थीं।

(ख) तथा (ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघनों की शिकायतों और विगत तीन वर्षों की अवधि में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

Railway Service from Bihariganj to Simri Bakhtiarpur

† 1833. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a railway service from Bihari ganj to Simri Bakhtiarpur (via Uda-Kishanganj) under Saharsa District Bihar);

(b) whether the area is very backward and densely populated and there is also lack of means of transport in the area and whether the rail service requested for will be useful;

(c) if so, whether Government propose to consider the matter of introducing the railway service there; and

(d) if so, the time by which the survey is likely to be undertaken ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) The report of the engineering-cum-traffic survey carried out in 1974-75 for a new metre gauge line from Bihari ganj to Simri Bakhtiarpur indicated that the line would not be viable and hence the project is not being considered for construction at present.

Construction of Railway line in Junagadh District, Gujarat

†1824. **Shri Dharamasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether demand has been made for construction of a new railway line from Saradiya to Katkola via Kutiyana Ranawav in Junagadh district in Gujarat and if so, who made the demand and when was made;

(b) the time by which the new Saradiya-Kutiyana-Ranawav-Katkola railway line would be constructed; and

(c) the action so far taken in this regard and whether any survey thereof has been conducted and when it would be conducted ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) The Ministry of Railways have not received any representation demanding construction of a new railway line from Saradiya to Katkola via Kutiuyana and Ranawav. Neighter has a survey been carried out for laying a new railway line between Saradiya and Katkola in the past nor will bit be possible to consider the proposal at present on account of extreme shortage of resources.

Demand of Porbandar Chambers of Commerce and Industries

1885. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Porbandar Chamber of Commerce and Industries has demanded reduction in Railway freight after having the all weather port in Porbandar city in Junagadh district in

Gujarat State, so that deoiled cake, groundnut shell, 'Singdana', cement, salt, bauxite gypsum and other things are made available easily to Railways for export from here and if so, when this demand was made and the details thereof; and

(b) whether Government propose to reduce the railway freight and if so when and the extent to which it will be reduced ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) The Porbandar Chamber of Commerce and Industries raised this issue at a meeting held on 19-10-77 with the Divisional Superintendent, Bhavnagar when the Chamber was advised to intimate the quantum of traffic to be offered. The question of reduction in railway freight will be considrered on merits by the Railway Administration on receipt of the require data from the Porbandar Chamber of Commerce and Industries.

Completion of Railway Work Near All-Weather Porbandar Port

†1886. **Shri Dharamasinhbhai Patel**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Railways have completed its work near the Porbandar all-weather port and if so, when this work has been completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : Perhaps the reference is to the work at Porbandar railway station in connection with the project for conversion of Viramgam-Okhla and Kanalus-Porbandar lines to broad gauge. The work at Porbandar in connection with this project is yet to be completd. It will take another 4 years to complete the project depending upon the availability of funds.

Dacoity in Train bound for Kotah

†1187. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that dacoity had been committed in the train bound for Kotah from Agra; and

(b) if so, the loss suffered therein and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. dacoity took place in 82 UP between Mihakur and Kiraoli stations of Wester Railway on 16-8-77.

(b) the loss suffered amounted to Rs. 21,435/- The Government Railway Police, Agra Fort have registered this case vide crime No. 124/77 under section 395/397 IPC on 17-8-77. Two accused persons have since been arrested with the recovery of one wrists watch. Efforts are being made to apprehend other remaining criminals. Howver, all the night trains are being escorted by armed guards of Government Railway Police on this affected section. Drive against criminals has also been intensified.

Production in Railway Workshop

†1888. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether production has increased in railway workshops;

(b) if so, the extent to which production has increased therein as compared to that of last year; and

(c) if not, the steps being taken by Government to increase production therein ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) (i) Production Units

Manufacture of new rolling stock from the three Production Units viz. DLW, CLW & ICF.

Unit	Type of stock	Production		% improvement
		April to October 1976	April to October 1977	
DLW	Diesel Locos . . .	57	61	+7
CLW	Electric & Diesel Locos .	42	51	+21.4
ICF	Coaches	325	373	+14.8
(ii) Repair Workshops—POH Outturn				
Elec./Diesel Locos		135	152	+12.6
Steam Locos		1112	1041	(—)6.4
Coaches		23928	24582	+2.7
Wagons		81103	71574	(—)11.7

(c) Drop in outturn of Steam Locos is due to reduced Periodical Overhaul arisings on account of condemnation of overaged Steam Locos. Drop in outturn of Wagons is due to less POH arisings during 1977-78, arrears having been largely cleared during 1976-77. The balance wagon POH capacity is being utilised for alternative lines of activity e.g. modifications to Wagons, fitment of CBC's NPOH etc.

मध्य रेलवे पर रेलवे स्टेशनों को जोड़ना

1889. **श्री डी० जी० गवई :**

श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के बारे में सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पड़ूंरना को अमरावती से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्योंकि वाणिज्य और आर्थिक महत्व की दृष्टि से पड़ूंरना और अमरावती को जोड़ना बहुत आवश्यक है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दिवा और बसई रोड तथा वानी और चनाका को जोड़ने के लिए नयी रेल लाइनों का निर्माणकार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) संसाधनों की भारी तंगी के कारण फिलहाल पंड़ूरना को अमरावती के साथ जोड़ने के लिए नयी रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नागपुर से आमला तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाना

1890. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन:**

श्री डी० जी० गवई:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर नागपुर से आमला जंक्शन के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य वर्षों पहले आरम्भ कर दिया गया था किन्तु उसे छोड़ दिया गया;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा कब छोड़ा गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) दोहरी लाइन बिछाने का कितना कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) नागपुर से आमला जंक्शन तक दोहरी लाइन बिछाने का कार्य सम्भवत: कब तक पुन: आरम्भ किया जायेगा तथा इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुल 167.5 किलोमीटर लम्बे नागपुर-आमला खंड में से तीगांव-चिचोंडा के बीच केवल 16.5 कि०मी० लाइन को दोहरी किया जाना अनुमोदित किया गया था और जून, 1970 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया था ।

(घ) शेष 151 कि०मी० लाइन को दोहरी बनाने के लिए अभी तक और आगे किसी निर्माण कार्य का अनुमोदन नहीं किया गया है । हांलाकि, निकट भविष्य में बढ़ने वाले यातायात को सम्हालने के लिए लाइन क्षमता में वृद्धि करने के लिए मुलताई और चिचोंडा, मैटपांजरा और कोहली तथा तीगांव और चिचोंडा (ब्लाक हट) के बीच 64.26 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पार स्टेशनों की व्यवस्था का और लगभग 17.66 लाख रुपये की अनुमानित लागत से टोकन रहित ब्लाक संचालन का इस समय निष्पादन किया जा रहा है ।

Raising level of Sadisopur Station Platform

1891. **Shri Chandradeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government would take a decision to raise the level of platform of Sadisopur station in Danapur Division on the Eastern Railway in view of the difficulties being faced by the passengers there and because of the fact that a large number of tickets and monthly passes are sold at that station; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) A proposal to raise the level of both the platforms at Sadisopur Railway station is under consideration. It is proposed to include this work in the railways works programme for 1978-79.

एरोड-शोरानूर-कोचीन मार्ग पर लाइन का दोहरा करना

1892. **श्री के० ए० राजन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एरोड-शोरानूर-कोचीन मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने के कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) ईरोड-ओलवक्कोड तथा अल्वाय-एर्णाकुलम खंडों पर पूर्णतया दोहरी रेलवे लाइनें हैं। 14-11-77 को शोरुवण्णूर-अल्वाय खंड पर पुडुकाड-इरिजालकुडा (10 कि०मी०) दोहरी रेलवे लाइन माल यातायात के लिए खोल दी गयी है। आशा है मुल्लुरकरै-वडक्कांचेरी दोहरी लाइन अप्रैल 1978 तक तैयार हो जायेगी।

निम्नलिखित उप-खंडों पर दोहरी लाइन बिछाने की अभी हाल में मंजूरी दी गयी है। यदि धन उपलब्ध हुआ तो इनका निर्माण कार्य पूरा होने में 3 वर्ष लगेंगे:—

(1) शोरुवण्णूर-मुल्लुरकरै	8.07	किलोमीटर
(2) वडक्कांचेरी-मुलगुण्णत्तुकावु . . .	7.45	किलोमीटर
(3) त्रिचूर-पुडुकाड	13.74	किलोमीटर
(4) चालकुड़ी-अंगमालि	15.41	किलोमीटर

फेबरीकेटर्स एसोसिएशन की शिकायत

1893. **डा० बसन्त कुमार पंडित**: क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेबरीकेटर्स एसोसिएशन (लघु उद्योग) ने शिकायत की है कि सरकारी उपक्रम अर्थात् इंजीनियरिंग इण्डिया लिमिटेड ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है जो छोटे 'फेबरीकेशन' एककों के विरुद्ध हैं;

(ख) क्या अनेक फैबरीकेशन एकक काम के अभाव के कारण बन्द हो गये हैं जबकि इंजीनियरिंग इण्डिया लिमिटेड कुछ चुने हुए बड़े फेबरीकेटर एककों को काम दे रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति पर विचार किया है और यदि हां, तो छोटे एककों को किस प्रकार की राहत दी जायेगी जिससे वे अपना काम जारी रख सकें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (ग) हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन इन्जीनियर्स इंडिया लिमि० (ई०आई०एल०) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लघु उद्योग के लिए तथा कथित उदासीनता से सम्बन्धित बम्बई स्थित फेब्रीकेटर्स एसोसिएशन से एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था।

मुख्य रूप से ई०आई०एल० का सम्बन्ध पेट्रोलियम शोधन शाला, उर्वरकों, पेट्रो-रसायन, गैर-फेरस धातु विज्ञान, समुद्र इंजीनियरिंग आदि से सम्बन्धित वृहद परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन से है। बड़े उद्योग, मध्यम अद्योग तथा लघु उद्योग के क्षेत्रों के सयन्त्रों के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिये ई०आई०एल० की एक पद्धति है जिसके अन्तर्गत वह इन उद्योगों के विक्रेताओं की एक सूची रखी जाती है, कई वर्षों से ई०आई०एल० ने लघु उद्योग के क्षेत्र की जांच की है तथा अपने पास विक्रेताओं की एक बहुत बड़ी संख्या की सूची रखी है जिन्हें वह इन विक्रेताओं की कोटि, मात्रा, समय, मूल्य और भूगर्भीय परिस्थिति के आधार पर आर्डर देता है। ई०आई०एल० द्वारा उपरोक्त उद्योगों के लिए सामग्री, उपकरण और फालतू पुर्जे प्राप्त किए जाते हैं, वे आमतौर पर अत्यन्त परिष्कृत स्वरूप के होते हैं और इस प्रकार से अपेक्षित कोटि की इस सामग्री की सप्लाई हेतु लघु उद्योग के क्षेत्र में उनकी इकाईयों की योग्यता पर निर्भर करता है, परन्तु इसके लिए सुरक्षा सीमित होती है।

ई० आई० एल० की स्वीकृत सूची में लघु उद्योग के 136 विक्रेताओं में इससे पिछले दो वर्षों में 50 विक्रेताओं को आर्डर दिये हैं । या अन्य विक्रेताओं ने, जिन्होंने ई० आई० एल० से आर्डर लिये थे, इसके बदले में संघटन पुर्जों आदि को प्राप्त करने हेतु लघु उद्योगों को उप-आर्डर दिये हैं ।

क्योंकि लघु उद्योग की अपेक्षित कोटि के माल की सप्लाई की क्षमता और उनकी सुरक्षा सीमित हैं अतः यह कहना सही अनुमान नहीं होगा कि फैब्रीकेटिंग इकाईयों को ई०आई०एल० से काम न मिलने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है ।

मंत्रालय ने बम्बई स्थित फैबिकेटर्स एसोसिएशन से उनके पास पंजीकृत लघु अद्योग के विभिन्न वर्ग के मद्दों के व्यवसायी उद्यमियों की एक पूर्ण सूची भेजने के लिये अनुरोध किया है ताकि पेट्रोलियम मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन उपक्रम इस सूची को अपने पास नोट रख लें और समय-समय पर उनके जांच पड़ताल कर सकें ।

बड़ी लाइन के द्वितीय श्रेणी के 'थ्री-टायर' शयनयानों में गद्दों की व्यवस्था

1894. **श्री के० प्रधानी :**
श्री एस० एस० सोमानी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल द्वारा बनाये जाने वाले बड़ी लाइन के द्वितीय श्रेणी के सभी थ्री-टायर शयनयानों में गद्दों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय का क्या ब्यौरा है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां । जयन्ती जनता तथा अन्य लम्बी दूरी की तेज चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में उपयोग के लिए भविष्य में बनाये जाने वाले बड़ी लाइन के दूसरे दर्जे के 3-टियर शयनयानों में गद्देदार शायिकाओं और पीठिकाओं की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया है ।

आगरा से कोटा तक यात्री गाड़ी चलाना

1895. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आगरा से कोटा तक एक यात्री गाड़ी चलाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की क्रियान्विति में क्या बाधा पड़ी है तथा इस सैक्शन में बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह गाड़ी कब तक चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं । लेकिन भीड़-भाड़ को कम करने के लिए 15-3-1977 से 81/82 तथा 83/84 आगरा फोर्ट कोटा यात्री-गाड़ियों में दूसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा बढ़ा दिया गया है ।

Introduction of a New Train on Farukhabad-Delhi Section

1896. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government had announced in the beginning of 1976 and 1977 the introduction of a new Express Train on Farukhabad-Delhi section of Northern Railway; if so, the follow up action taken thereon ;

(b) whether Government are aware of the serious difficulties being faced by a large number of people of Farrukhabad, who visit Delhi for business purposes; and

(c) if so, whether Government are taking any steps for immediate introduction of a direct Express Train between Farrukhabad and Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) ; (a) to (c) No, only the provision of a passenger train between Delhi and Farrukhabad was announced in 1975. This has been implemented from 1-11-75 by extension of Tundla-Delhi passenger to and from Farukhabad. In addition, one 2-tier sleeper through service coach is running between Farrukhabad and Delhi by 83/113 and 84/114 Varanasi-Delhi Expresses and connecting trains. Introduction of an additional train has not been found justified on traffic considerations and also not operationally feasible for want of spare line capacity on sections en route and requisite terminal facilities.

Construction of Gola-Gokarnnath Railway line

1897. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether survey for proposed Gola-Gokarnnath railway line via Shahjahanpur was completed in 1975-76 if so, further action taken in this regard; and

(b) the expenditure likely to be incurred on construction of this railway line and when the work on this line is likely to be started and when the same is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) A survey has been carried out for construction of a new railway line from Farrukhabad to Shahjahanpur and from Shahjahanpur to Gola Gokarnnath Mailani and reports on this survey cost were received recently. According to the survey report the line is estimated to Rs. 33.03 crores. Further consideration to this project will be given in consultation with the Planning Commission after the survey reports have been examined from all angles and depending upon the availability of resources.

Accumulation of Railway lines sleepers in Godowns

†1898. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have inquired into the fact that a huge quantity of new as well as old railway lines and iron sleepers running into several crores of tons are lying at godowns at various railway stations in the country and that these are being damaged by rail.

(b) the action being taken by Government in the matter; and

(c) the value of railway iron stocks, etc. lying unused at various railway stations ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No; some stocks of new and second-hand permanent way materials such as, rails and metal sleeper are essentially required to be kept reserved as imprest for day-to-day maintenance of track as well well as for meeting emergencies such as accidents, breaches of Railway lines, etc. In addition, rails and sleepers required for regular track renewal works and construction when received at the site of the work, have necessarily to be kept at the place of work for certain periods till they are used in the track. This stocking of permanent way materials at the sites of works for certain periods is unavoidable as these materials have to be procured well in advance of the execution of the work in order to prevent any hold up of the progress of work once started. Moreover all the matching materials are sometimes not received at the same time causing delay in the actual utilisation of the materials already received at the site of work. Similarly old permanent way materials released from track have to be kept stocked at the nearest stations till they are disposed off by public auction, transfer etc.

(b) It is the constant endeavour of the Government to keep inventories of new and old materials to the minimum.

(c) The cost of such material would be about Rs. 15 crores, which is not considered high keeping in view the total cost of track renewal works, doublings, new lines, guage conversion works carried out in a year.

दिल्ली और सीकर के बीच सीधी रेलगाड़ी

1899. **श्री राजकेशर सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1977 से आज तक दिल्ली से सीकर, दिल्ली से जोधपुर तथा दिल्ली से बीकानेर तक कितने यात्रियों ने यात्रा की,

(ख) क्या इन स्थानों की जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए सीकर जाने वाले यात्रियों की संख्या जोधपुर तथा बीकानेर जाने वाले यात्रियों की संख्या के बराबर थी या अधिक थी, और

(ग) यदि हां, तो जोधपुर मेल तथा बीकानेर मेल के समान ही दिल्ली और सीकर के बीच एक सीधी रेलगाड़ी न चलाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) प्रारंभिक यात्रियों की संख्या, जिन्होंने पहली अप्रैल, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान दिल्ली से सीकर, जोधपुर और बीकानेर तक यात्रा की, नीचे दी गयी हैं :—

गंतव्य स्टेशन	यात्रियों की संख्या
सीकर	8,973
जोधपुर	39,386
बीकानेर	31,828

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार सीकर, जोधपुर और बीकानेर की आबादी क्रमशः 70,987, 3,17,612 और 2,08,894 थी । अतः दिल्ली से प्रारंभिक यात्रियों की संख्या आबादी की 12.6%, 12.4% और 14.9% बैठती है ।

(ग) दिल्ली, बीकानेर और जोधपुर से प्रारंभिक यात्रियों के अतिरिक्त डाक-गाड़ियां सीधे जाने वाले यात्रियों और मार्गवर्ती महत्वपूर्ण स्टेशनों के यात्रियों की भी जरूरत पूरा करती है । सीकर आने और जाने वाले यात्रियों की जरूरत इस समय दिल्ली और सीकर के बीच चलने वाले दो थ्रू सर्विस सवारी डिब्बों अर्थात् एक आंशिक रूप से दूसरे दर्जे का शयनयान और एक पहले और दूसरे दर्जे के मिले जुले यान से पूरी हो जाती है । सीकर के लिए अलग से गाड़ी चलाना न तो औचित्यपूर्ण है और ना ही पारिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक है ।

जीवन रक्षक एण्टीबायोटिक्स औषधियों में आत्मनिर्भरता

1900. **श्री राजकेशर सिंह :**

श्री शिवाजी पटनायक :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन रक्षक एण्टीबायोटिक्स औषधियों के मामले में देश के निकट भविष्य में आत्मनिर्भर होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो किस समय तक, और

(ग) क्या देश में इसके लिए अपेक्षित तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और यदि नहीं तो क्या सरकार का इसको आयात करने का विचार है और किन देशों से ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) (1) 1976-77 के दौरान देश में निर्मित महत्वपूर्ण एन्टीबायोटिक्स की मात्रा और नाम, (2) 1975-76 के दौरान आयातित महत्वपूर्ण एन्टीबायोटिक्स के मूल्य, मात्रा और नाम, (3) गत 2 वर्षों के दौरान एन्टीबायोटिक्स के निर्माण के लिए विभिन्न औषध निर्माता एककों को दिए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंस के ब्यौरों सहित एन्टीबायोटिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में सूचना के तीन विवरण पत्र पहले ही 2-8-77 को लोक सभा के अ० प्र०सं० 5818 के उत्तर में सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये थे ।

एन्टीबायोटिक्स का उत्पादन बढ़ाने और यथा संभव देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस क्षेत्र में आई डी पी एल ने इरीथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइकलिन के उत्पादन के लिए अधिक उत्पादन वाले स्ट्रेनों और जानकारी और अर्द्ध-सिन्थेटिक पैंसिलिन के लिए प्रौद्योगिकी इटली से प्राप्त की है । इसी प्रकार एच ए एल भी आयातित जापानी प्रौद्योगिकी और स्ट्रेन प्राप्त कर रहे हैं ।

सामान्यतः एन्टीबायोटिक्स का उत्पादन फर्मेंटेशन प्रक्रिया पर आधारित है जहां पर उत्पादन स्ट्रेनों के क्षमता पर मुख्यतः निर्भर है और जो समय समय पर विभिन्न देशों में विकसित किए जाते हैं । अतः इस क्षेत्र में विभिन्न एन्टीबायोटिक्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी की प्राप्ति को जारी रखना आवश्यक होगा । प्रत्येक मामले के आधार पर अलग 2 निर्णय लिया जाएगा ।

Improvement of Engines of Trains on Sheopur-Bhind Narrow Gauge Line

+1901. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date when the material proposal for improving the engines of trains running on Sheopur-Bhind narrow gauge line were received by Government;

(b) whether Government propose to take steps to improve those engines so that trains on this section may run in time;

(c) the number of hours of late arrival or departure of trains on each date after 26th June, 1975 on Sheopur-Bhind narrow gauge line;

(d) whether Government propose to introduce diesel engines on these narrow gauge lines, if so, when; and

(e) whether it is a fact that 662 UP arrived at 17-35 hrs. on 16th October, 1977 and left at mid night and the names of officials responsible for it and action taken against them by the Department ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Springs were received on 1-5-77. Element Tubes were received on 19-6-77. Forged tyres received on 17-7-77 and boiler tubes recieved on 15-8-77.

(b) Yes.

(c) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Dieselisation will be taken up as and when a suitable design of a narrow gauge diesel loco with 2 feet gauge is developed.

(e) 662 UP arrived Sabalgarh at 17-35 hrs. and left at mid-night due to failure of loco No. 761 NM. The loco failed due to right side crank arm pin cracked. It is a case of material ailure and no staff has been held responsible.

पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का बिछाया जाना

1902. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे लाइनें बिछाने के लिए ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को चुना है जहां पर्याप्त यातायात की सम्भावना विद्यमान है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे चुने हुए क्षेत्रों के नाम क्या हैं और वहां रेलवे लाइनें बिछाने का क्या कार्यक्रम है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) जिन पिछड़े इलाकों में रेलवे लाइनों के बनाने के लिए यातायात की यथेष्ठ सम्भावनाएं हैं उनका पता लगाने के लिए अभी तक पूरे देश का व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है । लेकिन, विभिन्न राज्य सरकारों संसद सदस्यों, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से प्राप्त निवेदनों के आधार पर 1971 से 84 नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं या किये जा रहे हैं । इन रेलवे लाइनों के निर्माण को क्रमिक रूप में शुरू करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए मार्गदर्शी नीति

1903. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मरकार ने नई रेल लाइनों का सुव्यवस्थित आधार पर निर्माण करने के बारे में कोई वृहत् दीर्घावधि और स्पष्ट नीति बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति संसद के समक्ष कब रखी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) लोक लेखा समिति ने अपनी 171वीं और 191वीं रिपोर्टों में सिफारिश की थी कि नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए एक स्पष्ट व्यापक दीर्घकालीन योजना बनायी जाये । यह सिफारिश सरकार द्वारा मान ली गयी है और इस मामले पर अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । नीति निर्धारित हो जाने के बाद संसद के विचारार्थ प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

रेलवे में हड़ताल रोकना

1904. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1974 की रेल हड़ताल के दौरान रेल अधिकारियों द्वारा किया गया व्यय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हुई अन्य हानियों के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये से भी अधिक था;

(ख) राष्ट्रीय प्रगति की वर्तमान स्थिति में हड़ताल के हानिकारक प्रभावों के सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को अवगत कराने के लिए सरकार ने क्या सक्रिय कदम उठाए हैं ; और

(ग) विवादों को बढ़ने से रोकने के लिए किसी विद्यमान व्यवस्था के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मई 1974 की हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए रेलों ने लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च किये ।

(ख) विभिन्न मंचों से अनेक अपीलें जारी की गयी हैं ।

(ग) रेलों पर श्रम सम्बन्धों का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक शान्ति बनाये रखना है । इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वप्रथम रेलें उन प्रारम्भिक उद्योगों में से एक हैं जिनमें संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ था और शुरू में पुनर्गठित यूनियनों ने अपने ही संवर्गों के भीतर तथा प्रबन्धकों के साथ लम्बे समय से चले आ रहे सम्बन्धों के परिणामस्वरूप, झगड़ों के निपटारे में व्यापक अनुभव प्राप्त कर लिया है । इसके अलावा, प्रत्येक मान्यताप्राप्त निकाय के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिए 1951 में एक कारगर 3-स्तरीय स्थायी वार्ता तन्त्र की स्थापना की गयी थी । 1969 से रेलवे बोर्ड के स्तर पर संयुक्त परामर्श तन्त्र की विभागीय परिषद को इसमें जोड़ दिया गया है, जहां शीर्षस्थ परिषद, अर्थात् संयुक्त परामर्श तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद्, के अलावा उक्त दोनों फेडरेशनें संयुक्त रूप से कार्य करती हैं । रेलों के प्रतिदिन के काम में तथा भर्ती, पदोन्नति और सेवा की शर्तों से संबंधित कार्मिक मामलों में, समग्र नीति-निर्माण में, इन दोनों तन्त्रों ने काफी प्रभाव दिखाया है और ये श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के अलावा, विभिन्न स्तरों पर सामूहिक समझौता प्रक्रिया के माध्यम से, ऐसी कार्यविधियों और ढंगों का विकास करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो काम और संगठन संबंधी अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कामगारों के अधिकारों का समर्थन और निपटारा करने के लिए आवश्यक हैं ।

स्थायी वार्ता तन्त्र तीन स्तरों पर काम कर रहा है । पहला स्तर रेलवे स्तर है, जहां मान्यता-प्राप्त यूनियनों की मंडल अधीक्षक और महाप्रबन्धक तक अलग-अलग पहुंच हैं; अगला स्तर वह है जहां रेलवे स्तर पर न निपटाये जा सकने वाले अथवा रेलवे बोर्ड के सामर्थ्य में आने वाले मामलों पर सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा कार्रवाई की जाती है; और तीसरा स्तर वह स्तर है जहां किसी भी फेडरेशन और रेलवे बोर्ड के बीच समझौता नहीं हो पाता और सम्बन्धित मामले काफी महत्वपूर्ण होते हैं तथा उन्हें तदर्थ रेल अधिकरण, जिसमें रेल प्रशासन तथा मजदूरों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि शामिल होते हैं और जिसकी अध्यक्षता एक तटस्थ अध्यक्षता द्वारा की जाती है, को सौंपा जाता है । अधिकरण की सिफारिशों में सरकार आशोधन कर सकती है अथवा उन्हें रद्द कर सकती है ।

मंडल अधीक्षकों की मान्यताप्राप्त यूनियनों के साथ दो महीने में एक बार बैठक होती है और इस प्रकार उन्हें दोनों मान्यताप्राप्त यूनियनों के साथ कुल मिलाकर 12 बैठकें करनी पड़ती हैं । महा-प्रबन्धकों की प्रत्येक यूनियन के साथ वर्ष में चार बैठकें होती हैं और रेलवे बोर्ड के स्तर पर ही प्रत्येक फेड-रेशन के साथ हर तीन माह बाद बैठकें होती हैं ।

संयुक्त परामर्श तन्त्र की विभागीय परिषद में सेवा की सभी शर्तों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा सकता है, लेकिन अनिवार्य रूप से मध्यस्थता की व्यवस्था केवल वेतन और भत्तों, काम के घंटों तथा कर्मचारियों की एक श्रेणी या वर्ग की छुट्टी से सम्बन्धित मामलों में ही की गयी है । यदि दोनों पक्षों में कोई समझौता न होने पाये और मामला ऐसा हो जिसके लिए अनिवार्य रूप से मध्यस्थता की व्यवस्था की गयी हो, तो उसे पंच-निर्णय के लिए भेज दिया जायेगा, बशर्ते कि कोई भी पक्ष ऐसा करने के लिए कहे । अन्य मामलों में, जहां अनिवार्य रूप से मध्यस्थता की व्यवस्था न की गयी हो, सरकार अपने ही फैसले के अनुसार कार्रवाई करेगी ।

मान्यता प्राप्त यूनियनों और प्रशासन के बीच सम्पर्क होने के अलावा, यह हिदायतें भी हैं कि अधिकारी एवं पर्यवेक्षण कर्मचारी जब भी दौरे पर जायें, तब कर्मचारियों से मिलें और उनकी समस्याओं को समझने तथा उन्हें सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित होंगे । इसके अतिरिक्त, महाप्रबन्धक विभागाध्यक्ष और मंडल अधीक्षक सप्ताह में एक बार, निश्चित दिनों को, कर्मचारियों से मिलते हैं और उनकी शिकायतें सुनते हैं । यह कार्य-प्रणाली कर्मचारियों के बीच विश्वास की भावना उत्पन्न करने और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गयी थी । इस बात पर बल दिया गया है कि समय का महत्व अत्यधिक है और योजना केवल तभी सफल हो सकती है यदि शिकायतों की शीघ्र जांच की जाये और कर्मचारियो को स्थिति स्पष्ट कर दी जाय ताकि उन्हें सन्तोष हो सके ।

मंडल कार्यालयों, क्षेत्रीय प्रधान-कार्यालयों और रेलवे बोर्ड में कर्मचारी शिकायत कक्ष भी कार्य कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त, गैर-मान्यताप्राप्त निकायों से मिले अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और समुचित फैसले किये जाते हैं, भले ही उनके साथ औपचारिक बैठकें नहीं की जातीं ।

. इस प्रकार, वर्तमान कार्यप्रणाली में यह सुनिश्चित करने की पर्याप्त व्यवस्था है कि कर्मचारियों की उचित शिकायतों या मांगों, भले ही वे किसी एक व्यक्ति की हों या किसी समूह की, पर समुचित स्तर पर ध्यान दिया जाये ।

हानि में अथवा लाभ में चलने वाले रेलवे जोन

1905. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कुल 9 जोनों में से कितने जोन हानि अथवा लाभ में चल रहे हैं ;

(ख) कुछ रेलवे जोनों में हानि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) हानि वाले जोनों के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) वर्ष 1976-77 में कुल 9 क्षेत्रीय रेलों में से चार रेलों अर्थात् पूर्व, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा एवं दक्षिण रेलों को हानि हुई है ।

(ख) क्षेत्रीय रेलों का अधिकार-क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र की अर्थ क्षमता पर उतना अधिक आधारित नहीं होता जितना समन्वित संघटित प्रचालन पर आधारित होता है । कुछ क्षेत्रीय रेलें अच्छे वित्तीय परिणाम दिखाती हैं जबकि अन्य रेलें ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाती ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फुटकर व्यापारियों द्वारा औषधियों का ऊंचे दामों पर बेचा जाना

1906. **श्री शंकर सिंह जी बघेला**:
श्री अन्नत दवे :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि फुटकर व्यापारी औषधियों को उत्पादक द्वारा निर्धारित मूल्यों से काफी अधिक मूल्य पर बेचते हैं; और

(ख) औषधियों के फुटकर मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) औषधों के मूल्य कानूनी रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं । उक्त आदेश के पैरा 15 में, जिसे 1 मई, 1975 को संशोधन किया गया था, यह व्यवस्था है कि कोई भी फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं को किसी भी सूत्रयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सूची में दिये गए मूल्य अथवा दवाई के पैकेट पर दर्शाये गये मूल्य, जो भी कम हो, और स्थानीय कर सहित (यदि कोई हो) अधिक मूल्य पर नहीं बेचेगा । अप्रैल, 1977 में दिल्ली की दवाई की दुकानों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों की जांच करने के लिये एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था । कैमिस्टों द्वारा अधिक

मूल्य लिये जाने के कुछ मामले पकड़े गये और उन पर औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही की गई। समस्त राज्य औषध नियंत्रकों और विभिन्न औषध निर्माता संघों के प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि देश भर में कैमिस्ट औषधों के केवल नियमित मूल्य ही लें और उनपर कड़ा नियंत्रण रखा जाये।

औषध आयात नीति में परिवर्तन

1907. **श्री शंकर सिंह जी बघेला :**
श्री अन्नत दवे :
डा० बापू कालदाते :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध आयात नीति में कोई परिवर्तन किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गये परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इन नये परिवर्तनों के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तिका (खण्ड 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए अप्रैल 1977—मार्च 1978 की अवधि के लिए आयात नीति 27-9-77 से संशोधित की गई है ताकि आर्युवेदिक और यूनानी दवाइयों को छोड़ कर केवल औषधों और औषध-मध्यवर्ती पदार्थों के निर्यात के स्थान पर आर० ई० पी० की हकदारी के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों द्वारा सरनीबद्ध प्रपुंज औषधों के आयात के लिए व्यवस्था की जा सके। सरकार की सरणीबद्ध एजेंसियों के जरिए प्रपुंज औषधों के सरणीबद्ध योजना के उचित तथा ठीक ढंग से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह परिवर्तन किया गया था और न कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कोई लाभ पहुंचाने की दृष्टि से था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के लिए पंजाब राज्य की ओर से सुझाव

1908. **श्री ओ० पी० त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या पंजाब राज्य ने यह सुझाव दिया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन किये जाएं;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) क्या इन सुझावों को सम्मिलित किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव): (क) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पंजाब की सरकार से 1969 में प्राप्त हुआ था।

(ख) वह प्रस्ताव पंजाब राज्य के संबंध में, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में इस प्रयोजन से संशोधन करने का था कि पुत्रियों को उनके पिताओं की कृषि भूमि विरासत में पाने से विवर्जित किया जाए ।

(ग) भारत सरकार इस प्रस्ताव से मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से सहमत नहीं थी :—

(i) पुत्रों तथा पुत्रियों के लिए पिता की सम्पत्ति में समान अंश, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुरूप है, जिसमें अन्य बातों के साथ लिंग के आधार पर विभेद के विरुद्ध उपबंध है ।

(ii) यदि केवल पुत्री को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्ग I के वारिसों में से अपवर्जित किया जाता है तो उस वर्ग में वारिसों की सम्पूर्ण योजना में गड़बड़ी हो सकती है ।

(iii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में कुछ दशाओं में वसीयती उत्तराधिकार का उपबंध है जिसके द्वारा कोई हिन्दू चाहे तो वसीयत व्ययन कर सकता है । अत: यदि पिता चाहे तो वह विल द्वारा अपनी सम्पत्तियों के ऐसे रूप में न्यागमन की व्यवस्था कर सकता है जो अधिनियम में न्यागमन के विहित रूप से भिन्न हो ।

Shortage of Cooking Gas Cylinders

1909. Shri L. L. Kapoor : Will the Minister of **Petroleum, and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of cooking gas cylinders with all the gas supplying companies; and

(b) if so, the action being taken by Government to remove the shortage of L.P.G. Cooking Gas Cylinders ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रेलवे में श्रेणी I के अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

1910. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 की हड़ताल के बाद रेलवे में बड़ी संख्या में प्रथम श्रेणी अधिकारियों के पदों को वरिष्ठ श्रेणी I और अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदोन्नत पदों की कुल संख्या कितनी है इस प्रकार पदों का दर्जा बढ़ाने का क्या कारण है, क्या यह अतिरिक्त कार्यभार और उत्तरदायित्वों के अनुरूप औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं; और

(ग) क्या अधीनस्थ पदों को समर्पित करने के बाद ही पदों का दर्जा बढ़ाया गया था अथवा नहीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) कार्यभार और जिम्मेदारियों के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण, रेलों पर राजपत्रित संवर्गों की संरचना की समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति ने की थी और मंत्रिमंडल ने विभिन्न ग्रेडों में 968 राजपत्रित पदों का ग्रेड बढ़ाने का

प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था । ग्रेड बढ़ाने का काम चरणों में किया गया था । 650 पदों का ग्रेड मई, 1974 से पूर्व तथा 318 पदों का ग्रेड मई, 1974 के बाद बढ़ाया गया था ।

पदों के ग्रेड पदभार और दायित्वों के महत्व के आधार पर बढ़ाये गये थे और अधीनस्थ पद उतनी ही संख्या में अभ्यर्पित नहीं किये गये थे

संतरागाची में 'इंस्पेक्शन कैरिज'

1911. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दक्षिणपूर्व रेलवे के सन्तरागाची में सभी मुख्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के उपयोग क लिये इन्स्पेक्शन कैरिजों की कुल संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रथम श्रेणी की पर्यटन कारों (सं० 15, 16 17) का उपयोग करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन्स्पेक्शन कैरिजों, अब जिनका रेलवे अधिकारी उपयोग कर रहे हैं, के रख-रखाव और उन्हें खींचने पर (जिनमें कोयले की सप्लाई, लिनन, पायलेट आदि का खर्च शामिल है) प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च होती हैं; और

(घ) क्या कैरिज निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली, जो कि सभी विशिष्ट व्यक्तियों के लिये भी उपलब्ध नहीं हैं, के स्थान पर रेलवे प्रशासनिक अधिकारियों के लिये केवल उनके सरकारी दौरों के लिये, पुलिंग इंस्पेक्शन कैरिज प्रणाली आरम्भ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय में काम कर रहे 91 प्रशासनिक अधिकारियों के लिये सन्तरागाची में केवल 11 निरीक्षणयान हैं। निरीक्षणयान उपलब्ध न होने तथा प्राइवेट पार्टियों की ओर से प्रथम श्रेणी की पर्यटन कारों के लिये कोई मांग न होने पर ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रथम श्रेणी की पर्यटन कारों का उपयोग करते हैं ।

(ग) निरीक्षण यानों के अनुरक्षण तथा उनके कर्षण पर हुए खर्च के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) अधिकारियों द्वारा निरीक्षण यानों का यथासंभव मिलकर उपयोग किया जाता है ।

कावेरी बेसिन, केरल और मंगलोर में तेल का पता लगाने की योजना

1912. **श्री जे० एम० बनतवाला** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कावेरी बेसिन, केरल के पश्चिमी तट पर और मंगलौर के पश्चिम में तट पर और तट से दूर तेल का पता लगाने के लिये व्यापक अध्ययन करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की जानी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का रत्नागिरी और केरल के समुद्र तट के अन्दरुनी क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण

का काम वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में आयोजित की योजना है। कावेरी समुद्रतटीय क्षेत्रों में अनेक कुयें खोदे गये हैं परन्तु उनमें वाणिज्यिक स्तर पर तेल के भण्डार नहीं मिले। तथापि, कुड्डालोर और पांडिचेरी के क्षेत्रों में और भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जायेंगे। कावेरी बेसीन में समुद्र में खोदा गया एक कुआं शुष्क पाया गया।

(ग) इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1977-78 के दौरान ओ० एन० जी० सी० को जितनी धनराशि की आवश्यकता थी, उसका अनुमान नीचे दिया गया है :--

(रुपये लाखों में)

	1977-78	1978-79
समुद्र के अन्दरुनी क्षेत्रों में सर्वेक्षण तथा व्यधन कार्य के लिये . .	310.75	143.00
समुद्र तट पर सर्वेक्षण	48.00	54.00

तीसरे वर्ष के दौरान इस प्रयोजना के लिये जितने धन की आवश्यकता होगी उसका अनुमान अगले दो वर्षों के दौरान किये गये सर्वेक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करने के पश्चात लगाया जायेगा।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड तथा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एकीकरण

1913. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को एक ही कम्पनी में मिला दिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० तथा इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के एकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषध निर्माताओं को लाइसेन्स दिया जाना

1914. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान भारतीय विदेशी कम्पनियों को औषधीयों के उत्पादन के लिये कितने लाइसेंस दिये गये;

(ख) क्या इससे सरकार की देश के निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की नीति का पता चलता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) से (ग) चालू वर्ष 1977-78 के प्रथम छह महीनों के दौरान औषध निर्माताओं को 11 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे जिसमें से 10 भारतीय कम्पनियों को नये उत्पादों के निर्माण पर्याप्त विस्तार के लिये दिये गये थे। 11 वां लाइसेंस विदेशी कम्पनी को विद्यमान गतिविधियों को नियमित करने के लिये 'कार्य जारी रखो (कैरी

मान बिजनैस)' दिया गया था। इससे सरकार की देशी निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की नीति का पता चलता है।

रेल कर्मचारियों की छंटनी के लिये वित्त मंत्रालय से निदेश

1915. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को रेलवे वित्त मंत्रालय से रेलवे में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने के निदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय ने उक्त निदेश प्रभावी कर दिये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वित्त मंत्रालय से ऐसे कोई निदेश प्राप्त नही हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम, 1969 का संकलन

1916. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम, 1969 के अधीन विभिन्न नियमों/प्रपत्रों का एक संकलन प्रकाशित करने के लिये कार्यवाही की गई है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस प्रकार का संकलन तैयार करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) से (ग) हां, श्रीमान् जी। यह संकलन पहले ही प्रकाशित हो चुका है।

औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1917. **श्री ए० के० राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी और भारतीय और एकाधिकारी औषधि गृहों के राष्ट्रीयकरण के बारे में धनबाद में आयोजित मजदूर संघ सम्मेलन में पारित संकल्प सरकार को प्राप्त हो गया है, जिसके बारे में 'आल इण्डिया कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल एम्प्लाईज़ "एसोसियेशन' और "फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया" द्वारा निरन्तर मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) औषधि उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की क्या नीति है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषधि एवं भेषज उद्योग समिति ने इस मामले की विस्तार से जांच की तथा इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की थीं। हाथी समिति की रिपोर्ट अब सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जाना है।

कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियमों संबंधी समिति के बारे में शेयर होल्डरों के राष्ट्रीय फोरम की प्रतिक्रिया

1918. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरहोल्डरों के राष्ट्रीय फोरम ने कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधनों का सुझाव देने के लिये सरकार द्वारा गठित समिति का बहिष्कार करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस फोरम ने इसी कार्य के लिये एक समान्तर समिति गठित की है:

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): (क) से (ग) सरकार ने कुछ अखबारों में प्रकाशित इस आशय की रिपोर्ट देखी है।

(घ) सरकार को इन अखबारों की रिपोर्टों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है।

तैल शोधक कारखानों द्वारा विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना

1919. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी तेल शोधक कारखानों से अक्तूबर की समाप्ति से पहले अपने विस्तार प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सभी तेल शोधक कारखानों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) छठी पांच-वर्षीय योजना और वार्षिक योजना का प्रथम वर्ष है, के सन्दर्भ में सरकार तेल कम्पनियों से परामर्श करके तेल शोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने तथा कुछ माध्यमिक शोधन प्रक्रिया और सहायक एककों सुविधाओं की प्रति स्थापना के प्रस्ताव तैयार कर रही है। इन प्रस्तावों पर प्रारम्भिक स्तर पर विचार किया जा रहा है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के सुझाव

1920. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सुझाव दिया है कि निगमों और उसकी सम्बद्ध कम्पनियों के लिये एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम द्वारा निर्धारित 20 करोड़ रुपयों की आस्तियों की सीमा को बढ़ाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मांग के पक्ष में क्या कारण बताये गये हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान् जी, तथापि, एसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स ने जून, 1976 में सुझाव दिया था कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत अन्तः संबंधित उपक्रमों की सीमा की परिभाषा 35 करोड़ रु० तक बढ़ाई जानी चाहिये।

(ख) सुझाव के लिये चैम्बर द्वारा दिये गये कारण विगत कुछ वर्षों में संयंत्र लागत में सीधी बढ़ोतरी थी। इस मामले पर विचार किया गया तथा विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 35 करोड़ रु० की सीमा के परिशोधन के लिये एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में संशोधन प्रमाणक नहीं है।

अपर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों को लूटा जाना

1921. **श्री के० लकप्पा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 अक्तूबर, 1977 को पटना और गुलजार बाग स्टेशनों के बीच अपर इण्डिया एक्सप्रैस के तीन टायर वाले डिब्बे के यात्रियों से उनकी नकद राशि और मूल्यवान वस्तुयें लूट ली गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत चार महीनों में भारत में ऐसे डाके कई स्थानों पर पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने स्थानों पर और प्रत्येक मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, 20-10-77 को नहीं बल्कि 19-10-77 को पूर्व रेलवे के पटना और गुलजार बाग स्टेशनों के बीच अपर इंडियां एक्सप्रैस में लूट-पाट की नहीं बल्कि डकैती की घटना हुई थी।

(ख) 19-10-77 को लगभग 19.25 बजे जब 14 डाउन अपर इण्डिया एक्सप्रैस पटना जंक्शन स्टेशन से रवाना हुई, तो आग्नेय अस्त्रों तथा चाकुओं से लैस 10/12 बदमाश दूसरे दर्जे के 3 टियर डिब्बा संख्या 7031 में चढ़ गये और चाकू तथा पिस्तौलों की नोक पर डिब्बे के 14 यात्रियों की 8500 रु० के मूल्य की नगदी तथा निजी सम्पत्ति लूट ली। इस बात की रिपोर्ट भी मिली है कि बदमाशों ने एक गोली चलाई थी लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। जब गाड़ी गुलजारबाग स्टेशन पर पहुंची तो वे बदमाश लूट के माल सहित गाड़ी से उतर गये। सरकारी रेलवे पुलिस पटना स्टेशन ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन 20-10-77 को मामला संख्या 14 चलाया है और इस मामले में अब तक 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

(ग) और (घ) (1) पिछले चार महीनों अर्थात् जुलाई, 77 से अक्तूबर 77 तक की अवधि में सभी रेलों पर गम्भीर किस्म की डकैती के 20 और लूट पाट के 49 मामले हुए हैं और इन सभी मामलों को पुलिस ने दर्ज किया है।

(2) राज्य सरकारों की सरकारी रेलवे पुलिस, जो शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी हैं, गाड़ियों में डकैती और लूट-पाट की घटनाओं को रोकथाम करने के सभी संभव उपाय कर रही हैं।

(3) रेल मंत्री जो इस समस्या के बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं, प्रभावित राज्यों अर्थात् उ०प्र०, बिहार और पश्चिमी बंगाल के मख्य मंत्रियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं और उन्होंने हाल ही में उनसे अनुरोध किया है कि रेल गाड़ियों में यात्रा करते समय यात्रियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये रोक-थाम के और अपराधियों को पकड़ने के लिये कड़े उपाय किये जायें।

राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन कराना

1922. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेष राज्य विधान सभाओं के लिये निर्वाचन फरवरी, 1978 में कराने का निर्णय किया है ।

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कोई तैयारी की है; और

(ग) क्या उन राज्यों में होने वाले उपनिर्वाचन भी उसी महीने या उससे पहले करवाये जायेंगे?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव): (क) राज्यों की विधान सभाओं के जो साधारण निर्वाचन मार्च, 1978 में होने हैं उनको कराने के कार्यक्रम के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) उन राज्यों में होने वाले लोक सभा के उप-निर्वाचन, नई राज्य विधान सभायें गठित करने के लिये साधारण निर्वाचन के साथ ही कराये जायेंगे।

Joint Stock Companies

1923. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Law, Justice and Company affairs** be pleased to state :

(a) the progress made by Joint Stock Companies in the country during the last ten years;

(b) whether it is a fact that the big companies progressed more rapidly than other companies during the same period; and

(c) the details of progress made by the biggest ten companies ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) The number of non-Government joint stock companies increased from 28,257 as on 31-3-1968 to 47,554 as on 31-3-1977 and their paid-up capital increased from Rs. 1,913 crores to Rs. 2,769 crores during the same period, there being thus a growth of 68 per cent in the number of such joint-stock companies and 45 per cent in their paid-up capital over a period of nine years. The number of Government companies during this period increased from 241 to 701 and their paid-up capital from Rs. 1,532 crores to Rs. 7,184 crores.

(b) The number of big non-Government companies, i.e. companies with a paid-up capital of Rs. 50 lakhs and more increased from 611 to 933 and their paid-up capital increased from 1,020 crores to Rs. 1, 854 crores during the period 1965-66 to 1973-74. Thus, the number of big-sized non-Government companies increased by 53 per cent and their paid-up capital by 82 per cent during this period. The corresponding growth rates in the case of other non-Government companies, i.e. companies with a paid-up capital of less than Rs. 50 lakhs was 41 per cent in number and 12 per cent in paid-up capital. Similar comparative information for subsequent years is not yeat available

(c) Details of the progress made by the ten biggest non-Government companies ranked on the basis of their paid-up capital in 1975-76 during the period 1965-66 to 1975-76 are given in the statement annexed.

Statement

(Rs. in lakhs)

S. No.	Name of the Company	Paid-up Capital		Growth rate	Assets		Growth rate
		1965-66	1975-76		1965-66	1975-76	
1.	Tata Iron & Steel Co. Ltd.	3895.92	4998.22	28.3	16323.78	31302.90	91.8
2.	Associated Cement Co. Ltd.	2034.45	2848.35	40.0	6304.03	12569.11	99.4
3.	Oil India Ltd.	2800.00	2800.00†	0	9116.74	8426.92†	(—)7.6
4.	Hydro Carbons India Ltd.	*1.00	2500.00	N.I.	2097.82*	5359.66	155.5
5.	Indian Explosives Limited	341.83	2148.20	528.4	853.20	7300.07	755.6
6.	Indian Aluminium Co. Ltd.	640.55	2157.72	236.8	2776.30	10080.80	263.1
7.	Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd.	1599.29	2012.72	25.8	7835.68	20123.04	156.8
8.	Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd.	576.44	1957.56	239.6	4087.05	11716.21	186.7
9.	Southern Petro-Chemicals Ltd.	**0.14	1897.43	N.I.	10.15**	10642.70	N.I.
10.	I.T.C. Ltd.	1516.00	1895.00	25.0	3420.60	10507.47	207.2
	Total	13405.62	25215.20	88.1	52825.35	128028.88	142.4

N.I.—Not indicated; the growth rate has not been worked out as the base year figure is very low.

† Figures relate to 31-12-70, the latest available.

** Figures relate to 30-6-70 the first year of incorporation.

* Figures relate to 31-12-69 the earliest available.

संविधान के निदेशक तत्वों के आधार पर समान सिविल संहिता बनाना

1924. **श्री एम० अरुणाचलम**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का समान सिविल संहिता बनाने का कोई प्रस्ताव हैं जिससे भारतीय संविधान की राज्य नीति के निदेशक तत्वों में निहित उपबन्ध को कार्यरूप दिया जा सके ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव): अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Strike by Barauni Refinery Employees

1925. **Shri Yuvraj :**
Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :
Shri Surendra Bikram :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the workers of the Barauni Refinery went on strike in September, 1977; if so, the demands of the striking workers which have been accepted;

(b) whether the management has not so far regularised the allotment of accommodation, ordered the normal rent by refunding the penal rent and granted four increments for the 34 workers; and

(c) if so, the time by which the demands of the said workers would be met ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna): (a) The workers of Shramik Vikas Parishad, an unrecognised but registered union of Barauni Refinery, stopped work from 6 A.M. on 27-9-77. The demands put forth by this Union related to the withdrawal of restrictions on earned leave, filling up of vacant posts, incentive promotion, facilities for drinking water, ventilation and other welfare measures, medical facilities and withdrawal of Electricity meters. These demands were similar in nature to the demands put forth earlier by the recognised Barauni Telshodhak Mazdoor Union , which had been settled in a conciliation meeting called by the Labour Department, Government of Bihar on 17-9-77. The main grievance of the un-recognised union was that the assurance given to them on some of their demands had not been fulfilled in the agreement reached with the recognised union. The State Government was apprised of the situation and requested for assistance. Discussions were held with the Union and the strike was called off at 4.30 P.M. on 30-9-1977.

(b) and (c) There were 57 cases of unauthorised occupancy of quarters during years 1970 to 1974, out of which 20 vacated quarters before conclusion of the departmental proceedings, and standard rent till the date of vacation was recovered from them. Out of remaining 37 employees, disciplinary proceedings were launched against 20 employees, bus only three vacated quarters. 34 employees are still in un-authorised occupation of quarters and standard rent under Corporation's Rules is being charged from them. These workers have been demanding revocation of the Management's Orders, regularisation of allotment of quarters unauthorisedly occupied by them and refund of excess rent realised from them. The Management has agreed to discuss in conciliation the merits of each case.

बरौनी में रेलवे सुरक्षा बल के कुछ जवानों द्वारा रेलवे अस्पताल के डाक्टरों के साथ मारपीट

1926. **श्री के० लकप्पा :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कुछ क्रुद्ध जवानों ने 6 सितम्बर, 1977 को बरौनी में गरहरा के रेलवे अस्पताल के डाक्टरों के साथ आवेश में आकर दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 6-9-77 को इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन, 4-9-77 को भीड़ ने आवेश में आकर मंडल चिकित्सा अधिकारी, गड़हरा की कार को नुकसान पहुंचाया था। मंडल चिकित्सा अधिकारी पर हमले के प्रयासों को रेलवे सुरक्षा दल के

एक निरीक्षक तथा सहायक सुरक्षा अधिकारी, गड़हरा द्वारा काफी हद तक विफल कर दिया गया। तब भीड़ में से कुछ व्यक्ति हस्पताल से सड़क की दूसरी ओर स्थित डा० श्री एस० बी० खरे के निवास स्थान की ओर चले गये और उन पर प्रहार किया। डा० खरे के निवास स्थान के सामने खड़े उनके स्कूटर को भी आग लगा दी गयी। डा० द्वारा रेलवे सुरक्षा दल के विरुद्ध पुलिस में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट और शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

(ख) 4-9-77 को दोपहर लगभग 12.30 बजे रेलवे सुरक्षा दल के एक प्रधान रक्षक को छाती में दर्द के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के गड़हरा स्थित रेलवे हस्पताल में दाखिल किया गया था। उसी शाम लगभग 16.30 बजे हस्पताल में ही उसकी मत्यु हो गयी। रेलवे सुरक्षा दल के कुछ कर्मचारियों ने आपातकालीन ड्यूटी पर नियुक्त डाक्टर पर मृतक के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और वे सब हस्पताल के सामने एक झुंड के रूप में जमा हो गए। उनके साथ रेल कर्मचारी और उनके बच्चे तथा बाहरी व्यक्ति भी शामिल हो गए और वे सब डाक्टर के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग करने लगे।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के महाप्रबंधक के आदेश से सोनपुर मंडल के मंडल अधीक्षक द्वारा विभागीय जांच की जा रही है। जिम्मेवारी निर्धारित हो जाने तथा पुलिस द्वारा छानबीन पूरी कर लेने के पश्चात् यदि रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को दोषी पाया गया तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी।

(घ) चिकित्सा विभाग द्वारा अधीनस्थ चिकित्सकों की कार्य प्रणाली को और कड़ा किया जा रहा है तथा रेल सुरक्षा दल सहित सभी विभागाध्यक्षों को अधीनस्थ कर्मचारियों में अच्छे आपसी संबंध तथा अनुशासन बनाये रखने के लिए पहले ही कह दिया गया है। पुलिस द्वारा छानबीन पूरी कर लेने तथा मंडल अधीक्षक सोनपुर द्वारा विभागीय जांच कर लेने क पश्चात् ही आगे कार्रवाई करना संभव होगा।

इलाहाबाद रेल स्टेशन पर नकली ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे विक्रेता

1927. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद रेल स्टेशन पर नकली ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे विक्रेताओं द्वारा अनधिकृत वस्तुएं जैसे चप्पल आदि बेची जा रही हैं और घटिया किस्म की चप्पलें बहुत अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन अनधिकृत विक्रेताओं को सीनियर डिविजनल कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेंट, इलाहाबाद ने इन वस्तुओं को बेचने की अनुमति गैर-सरकारी रूप से दे रखी है;

(ग) गत 2 1/2 वर्ष में सीनियर डिविजनल कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा इलाहाबाद स्टेशन पर कितने बार अचानक छापे मारे गये और कितने लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया; और

(घ) इन अनधिकृत वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनधिकृत वस्तुएं जैसे चप्पल आदि की बिक्री के कुछ मामले रेलवे प्रशासन के नोटिस में आये हैं। लेकिन, घटिया किस्म की चप्पलें बहुत अधिक मूल्य पर बेचने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) जी नहीं।

(ग) मई, 1975 से अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधीक्षक के निर्देश के अन्तर्गत इलाहाबाद स्टेशन पर 66 बार अचानक छापे मारे गये थे और 160 व्यक्ति पकड़े गये थे तथा स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दण्ड दिया गया था।

(घ) उपर्युक्त वस्तुओं की अनधिकृत बिक्री की रोकथाम के लिए समय-समय पर अचानक छापे मारे जाते हैं और निरीक्षण किये जाते हैं।

कालटेक्स तेल शोधक कारखानों का विशाखापत्तनम और बम्बई में विस्तार

1928. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशाखापत्तनम में कालटेक्स तेल शोधक कारखाने और बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) दिसम्बर 1974 में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) ने निम्नलिखित दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे :—

(1) ईंधन शोधनशाला की क्षमता का प्रति वर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार अर्थात् 3.5 मिलियन मीट्रिक टन से 6.00 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक।

(2) निम्नलिखित अतिरिक्त पदों को तैयार करने के लिये ल्यूब शोधनशाला का विस्तार :

(क) एच०वी०आई० बेस आयल		70,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष
(ख) ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टाक	.	15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष
(ग) कार्बन ब्लैक फीड स्टाक	.	50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष
	योग :	1,35,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष

सरकार को काल्टेक्स से उनकी क्षमता के विस्तार के लिये कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

छठी पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत अतिरिक्त शोधनक्षमता की आवश्यकता का अब अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन अभी आरंभिक अवस्थाओं में है।

ज्वालामुखी से तेल खुदाई कार्य के मुख्यालय का स्थानान्तरण

1929. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी में तेल खुदाई कार्य के मुख्यालय को ज्वालामुखी से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मुख्यालय को स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं और मुख्यालय कहां स्थानन्तरित किया जा रहा है;

(ग) क्या ज्वालामुखी से मुख्यालय को स्थानान्तरित करने के विरूद्ध सरकार को काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या मुख्यालय को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को सरकार ने रद्द कर दिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (घ) ज्वालामुखी परियोजना में कार्यरत ओ० एन० जी० सी० के कर्मचारियों के कुछ वर्ग ने परियोजना के मुख्यालय को होशियारपुर में इस आधार पर स्थानान्तरित करने के लिये प्रत्यावेदन किया है कि ज्वालामुखी में यहां तक कि परिवार के लिये आवास, बच्चों के स्कूल आदि की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है।

इससे पूर्व, मुख्यालय को ज्वालामुखी से होशियारपुर स्थानान्तरित करने की मांग का स्टाफ तथा अधिकारियों के सभी तीनों पंजीकृत संगठनों/संघों द्वारा समर्थन किया गया था। इस मांग पर ज्वालामुखी परियोजना में कार्यरत कुल 258 कर्मचारियों में से 160 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर कर दिये थे। बाद में, तथापि, हिमाचल प्रदेश ओ० एन० जी० सी कर्मचारी संघ ने मुख्यालय को होशियारपुर स्थानान्तरित करने की अपनी मांग को जो वापिस लिया है और मुख्यालय को ज्वालामुखी में ही बनाये रखने के विचार पर बल दिया है। अतः मुख्यालय को ज्वालामुखी से होशयारपुर ले जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस सारे मामले की जांच की जा रही है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हड़ताल

1930. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों ने दशहरे से पहले बोनस का भुगतान न किये जाने के विरूद्ध रोष प्रकट करने के लिये 23 अक्तूबर को हड़ताल की थी;

(ख) क्या उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि बोनस का भुगतान दशहरे से पहले कर दिया जाएगा;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उत्पादन से संबंधित सूत्र के आधार पर बोनस देने की बात वित्त मंत्रालय ने स्वीकार नहीं की; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ओ० एन० जी० सी० द्वारा कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने के लिए उनके वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किये गये थे। उनमें से सरकार ने एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और उसी के आधार पर ओ० एन० जी० सी० तथा संघों के बीच में एक समझौता हो गया है। उत्पादन से सम्बद्ध बोनस अदायगी के प्रस्ताव का सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया था।

दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों की ओर से ज्ञापन

1941. **श्री कंवर लाल गुप्त** :

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों द्वारा तैयार किये गये ज्ञापन के बारे में 16 नवम्बर, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार को प्राप्त हुए उनके ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): (क) से (ग) सरकार को वह ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जिसके बारे में यह समाचार छपा है कि वह दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है ।

Ferry service between Barari Ghat and Narainpur Ghat

†1932. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether ferry service is available only once in a day to railway passengers going from Barari Ghat to Narainpur Ghat;

(b) whether this service will be made available twice a day for the convenience of these passengers; and

(c) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

2-8-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5708 के उत्तर की शुद्धि

Correction to Answer to Unstarred Q No. 5708 dated 2-8-1977

साइकल स्टेन्ड का ठेका देने के लिये

बयाना राशि का निर्धारण करने के बारे में

भाग (ख) के उत्तर में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया था :—

"साइकिल स्टैंड के लिए ठेका लेने हेतु अग्रिम राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप के निर्धारण से सम्बन्धित विवरण:—

स्टेशन	प्रतिभूति निक्षेप	निविदा का मूल्य
नयी दिल्ली	16,510	1,65,105
दिल्ली	13,200	1,32,000
लखनऊ	9,600	1,56,000
इलाहाबाद	10,000	46,105.01
कानपुर सेंट्रल	14,000	1,46,000
अलीगढ़	2,000	17,105.97
लुधियाना	3,200	1,27,120
अम्बाला छावनी	5,600	56,000
मुरादाबाद	1,890	18,880"

संशोधित उत्तर इस प्रकार है—

"नयी दिल्ली	16,510	1,65,105
दिल्ली	13,200	1,32,000
लखनऊ	9,600	1,56,000
इलाहाबाद	10,000	46,105.01
कानपुर सेंट्रल	10,000	1,46,000
अलीगढ़	2,000	17,105.97
लुधियाना	12,712	1,27,120
अम्बाला छावनी	5,600	56,000
मुरादाबाद	1,890	18,880"

समुद्री तूफान से पीडित लोगों के लिये प्रधान मंत्री सहायता कोष में अंशदान करने के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE : CONTRIBUTION TO THE PRIME MINISTER'S RELIEF FUND FOR CYCLONE-AFFECTED PEOPLE

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के सभी सदस्यों ने देश के दक्षिणी भागों में आये अभूतपूर्व तूफान के लिये सहानुभूति प्रकट की है । ऐसे सभी अवसरों पर सदस्यगण उदारतापूर्वक अपना अंशदान देते आये हैं।

यदि कोई माननीय सदस्य अपना अंशदान देना चाहें तो इसे प्रधान मंत्री कोष में जमा करने की हम तुरन्त व्यवस्था करेंगे ।

कार्यवाही को रिकार्ड करने के बारे में

RE : NON-RECORDING OF THE PROCEEDINGS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपका ध्यान नियम 379, 380, 381 की ओर दिलाना चाहता हूं। आप न्यायाधीश रहे हैं। आप इस मामले में हमारा मार्ग दर्शन करें। आप किस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही रिकार्ड न करने का आदेश दे सकते हैं? नियम 379 के अन्तर्गत रिपोर्टरों को रिकार्डिंग करने से रोका नहीं जा सकता। अतः इस संबंध में आपने रिपोर्टरों को जो आदेश दिये हैं वे अनुचित तथा आपके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर सभा में पहले भी कम से कम सात बार विचार हो चुका है जिसके अनुसार सभापति को कार्यवाही रिकार्ड न करने सम्बन्धी आदेश देने का अधिकार है। ये निर्णय भूतपूर्व अध्यक्षों के हैं। मैं तो केवल इनका पालन ही कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 380 स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं । मैं इस विषय पर किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या 1960 के बाद उस संबंध में दिये गये स्पष्ट विनिर्णय नियमों पर आधारित थे ? यदि हाँ तो किन नियमों पर अधारित थे ? क्या आप इस मामले को नियम समिति द्वारा स्पष्टीकरण करने के लिये भेजेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : दूसरे इस बारे में कल प्रेस में काफी समाचार छपे हैं । यदि कोई विषय वाद-विवाद में शामिल नहीं हो सकता तो समाचार पत्रों में कैसे छप सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्र इसे नहीं छाप सकते । यदि ऐसा है तो हमें बतायें ताकि हम उचित कार्यवाही करें ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : नियम 356 के अन्तर्गत आप विनिर्णय दे सकते हैं कि भाषण असंगत है और कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा । किन्तु कल आपने कहा कि जो कुछ भी आप बोलें, वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा । आप स्वयं अपनी बात के बारे में नहीं कह सकते कि यह असंगत है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैंने कहा था कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है । आप कल का कार्यबाही वृतान्त देख सकते हैं ।

श्री वयालार रवि (चिरंचिकाल) : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी उसे नहीं देखा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जिन पिछले विनिर्णयों की आपने चर्चा की है, वे नियमबद्ध नहीं हुए हैं। आप भाषण की कार्यवाही वृतान्त से बाहर निकालने संबंधी शक्ति को अनुशासनात्मक कदम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि भाषण को कार्यवाही वृतान्त से बाहर निकालने की शक्ति केवल असंसदीय शब्दों को निकालने से संबंधित है। इस मामले पर केवल नियम समिति ही विचार कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मैंने अभी कोई भी विनिर्णय नहीं दिया है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के 31 अगस्त, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का 31 अगस्त, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1195/(77)]

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
Re: Adjournment Motions

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कल गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गये परिपत्र के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। आपने गृह मंत्रालय से पूछताछ करने के लिये कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या बना। मैंने दो अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी दी थी।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक पहली सूचना का संबंध है, आदेश 1967 में जारी किये गये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपकी जानकारी गलत है। आखरी आदेश 19 सितम्बर, 1977 को जारी किया गया था। मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे यही जानकारी दी गयी है। इसलिये मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव का स्थान नहीं ले सकता ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को बार-बार न उठायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है ।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे
RE: QUESTIONS OF PRIVILEGE

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मैंने श्री सी० के० चन्द्रप्पन की गिरफ्तारी के बारे विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे दिल्ली प्रशासन और पुलिस ने खेद प्रकट किया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैंने श्री मधु लिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी । मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये से सम्पर्क नहीं स्थापित कर सका । उसके बाद ही कार्यवाही करूंगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध भी विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैंने जम्मू-कश्मीर अध्यादेश के बारे में नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : उस पर विचार होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

नौवां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के वन विभाग, अंडमान संबंधी पैराग्राफ 50 पर लोक लेखा समिति का 9वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कृमिनाशकों के मूल्यों में कमी किए जाने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. REDUCTION IN THE PRICES OF PESTICIDES

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : कीटनाशी दवाओं की मांग में ठहराव के बारे में हमें चिन्ता रही है । यह ठहराव आंशिक रूप से किसानों द्वारा कीटनाशी पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के विरोध के कारण प्रतीत होता है । खेती में कीटनाशी दवाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को इस आवश्यक पदार्थ को उचित दाम पर उपलब्ध कराने

की दिशा में कदम उठाती रही है । देश में बनाए जाने वाले दस मुख्य कीटनाशकों के प्रारम्भिक मूल्य अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि टैक्निकल श्रेणी के कीटनाशकों और इनके फामुलेशन्स के मूल्यों में कटौती करने की गुंजाइश है । सरकार ने मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत प्रारम्भ की । सरकार तथा उद्योगपतियों के बीच कई बैठकें हुई । हमने भी बड़ी यूनिटों के प्रतिनिधियों को बुलाया और इस बात पर जोर दिया कि सरकार कीटनाशकों के मूल्यों में तत्काल कटौती करने के लिए इच्छुक है ।

मुझे सदन को जानकारी देने में खुशी हो रही है कि इसके परिणामस्वरूप उद्योगपतियों ने कई मुख्य मूल कीटनाशकों तथा उनके फार्मुलेशन्स के दामों में अब 12 प्रतिशत तक की कमी कर दी है। इन कीटनाशकों में बी० एच० सी०, मालाथिआन और 2–4–डी० शामिल हैं । पेस्टिसाइड्स् एसोसिएशन आफ इंडिया ने सूचित किया है कि अधिकांशतः दामों में इस प्रकार की कटौतियाँ पहले से ही लागू की जा चुकी हैं । उद्योगपति इस बात पर राजी हो गए हैं कि वे पैकेज्ड कोमोडिटिज़ (रेग्युलेशन) आर्डर के अन्तर्गत प्रत्येक पैकेज पर संशोधित अधिकतम फुटकर मूल्य को अंकित करेंगे । वे क्षेत्रीय भाषाओं में दामों की इस कटौती का प्रचार करने के लिए भी राजी हो गए हैं।

मुझे विश्वास है कि किसान मूल्यों में कटौती का पूरा लाभ उठायेंगे और फसलों को हानि से बचाने के लिए कीटनाशक पदार्थों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे।

नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में

RE: MATTERS UNDER RULE 377

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । हम 10 बजे से पहले नोटिस देते आ रहे हैं । हमें कहा गया है कि "ये आज के लिये स्वीकार नहीं किये गए हैं" । क्या यह नियम दूसरे सत्र के लिए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ कल और आज के लिये ।

श्री सौगत राय : मैंने 8.33 प्रतिशत बोनस के बारे नियम 377 के अधीन सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय दे दिया है ।

ग्रेशम एण्ड क्रेवन ऑफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

GRESHAM AND CRAVEN OF INDIA (PRIVATE) LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों की और इंजीनियरी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस उपक्रम को सरकार द्वारा 1971 में अपने हाथ में लिया गया था । तब से यह उपक्रम सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत चल रहा है । अब यह निर्णय किया गया है कि इसे अर्जित कर लिया जाये ।

अतः यह विधेयक लाया गया है । इसमें अर्जन संबंधी सभी व्यवस्था की गई है । साथ ही यह उपबन्ध भी कर दिया गया है कि इस उपक्रम को ब्रेथवेट को हस्तांतरित कर दिया जाये ।

कल सभा में एक याचिका ग्रेशम एण्ड क्रेबन (प्राइवेट) लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की गई थी । उसमें यह सुझाव दिया गया है कि इस कम्पनी को ब्रेथवेट को सौंप दिया जाये । इसके अतिरिक्त बहुत से संसद सदस्यों के माध्यम से भी सरकार को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । कर्मचारियों के अभ्यावेदन सीधे कार्मिक संघों के द्वारा भी सरकार को मिले हैं । कर्मचारियों की ओर से जो बातें कहीं गई उसका सार यही था कि मैसर्स ब्रेथवेट एक घाटे वाली कम्पनी है । परन्तु हमारे लिये यह विश्वास करने की गुंजाइश है कि उस कम्पनी की हालत शीघ्र ही ठीक हो जायेगी । इस वर्ष की कम्पनी काफी अच्छे परिणाम प्रस्तुत करेगी ।

अध्यादेश को जारी करने की विशेष परिस्थितियाँ थीं । उस समय यही जरूरी समझा गया था कि इस कम्पनी को किसी और कम्पनी में हस्तांन्तरित कर दिया जाये । उस उद्देश्य के लिये ब्रेथवेट को ही ठीक समझा गया । हमने हिदायतें जारी करदी हैं और ब्रेथवेट और ग्रेशम एण्ड क्रेवन को बेच दिया है कि वह एक अलग एकक के रूप में काम करेगी । उसका हिसाब भी अलग रखा जायेगा । कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बिल्कुल वही हैं जो अब हैं । उनको ब्रेथवेट में मिलाया नहीं जायेगा । अतः यह डर निराधार है कि ब्रेथवेट के प्रबन्ध में आने से तुरन्त ही कर्मचारियों की हालत बदल जायेगी और न ही कम्पनी के काम को हानि होने की संभावना है ।

कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं । एक संशोधन के अन्तर्गत यह सुझाव दिया गया है कि जितनी धनराशि देने के लिए निर्धारित की गई है, उसके लिये केवल एक रुपया ही दिया जाये । इस बारे में मेरा यह निवेदन यह है कि विधेयक के अन्तर्गत जो धन उन्हें देने के लिये अलाट किया गया है, वह इसलिये नहीं कि कम्पनी के अंशधारियों अथवा पुराने मालिकों को मुआवजा दिया जाये । उस धन का उपयोग कर्मचारियों की देय राशि चुकाने के लिये सबसे पहले किया जायेगा । उसके बाद सरकार अथवा बैंकों के दायित्वों का भुगतान किया जायेगा । इसमें से तो एक पाई भी अंशधारियों को नहीं जायेगी ।

इस समय मुख्य समस्या यह है कि यह उद्योग संकट में है । इस समय देश में लगभग 5,50,000 लघु उद्योग एकक देश भर में काम कर रहे हैं । उनमें से 80,000 संकट में हैं । परन्तु यदि हम सामूहिक दृष्टि से सारी स्थिति को देखें और पता करें कि आखिर इस संकट के कारण क्या हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी । इससे उद्योग का कल्याण होगा । अतः मैं चाहता हूं कि इस दृष्टि से सारे मामले पर विस्तार से विचार हो ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । ग्रेशम एण्ड क्रेबन को अपने हाथ में लेकर ब्रेथवेट कम्पनी को सौंपने का निर्णय अच्छा है ।

सामान्यतः इस समय उद्योग पर संकट है, इसके दो मुख्य कारण हैं । एक तो पश्चिम बंगाल का मूल औद्योगिक ढांचा है । वहां औद्योगिक ढांचे का आधार बहुत पुराना रूढ़िवादी है । पश्चिम बंगाल में भारी इंजीनियरी उद्योग मुख्यतः साम्राज्यवादियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया था । यह उद्योग रेलवे तथा पत्तनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था जिसकी साम्राज्यवादियों की भारत से निर्यात तथा इंग्लैंड से आयात करने की जरूरत होती थी ।

दूसरा कारण धन का अभाव है । ऐसा भारत के सभी उद्योगों में हुआ है । आज पश्चिम बंगाल में 6 पटसन मिल बन्द पड़ी हुई हैं और कई अन्य मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं । ऐसा

इसलिये हो रहा है क्योंकि जो कुछ धन पटसन मिल मालिकों ने कमाया है, उसका इन मिलों में पुनः निवेश नहीं किया । इस बात पर मंत्री जी को गम्भीरता से विचार करना चाहिये और देखना चाहिए कि इन मिलों को अधिक रुग्ण होने से कैसे बचाया जा सकता है ।

यदि कोई कम्पनी रुग्ण हो जाती है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि उसे अपने हाथों में ले ले । इससे इन कम्पनियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा ही नहीं होगी अपितु देश में उत्पादन में गिरावट भी नहीं आयेगी ।

कुछ लोगों का सुझाव है कि गैर-सरकारी कम्पनियों से अनुरोध किया जाये कि वे कुछ रुग्ण कम्पनियों को अपने हाथ में ले लें । किन्तु मेरे विचार से इस देश के उद्योगपति उन कम्पनियों को कभी भी अपने हाथों में नहीं लेगें जो कि लाभप्रद नहीं है । वे राष्ट्रीय हित के लिये ऐसा नहीं करेंगे । यह काम तो सरकार का है ।

इस सन्दर्भ में उद्योगों की देखभाल का काम बहुत महत्वपूर्ण है । इन सब बातों पर निगरानी रखने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये । इसके लिये मंत्रालय में किसी विभाग को खोलने से काम नहीं होगा । क्योंकि ऐसी समस्या का सामना सभी उद्योगों को करना पड़ रहा है, जिनका संबंध कम्पनी, विधि, वित्त मंत्रालय, राजस्व तथा बैंकिंग से है । इस निकाय को रुग्ण होने वाले एककों के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि ठीक समय पर उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके ।

सरकार की प्रवृत्ति रुग्ण एककों में अधिक वेतन लेने वाले अधिकारियों को रखने की है । इस बात के लिये प्रयास किये जाने चाहियें कि इस तरह का खर्चा कम किया जाये और उत्पादन में विभिन्नता लाने के लिये अधिकाधिक राशि निवेश की जाये ।

प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों का अधिकाधिक सहयोग लिया जाना चाहिये । आज तक सरकार रुग्ण एककों को चलाने में औद्योगिक श्रमिकों का सहयोग नहीं ले पाई है । इस कारण श्रमिक वहां की मशीन आदि की परवाह नहीं करते जिसके फलस्वरूप वे अपना उतना योगदान नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिये ।

आशा है कि श्रमिकों की इच्छानुसार मंत्री जी ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी से इस कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था को निकालने के लिये अधिनियम की धारा 7 को लागू करेंगे । यदि वह ऐसा कर देते हैं तो भविष्य में रुग्ण उद्योगों को चलाने के लिये जब वह सभा के इस पक्ष से सहयोग के लिये कहेंगे तो हम हमेशा सहायता करने के लिये तैयार रहेंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिये बधाई देता हूं । परन्तु एक ओर मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कम्पनी को एक सरकारी कम्पनी में बदलने के लिये इस विधेयक में उपबन्ध है और इसे एक ऐसी फर्म में, जो स्वयं रुग्ण है, मिलाना आवश्यक नहीं है ।

इस समय इस कम्पनी के पास अपने आप को चलाने की काफी क्षमता है । निस्सन्देह यह 1970 में रुग्ण थी, परन्तु यदि आप 1962 से 1969 तक के इसके तुलनपत्र देखें तो आपको पता चलेगा कि इसने 1,42,54,120 रुपये का लाभ कमाया है । अतः यह घाटे की फर्म नहीं है । यह लाभ कमा रही थी और रेलवे के लिये सामान का निर्माण कर रही थी ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के अवकाश के बाद जारी रखें । सभा अब 2 बजे तक स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 14 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

सभा मध्याह्न भोजन के बाद 1405 बजे पुनः समवेत हुई

The House re-assembled after lunch at Five Minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair,]

ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—जारी

GRESHAM AND CRAVEN OF INDIA PVT. LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) BILL—*contd.*

श्री दीनेन भट्टाचार्य: : इस कम्पनी को, जिसका भविष्य उज्जवल है, ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी को सौंपने के बजाय बेहतर यह होगा कि सरकार इस का अर्जन करले और सरकार को नियंत्रण में यह राष्ट्रीयकृत कम्पनी के रूप में काम करे । दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा ज्ञात होता है कि यह कम्पनी केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्माण नही कर रही, जिनकी भारतीय रेलवे को जरूरत होती है, बल्कि उन वस्तुओं का भी निर्माण कर रही है, जिन्हें हमें अपनी रेलों के लिए आयात करना पड़ता है । यदि इस कम्पनी की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार किया जाये तो यह बहुत बचत कर सकती है और देश के लिये यह एक वास्तविक सम्पत्ति सिद्ध हो सकती है । अतः मंत्री जी को मेरे इस निवेदन पर विचार करना चाहिये और इस विधेयक को तब तक निलम्बित रखना चाहिये जब तक कि कर्मचारियों की ओर से कल मैंने सभा में जो याचिका पेश की थी, उस पर विचार हो जाये तथा याचिका समिति उसे निपटा दे ।

जहां तक ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी का संबंध है, जिसमें इस नई अर्जित कम्पनी को मिलाने का उपबन्ध किया गया है, इसकी प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं । चार वर्षों तक यह कम्पनी विविधीकरण के लिये सही उत्पादों का चयन नहीं कर सकी । वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था ने इस आशा से माल डिब्बों का निर्माण अलग कर दिया कि उन्हें रक्षा मंत्रालय से कुछ क्रयादेश प्राप्त हो जायेंगे । उन्हें केवल रक्षा ट्रेलरों के लिये एक क्रयादेश प्राप्त हुआ जिसके कारण उन्हें भारी घाटा हुआ ।

इस कम्पनी को अपने हाथ में लेने से पूर्व स्क्रैप की बिक्री नीलामी द्वारा की जाती थी जो कि सर्वाधिक बोली वाले को बेचे जाते थे । अर्जन करने के बाद यह तरीका समाप्त कर दिया गया और अब यह काम टेंडर मंगा कर किया जाता है । किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उसी पक्ष को बार-बार आर्डर मिल रहा है जबकि यह आर्डर सर्वाधिक बोली वाली को जाना चाहिये ।

मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इस अर्जित नई कम्पनी के लिये प्रबन्ध व्यवस्था पृथक रूप से की जायेगी । हमें अभी भी आशंकाएं तथा सन्देह है कि दोनों एककों के श्रमिकों के वेतन में

अन्तर होगा । ब्रेथवेट कम्पनी के कर्मचारियों को प्रबन्ध व्यवस्था के रवैये के कारण कोई बोनस नहीं मिलेगा । किन्तु ग्रेशम एण्ड क्रेबन आफ इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों को यह बोनस मिल रहा है । इस कम्पनी के श्रमिकों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, वे उन्हें मिलती रहनी चाहियें।

***श्री ए० मुरुगेसन** (चिदम्बरम्) : इस कम्पनी का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने 31 मार्च, 1971 को अपने हाथों में ले लिया था । इस विधेयक के माध्यम से सरकार इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है । इस विधेयक के कतिपय उपबन्धों के बारे में मेरे कुछ सन्देह हैं जिन्हें माननीय मंत्री कृपया स्पष्ट करें ।

सरकार द्वारा कम्पनी के अधिकार, नाम तथा हितों के अर्जन के लिये 1.76 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त भूतपूर्व प्रबन्ध व्यवस्था को 3.20 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है और इसके आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये 77 लाख रुपये निवेश किये जाने हैं । 1976-77 में इस कम्पनी का उत्पादन 177 लाख रुपये के मूल्य का था । अतः बेहतर यह होता कि विधेयक में कम्पनी की आस्तियों का मूल्य दिया होता ताकि हमें पता चल जाता कि सरकारी धन का उपयोग किस ढंग से किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह जानकारी सभा को दें। जब भूतपूर्व प्रबन्धकों ने श्रमिकों को अदायगी नहीं की तथा बैंकों को देय राशि का भुगतान नहीं किया तो फिर अब सरकार 3.20 लाख रुपये उन प्रबन्धकों को क्यों दे रही है? मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण संबन्धी विधेयक उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1971 पर आधारित है। इस विधेयक की धारा 6 और 7 के अन्तर्गत ऐसा लगता है कि सरकार ने इस कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था का दूसरी कम्पनी में अन्तरण कर दिया है और वह दूसरी कम्पनी रुग्ण कम्पनी है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह धारा 7 के अनुसार कार्यवाही करें। वहां प्रबन्ध व्यवस्था अफसरों के हाथों में नहीं बल्कि श्रमिकों के हाथों में होनी चाहिये जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका उद्योग फले फूले। उद्योगों की रुग्णता की समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है। गत 30 वर्षों में बड़ी संख्या में उद्योग रुग्ण हो गये हैं। किन्तु वहां की प्रबन्ध व्यवस्था किसी न किसी तरह सरकारी धन रुग्ण एककों से अन्य एककों में भेज देती है। सरकार को इसका तभी पता चलता है जब श्रमिक शिकायतें करते हैं कि वह उद्योग रुग्ण हो गया है और वे बेरोजगार हो गये हैं। कम्पनी कार्य विभाग ऐसी कम्पनियों की प्रबन्ध व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । चार्टर्ड अकाउन्टेंट समाप्त करने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। चार्टर्ड अकाउन्टेंट की रिपोर्ट मिलने पर ही सरकार को इसका पता चलता है। अतः यह आवश्यक है कि चार्टर्ड अकाउन्टेंसी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

औद्योगिक विकास बैंक ने बैंकों की रुग्णता का अध्ययन किया है और उसने इस बारे में एक प्रतिवेदन भी पेश किया है। आशा है कि मंत्री जी भी इस प्रतिवेदन पर विचार करेंगे।

जहां तक कपड़ा उद्योग का संबन्ध है, 1974 में सरकार ने 103 रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया । पहले वे केवल 73 रुग्ण मिलों को चला रहे थे। आज भी ये मिलें रुग्ण हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जिसने सरकार का सबसे अधिक शोषण किया है। अतः सरकार को इस समस्या का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् ही रुग्ण एककों के प्रति अपना दृष्टिकोण निश्चित करना चाहिए।

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : हमारे उद्योगों में रुग्णता की समस्या दिन प्रतिदिन अधिक विकट होती जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार इस समस्या का गहराई से अध्ययन करे और स्थायी रूप से उद्योगों की रुग्णता को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय करे।

मंत्री जी का स्वयं यह विचार रहा है कि रुग्ण एककों के श्रमिक वहां की प्रबन्ध व्यवस्था को अपने हाथ में लें और उन्हें चलाने का प्रयास करें। किन्तु जब तक उन्हें कहीं से तकनीकी सलाह नहीं मिलती तब तक श्रमिकों को वहां का प्रबन्ध कार्य चलाना कठिन होगा।

खेद की बात है कि राज्यों में कुछ उद्योग मंत्रियों ने कलकत्ता में खुले रूप से कहा है कि रुग्ण उद्योगों के कुछ मामलों में श्रमिकों की संख्या कम करनी आवश्यक हो जायेगी। यह वास्तव में बड़ी बुरी बात है। जब सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्थान किसी रुग्ण एकक को पुनः जीवित करने के लिये धन लगाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से ध्यान श्रमिकों के हितों का रखा जाना चाहिये।

इस मामले में भारत के औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का जो रवैया है वह सहायक नहीं है। उद्योगों, विशेषकर रुग्ण उद्योगों के पुनर्निर्माण के लिये यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। किन्तु यह सामाजिक उद्देश्यों से विहीन है। उनका रवैया गैर-सरकारी नियोजक के समान है जो कि समय और गति के सिद्धान्त के अनुसार सोचते हैं। अतः सरकार को यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिये कि इस कम्पनी को अपने हाथ में लेते समय सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जायेगा और रोजगार की गारंटी और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। जहां तक विधेयक के अन्तर्गत ग्रेशम और क्रेवन कम्पनी को ब्रेथवेट कम्पनी में मिलाने के प्रस्ताव का संबन्ध है, ऐसा लगता है कि इन दोनों कम्पनियों की आर्थिक स्थिति का सही ढंग से अध्ययन नहीं किया गया है। ब्रेथवेट ने सरकारी खजाने से 32 करोड़ रुपये खा लिये हैं और अभी भी यह केन्द्रीय सरकार पर निर्भर है। दूसरी ओर ग्रेशम एण्ड क्रेवन कम्पनी को इस वर्ष अप्रैल के महीने में केवल एक करोड़ रुपये दिये गये और यह पहले ही 23 लाख रुपये लाभ कमा चुकी है। इतना ही नहीं इसने अपनी चालू पूंजी तथा निवेश पूंजी को भी बढ़ा दिया है। यह कहां तक वांछनीय है कि ग्रेशम एण्ड क्रेवन जैसी कम्पनी को ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी में मिला दिया जाये जिसकी आर्थिक स्थिति ग्रेशम एण्ड क्रेवन कम्पनी से अच्छी नहीं है।

सरकार इन्हें पृथक् कम्पनियों के रूप में क्यों नहीं चलाना चाहती और इनके लिये पृथक प्रबन्ध व्यवस्था क्यों नहीं करती। इन्हें आपस में मिलाने से तो अच्छा यही है कि इन्हें अलग-अलग रखा जाये।

मैं इस विचार से सहमत हूं कि चूंकि ग्रेशम एण्ड क्रेवन कम्पनी के श्रमिकों की एक याचिका याचिका समिति के विचाराधीन पड़ी हुई है, इसलिए जब तक याचिका समिति की राय सामने नहीं आती तब तक हमें विधेयक पर आगे विचार स्थगित कर दिया जाना चाहिये।

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : मुझे खुशी है कि मंत्री जी रुग्ण उद्योगों की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। आज स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त हमारे देश में एक और क्षेत्र है जिसे हम रुग्ण उद्योग क्षेत्र कह सकते हैं। यह कटु सत्य है कि उद्योगपति तथा एकाधिकारी सारे धन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार इन रुग्ण एककों को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्वस्थ उद्योगों के साथ मिलाया जाना है। किन्तु हो क्या रहा है? अन्ततोगत्वा इन रुग्ण एककों को दी जाने वाली रियायतों का लाभ ये लोग उठा जायेंगे और अपने उद्योगों को समाप्त कर देंगे जो कि अच्छी दशा में है।

उद्योगों की रुग्णता केन्द्रीय क्षेत्र में ही नहीं वरन् राज्य-क्षेत्र में भी आम हो गई है। यहां मुख्य प्रश्न प्रबन्ध व्यवस्था का है। इनमें बचनबद्ध प्रबन्ध व्यवस्था होनी चाहिये गैर-सरकारी उद्योगों की एजेंसियों को रुग्ण एककों की प्रबन्ध व्यवस्था नहीं सौंपी जानी चाहिये। जो लोग कारखानों को सुचारू

रूप से चलाना चाहते हैं तथा जो श्रमिकों को पूरा रोजगार देना चाहते हैं ऐसे ही लोगों को रुग्ण उद्योगों का प्रबन्ध सौंपा जाना चाहिये।

दुर्भाग्य से जब कभी कोई रुग्ण उद्योग अपने हाथ में लिया जाता है तो पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि श्रमिकों की संख्या में कमी क्यों नहीं की जाती, उनकी परिलब्धियों को कम क्यों नहीं किया जाता। क्या यही समस्या है? समस्या तो कुछ और है।

जहां तक रुग्ण एककों में श्रमिकों की भागीदारिता का संबन्ध है, उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था में ऊपर से नीचे के स्तर तक श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। गत कई वर्षों से हमने देख लिया है कि श्रमिकों को केवल निर्माण समिति में ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जबकि इस समिति का कोई अधिकार नहीं होता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : समझ में नहीं आता कि यह विधान अध्यादेश के रूप में पेश क्यों किया गया है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में अध्यादेश जारी करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। एक सत्र के समाप्त होने तथा दूसरे सत्र के आरम्भ होने के बीच की अवधि के दौरान एक अध्यादेश के बाद दूसरा अध्यादेश जारी करना अच्छी बात नहीं है। संविधान में अध्यादेश जारी करने की निर्धारित शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।

दूसरे, कारणों और उद्देश्यों के विवरण में केवल विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया गया है। विवरण में कहा गया है "कुप्रबन्ध सहित अन्य कारणों के कारण" ये कौन-से कारण है? हम चाहते हैं कि मंत्री जी हमें कुछ ठोस कारण बताएं कि कि यह रुग्ण एकक कैसे बना।

जहां तक मिलों की रुग्णता का संबन्ध है, लगभग 65 कपड़ा मिलें रुग्ण हैं। उनमें अधिकांश या तो पूरी तरह रुग्ण हैं अथवा वे तेजी से रुग्ण होती जा रही है। मैं यहां अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल का उदाहरण देता हूं। वे 14 अगस्त को श्री मोहन धारिया से मिले और उन्हें एक ज्ञापन पेश किया। श्री मोहन धारिया ने यहां तक कहा कि मैं इस मामले के बारे में गुजरात के मंत्री से बात करूंगा और जब मैं दिल्ली पहुंचूगा तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह मिल दिवाली से पहले काम शुरू कर दे। किन्तु खेद की बात है कि दिवाली तो चली गई और 15 नवम्बर को वहां के प्रबन्धकों ने नोटिस निकाला कि मिल पूरी तरह बन्द हो गई है जिससे 1700 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। न तो भारत सरकार और न गुजरात सरकार कुछ करने में समर्थ है। श्री धारिया और गुजरात के मंत्री सभी एक दल हैं। अतः उन्हें मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि कुछ ठोस परिणाम निकले। यह कहने से कोई लाभ नहीं होता कि गुजरात सरकार के पास जाओ अथवा भारत सरकार के पास जाओ।

यह एक कटु सत्य है कि कई कंपनियों के प्रबन्ध वर्गों को अनावश्यक छूट दी जा रही है गरीब कर्मचारी निरन्तर कष्टों का सामना कर रहे हैं। हमेशा प्रबन्धक वर्ग के साथ ऐसी उदारता क्यों बरती जाती है? क्या ऐसा इसलिए है कि वही अपनी आवाज कर्मचारियों की अपेक्षा अच्छी तरह से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह प्रबन्धक वर्ग की भी अच्छी तरह खबर ले यदि कोई एकक रुग्ण होता है तो प्रबन्धक वर्ग को भी इसके लिए दण्डित किया जाए यह और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम भी काफी हद तक यह उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा। हर वक्त सरकार को यह कहने का कोई लाभ नहीं कि अधिक मिलों का अधिग्रहण किया जाये। यह कोई समाधान नहीं है।

इस समस्या का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सरकार इस संबन्ध में एक सुविचारित और व्यापक औद्योगिक नीति बनाए। इस समस्या से शीघ्रातिशीघ्र निपटने के लिए एक निश्चित अध्ययनोन्मुख और कार्योन्मुख योजना बनाई जानी चाहिए।

विधेयक के अध्याय 3 में पृष्ठ 5 पर एक शीर्षक है "राशि का भुगतान" जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों और प्रबन्धकों को किस प्रकार देय राशि का भुगतान किया जायेगा। विधेयक में 1.76 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसका उपयोग बैंक को तथा कर्मचारियों को उनकी देय राशि का निपटान करने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व प्रबन्धकों को 3.20 लाख रुपये की राशि दी जा रही है। भूतपूर्व प्रबन्धकों को यह राशि क्यों दी जाए? वास्तव में यही लोग गत कुछ वर्षों से होने वाले ह्रास के जिम्मेदार हैं। सरकार को सरकारी खजाने से कर्मचारियों को पैसा देने के बजाय सम्बद्ध निदेशकों की आस्तियों को जब्त करके उपबन्धों के भारी मुनाफे में से यह राशि देनी चाहिए।

यह भी उल्लेख किया गया है कि आधुनिकीकरण के लिए 77 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन मंत्री महोदय ने अधिगृहीत की गई कम्पनी की आस्तियों के वास्तविक मूल्य के बारे में संकेत नहीं दिया है। यह आंकड़े हमें सप्लाई किए जायें।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): यह प्रश्न किया गया है कि ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, जो कि एक रुग्ण एकक है और जो अभी भी घाटे में चल रहा है, के अधिग्रहण के लिए अध्यादेश क्यों जारी किया गया है। इस विशिष्ट मामले में हमने कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया है जिसे हम अध्यादेश के रूप में क्रियान्वित कर रहे हैं। इस एकक का अधिग्रहण कई वर्ष पूर्व किया गया था। आई० डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत सभी दायित्वों का ऋण स्थगन किया गया। 13 अगस्त 1977 को पांच वर्ष की अवधि का विलबंन काल समाप्त हो गया। हम इस सत्र के प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा कर सकते थे लेकिन इसके फलस्वरूप कई अदालतों में और मुकदमें बढ़ जाते।

अध्यादेश जारी करने में भी विलम्ब हुआ है वस्तुतः अध्यादेश उसी दिन जारी कर दिया जाना चाहिए था जिस दिन विलम्बन काल की अवधि समाप्त हुई थी अध्यादेश 30 सितम्बर को जारी किया गया। यह अध्यादेश एकक तथा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु लाया गया है। इसका उद्देश्य जनता के लिए समस्याएं पैदा करना नहीं है।

ब्रेथवाट के संबन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है। कहा गया है कि प्रबंधकों ने भारी राशि हड़प ली है। यदि किसी ऐसे एक भी मामले की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया जाएगा तो निश्चय ही हम उनसे अच्छी तरह निपटेंगे।

वास्तव में ऐसा नहीं है और न ही ब्रेथवाट में लगाया गया पैसा डूबा है। ब्रेथवाट में हजार कर्मचारियों को बिना काम के रखा हुआ है इसलिए हमें युक्तिसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए एक-तरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमें स्थिति की वास्तविकता को समझना चाहिए। यदि गत कुछ वर्षों से ब्रेथवाट का कार्य निष्पादन ठीक नहीं हो रहा तो इसके लिए एक कारण नहीं अपितु कई कारण जिम्मेदार हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ब्रेथवाट एक खराब कम्पनी है और इसका प्रबन्ध उचित रूप से नहीं किया जा रहा और वह अपने वित्त का ठीक तरह से ध्यान नहीं रख रही। कैंटीन का प्रश्न भी उठाया गया है। ब्रेथवाट में 80 लाख रुपया कैंटीन लाभों हेतु दिया जाता है। कैंटीन समिति द्वारा इस धन का कुछ दुरुपयोग किया गया है पर यह समिति कर्मचारियों की समिति है प्रबंधकों की समिति नहीं। ऐसे मामलों में हमें किसी विशिष्ट एकक के बारे में अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। अनेक समस्याएं थी केवल प्रबन्ध की ही समस्या नहीं थी। हम उन अनेक कारणों की जांचें कर रहे हैं।

ब्रेथवाट कम्पनी को कुछ ऐसे आर्डरों पर भी सप्लाई करनी पड़ी जहां हानि अपरिहार्य थी।

अतः प्रबन्ध को ही हर बात के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है। मुझे आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों के भीतर सरकार को इन रुग्ण एककों के बारे में नीति बनाने तथा उसकी घोषणा करने का

अवसर प्राप्त होगा अतः किसी विशिष्ट कम्पनी के प्रवन्धक वर्ग को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है ।

जहां तक मैसर्स ब्रेथवाट द्वारा एकक के प्रबन्ध के बारे में निर्णय लेने का प्रश्न है विधेयक में स्वयंमेव इस बात की व्यवस्था है कि सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय लेगी । इस संबन्ध में एकतरफा निर्णय लेने का कोई प्रश्न नहीं। हमें कुछ निर्णय तत्काल लेने है क्योंकि मैसर्स ब्रेथवाट एण्ड कम्पनी के पास एकक के प्रबन्ध का सारा आधारभूत ढांचा है। हम कम्पनी से कम्पनी का प्रबन्ध कार्य देखने के लिए कहेंगे। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल के उन रुग्ण एककों, जो कि विशेष-कर रेलवे के लिए सामान बनाते हैं, को मिलाकर एक किया जा सकता है। इस पुर्नगठन के संबन्ध में शीघ्र ही एक रिपोर्ट पेश की जाएगी । माननीय सदस्यों ने जिन अन्य बातों का उल्लेख किया है उन पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है। जैसे कि कर्मचारियों की प्रवन्ध में भागीदारी। मेरी आस्था आर्थिक ढांचा के विकेन्द्रीकरण करने में है लेकिन प्रश्न यह है कि किस हद तक कर्मचारियों को प्रबन्ध में भागीदार बनाया जाए। कर्मचारियों के प्रबन्ध के उच्चतम स्तर पर संबद्ध करके भी परीक्षण किए गए हैं ।

यह प्रश्न समूचे औद्योगिक प्रबंध की परम्परा का है यदि चर्चा करके इस संबन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। उदाहरणार्थ अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय मैंने सुझाव दिया था कि जिन एककों को प्राइवेट लोग नहीं चला पा रहे हैं उनको कर्मचारियों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए । इस संबन्ध में हमें कई प्रस्ताव प्राप्त हुए है और हम उन पर विचार कर रहे हैं । एक माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की हैं कि क्या देश की वर्तमान परि-स्थितियों के अनुरूप यह व्यवस्था चल सकेगी । मुझे पक्का विश्वास है यह जरूर सफल होगी। क्या देश में कर्मचारियों की सहकारी समितियां काम नहीं कर रही हैं ।

रुग्ण एककों की समस्याओं की जांच करते समय हमारा प्रयास यही होगा कि कर्मचारियों कोकिसी भी दशा में रोजगार से वंचित न किया जाए।

यह भी सुझाव दिया गया है कि हमें याचिका समिति के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए । कामरेड दीनेन भट्टाचार्य बहुत अनुभवी संसदविज्ञ हैं । वह जानते हैं कि याचिका समिति क्या चर्चा करती है और क्या सिफारिशें देती है । मैं स्वयं इस याचिका समिति का 4 साल तक सदस्य रहा हूं ।

मेरा सभा से अनुरोध है कि वह मेरे द्वारा दिए कुछ स्पष्टीकरण को स्वीकार करे और गलत फहमी में जो कुछ संशोधन दिए गए हैं उन्हें वापिस ले लेने चाहिए उदाहरणार्थ जैसे राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाए । मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है "कि रेलों की और इंजीनियरी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्वेन ऑफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्डवार विचार करेंगे प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adpoted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

The amendment was put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and Negatived,

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए देखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 8 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16, 17 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।
The amendments were put and negatived.

खण्ड 11

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए.
The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 11 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 और 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 12 and 13 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 से 33 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 15 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 15 and 33 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted..

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Schedule was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया जाएं ।

Clause 1, the enacting formula, the preamble and the title were added to the Bill.

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक

ENEMY PROPERTY (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

इस विधेयक का उद्देश्य भारत के शत्रु सम्पत्ति संरक्षक के नियंत्रणाधीन शत्रु सम्पत्ति को जारी रखा है जो कि भारत रक्षा अधिनियम तथा नियम 1971 और उसके अंतर्गत दिए गए आदेशों के अनुसार उसके नियंत्रणाधीन है । विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से यह स्पष्ट है कि यह विधेयक 23 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है ।

शत्रु सम्पत्ति अधिनियम 20 अगस्त, 1968 को मुख्यतः उस सम्पति को जो भारत रक्षा नियम, 1962 के अंतर्गत शत्रु सम्पति संरक्षक के अधीन थी उसके अधीन जारी रखने के लिए पास किया गया था । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत तत्पश्चात और कोई नई सम्पत्ति नहीं ली जा सकती ।

1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय आपात स्थिति लागू होने के साथ भारत रक्षा अधिनियम पारित किया गया था । उस समय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के अधीन अभिरक्षक को पाकिस्तान की सम्पत्ति अपने कब्जे में लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था । अभिरक्षक तब से उन सम्पत्तियों को सम्भाले हुए हैं ।

27 मार्च, 1977 को आपात स्थिति की उद्घोषणा समाप्त होने पर अभिरक्षक के अधिकार केवल छः महीने के लिये अर्थात् 26 सितम्बर, 1977 तक ही रह गये थे । अतः उस अधिकार को बनाये रखने के लिये कानूनी संरक्षण देना आवश्यक हो गया था । इसीलिये संसद् के सत्रों के बीच के अवधि में अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

इस के कारणों का ब्यौरा तो मैं पहले ही दे चुका हूं । इस सम्बन्ध में एक कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया जायेगा । अब अपने दावे का निपटारा कराने के लिये लोगों को बम्बई नहीं जाना पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक को पूरा समर्थन देगी ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस विधेयक के बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को 400 करोड़ रुपये के बराबर मुआवजा दिया गया था । परन्तु बंगलादेश से आने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ।

वर्ष 1950 में पंडित नेहरू ने आश्वासन दिया था नेहरू-लियाकत करार के अधीन विस्थापितों को अपनी अचल सम्पत्ति के प्रति अधिकार होगा । परन्तु वस्तु स्थिति क्या है ? भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की स्थिति बहुत निर्धनता वाली है ।

हमारी सरकार ने 1965 के संघर्ष के समय पाकिस्तान द्वारा शत्रु सम्पत्ति घोषित करने के बाद ही कार्यवाही की थी । 1971 में भारत सरकार ने पाकिस्तान में रह जाने वाली सम्पत्तियों को मान्यता देने के लिए अनेक शर्तें लगा दी थीं । अभिरक्षक का कार्यालय बम्बई में था । पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अधिकांश विस्थापितों को इसकी जानकारी तक भी नहीं है । फिर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को मुआवजा देने में ढील नहीं दी गई है । पश्चिमी पाकिस्तान से आने वालों को बहुत अधिक मुआवजा मिला है । जैसे गणेश फ्लोर मिल कम्पनी को 27 लाख रुपये दिये गये थे । इस प्रकार के और भी अनेक मामले हैं । यह तत्कालीन सरकार के मंत्रियों द्वारा किया गया था ।

कलकत्ता में शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक का कार्यालय खोला जाना चाहिये और वहां पर किसी सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिये । जो सम्पत्ति अभी तक बिकी नहीं है उसे बेचने के लिये तुरन्त उपाय किये जायें । इस प्रकार जो राशि प्राप्त हो उसे भूतपूर्व पाकिस्तान के दावेदारों में बांटा जाये । उनके दावों पर समुचित विचार किया जाये । दावों को निपटाने के कार्य पर अधिक न्यायाधीश लगाये जाने चाहियें । नई अर्जियां प्राप्त करने की तारीख बढ़ा दी जाये । अभी बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों ने अपने दावे दाखिल नहीं किये हैं । इन में हरिजन और समाज के कमजोर वर्गों के बहुत से लोग आते हैं । और वे दूर स्थित क्षेत्रों में रह रहे हैं । विधवाओं और अनाथों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये । समूची राशि का न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाना चाहिये ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर): पश्चिम बंगाल में दावेदारों के सुविधा हेतु कलकत्ता में कार्यालय खोलने के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं । वैसे हमें कम से कम अध्यादेश जारी करने चाहियें । जहां आवश्यक हो अध्यादेश केवल तभी जारी करना चाहिये ।

विधेयक के शीर्षक में 'शत्रु' शब्द नहीं होना चाहिये । हमारे पास पाकिस्तान और चीन की सम्पत्ति है और अब हम उनसे मैत्री के सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं । अतः मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये और नाम में आवश्यक परिवर्तन कर देना चाहिये ।

प्रश्न यह कि इस सम्पत्ति के संरक्षक का कार्यालय अभी तक क्यों बना हुआ है ? यह कानून 1968 में लागू हुआ था । हमारी लगभग 100 करोड़ रुपये की सम्पत्ति पाकिस्तान में रह गई है । सरकार इस बारे में क्या कर रही है । सरकार यहां पर की सम्पत्ति का निपटारा कैसे करना चाहती है । शत्रु सम्पत्ति के कार्यालय को कब तक बन्द कर दिया जायेगा ।

यह कानून जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू न करने के क्या कारण हैं ? श्री समर गुह ने जिन प्रश्नों को रखा है उनका सन्तोषजनक उत्तर मिलना चाहिये । मुआवजा मांगने के लिये अर्जियां देने की तारीख बढ़ा दी जानी चाहिये ।

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य (उलुबेरिया): मैं इस विधेयक के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन करता हूं । हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्री बढ़ा रहे हैं, तो इस विधेयक के नाम में 'शत्रु' शब्द नहीं रखना चाहिये । इसका नाम पड़ोसी राष्ट्र सम्पत्ति अधिनियम होना चाहिये ।

पश्चिमी पाकिस्तान से आने वालों को मुआवजे को वापिस नहीं करना था परन्तु पूर्वी पाकिस्तान के मामले में ऐसी बात नहीं है । अब भी बंगलादेश से बड़ी संख्या से लोग आ रहे हैं । यह एक जटिल मानवीय समस्या है । सरकार को इस सम्बन्ध में अच्छी नीति अपनानी चाहिये ।

***श्री ए० मुरुगेसन** (चिदम्बरम): मैं अपने दल अन्ना डी० एम० के० की ओर से बात करना चाहता हूं । भूतपूर्व सरकार के समय प्रतिपक्ष वालों का आरोप होता था कि अध्यादेशों द्वारा सरकार चल रही है । खेद की बात है कि यह सरकार भी वही प्रणाली अपनाने लगी है । यह विधेयक पहले सत्र में लाया जा सकता था । विधि मंत्रालय के अधिकारी अपना विधायी कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं बनाते । अध्यादेश जारी करने के अधिकार का कम से कम प्रयोग होना चाहिए ।

इस विधेयक के नाम से 'शत्रु' शब्द हटाकर कोई और शब्द उसके स्थान पर रखा जाना चाहिये ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
Summarised Translated version of English translation of speeches delivered in Tamil.

श्री पी० जी० मावलंकर: (गांधीनगर) : मैं भी इस विधेयक के नाम से 'शत्रु' शब्द के हटाये जाने के पक्ष में हूं। हमारे यहां प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की आदत हो गई है। इसे जारी करना आसान काम नहीं होना चाहिये। जनता पार्टी की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार कलकत्ता में एक कार्यालय खोलने जा रही है। मंत्री महोदय को अपने स्टाफ को हिदायत करनी चाहिए कि मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाये। मैं आशा करता हूं कि वह दिन शीघ्र आयेगा जब हमारे उपमहाद्वीप के सभी देश एक परिवार के समान रहेंगे और इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठेंगे।

श्री बशीर अहमद (फतेहपुर) : इस बारे में मूल विधेयक 1968 में पारित किया गया था। 1965 के भारत-पाक युद्ध से पहले भारत रक्षा नियम के अधीन सम्पत्ति हस्तगत कर ली गई थी। उन लोगों के सामने कुछ कठिनाइयां आई जो पाकिस्तान नहीं गये थे। कुछ मामलों में पाकिस्तान न जाने वाले लोगों की सम्पत्तियां गलती से हस्तगत कर ली गई थीं। आपात स्थिति के दौरान इस अधिनियम को इस प्रकार लागू किया गया था कि कुछ लोगों को कठिनाई हुई। मंत्री महोदय को ऐसे निर्देश देने चाहिये कि उन लोगों की सम्पत्ति वापिस कर दी जाये जो कभी भी पाकिस्तान नहीं गए।

1968 के अधिनियम में यह उपबन्ध है कि भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति हस्तगत न की जाये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे निर्णय हो सके कि अमुक व्यक्ति भारतीय नागरिक है अथवा नहीं। ऐसे सम्पत्ति के सम्मन्ध में और अधिक कठिनाई हुई जो कई लोगों के नाम में थीं। इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

मान लो कि कोई व्यक्ति बंगलादेश में मर जाता है और उसके सभी उत्तराधिकारी भारतीय नागरिक हैं तो भी उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों से छूट नहीं मिल सकती। कार्यपालिका को इस बात से भी अधिक शक्ति प्राप्त होती है और वह निर्दोष व्यक्तियों की सम्पत्ति ले लेती है कि अधिनियम के अन्तर्गत दावे करने की कोई व्यावस्था नहीं। 1962 के भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत उनकी सम्पत्ति ले ली जाती है।

मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि जब अपने पड़ोसी देशों से सुधार रहे हैं तो शत्रु शब्द को हटा दिया जाये। इसके स्थान पर विस्थापित शब्द रखा जा सकता है। राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही किसी सम्पत्ति को लिया जाना चाहिए इससे अधिकारी मनमाने ढंग से कार्यवाही न कर सकेंगे। ऐसे आदेश भी जारी किये जायें कि देश से बाहर गये हुए लोगों की सम्पत्ति हस्तगत न की जाये। दावे दायर करने के लिये भी व्यावस्था की जाये। यह कहा गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य लोगों का पुनर्वास करना है परन्तु विधेयक में कहीं भी इसका आभास नहीं है। इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध शामिल किया जाना चाहिये। पूरी जांच के बाद ही अधिनियम लागू किया जाना चाहिये।

श्री मोहन धारिया: मैं सदस्यों के इस कथन से सहमत हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में "शत्रु" शब्द उचित नहीं है। इससे दुर्भावना झलकती है। प्रश्न यह है कि क्या हम कोई नया अधिनियम लाय अथवा यह आशा करें कि भविष्य में देश के सामने शत्रु की सम्पत्ति का मामला निपटाने का अवसर नहीं आएगा। यदि, ऐसा अवसर आए भी तो हम इसे शत्रु सम्पत्ति न कहेंगे।

सभापति महोदय: : इसे शत्रु सम्पत्ति के स्थान पर विस्थापित सम्पत्ति क्यों नहीं कहा जाता ?

श्री मोहन धारिया : मैं इस बात से सहमत हूं कि अध्यादेश अपरिहार्य मामलों में ही लागू किए जायें। इस मामले में इसे टाला जा सकता था। शायद किसी को यह पता नहीं था कि आपात स्थिति हटाने या समाप्त होने के बाद समय सीमा छः मास है। मैं अपने मंत्रालयो को तुरन्त यह आदेश दूंगा कि तुरन्त कार्यवाही

किए जाने वाले मामलों में सबसे पहले वे संसद के सामने उसे पेश करें और उसके बाद ही अध्यादेश का सहारा लें।

सरकार ने कलकत्ता में एक कार्यालय खोलने का निर्णय अभी ही नहीं लिया है। वहां कार्यालय खोला जा चुका है और वह न्यू सैक्रीटेरियेट बिल्डिंग, किरण शंकर राय रोड, कलकत्ता-1 में कार्य कर रहा है।

यह सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है और आवश्यक हो तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए जिससे दावों को शीघ्र निपटाया जा सके।

यह सुझाव भी दिया गया है कि दावे करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। कुछ सदस्यों की इच्छा पर ही दावों की समय सीमा 31 जुलाई, 1977 तक बढ़ाई गई थी। इसका समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया गया था। इस प्रचार के परिणामस्वरूप 52,000 नए प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यहां आए लोगों की सम्पत्ति लगभग 109 करोड़ रुपये की है। जबकि यहां कस्टोडियन को मिली सम्पत्ति केवल 29 करोड़ रुपये की ही है फिर दुर्भाग्यपूर्ण से यह निर्णय भी लिया गया कि 25 लाख तक की सम्पत्ति का अनुमित मुआवजा दिया जाए। यह एक गलत निर्णय था। गरीब लोगों के सम्बन्ध में हमें यह निर्णय लेना चाहिए था कि 25,000 या 50,000 रुपये तक के दावे का पूरा मुआवजा दिया जाए तथा उसके बाद चरणवार इस निर्णय के अनुसार कुछ दावों का फैसला किया जा चुका है और इस 29 करोड़ में से 17 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और अब केवल 12 करोड़ रुपया बचा है। परन्तु अब यदि हम इससे बदलते हैं, तो इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, इसलिये अब पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए तरीके को अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आवश्यकता गरीब लोगों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने की थी परन्तु वह नहीं दी गई।

25 लाख से अधिक के दावे के सम्बन्ध में अधिक भुगतान करने पर मंत्रिमंडल ही निर्णय ले सकता है। अब हम 25 लाख से अधिक के दावों के सम्बन्ध में बहुत सावधान रहेंगे। कई मामलों में पहले छूट दी गई है। कुछ मामलों में पिछली सरकार ने एक करोड़ या इससे अधिक के दावों का भुगतान किया। भविष्य में हम यह ध्यान रखेंगे कि ऐसा न हो। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि इस राशि में कुछ न्याय किया जा सके। कस्टोडियन बहुत ही सहानुभूति रखने वाले हैं और उन्होंने दावों को बिना देरी किए शीघ्र निपटाने का आश्वासन दिया है तथा सभी दावेदारों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा।

वृद्ध, अशक्त, विधवाओं, अनाथों या ऐसे मामलों को जहां प्राथमिकता देना आवश्यक है पहले लिया जाएगा और पहले निर्णय लिया जाएगा।

यह कहा गया है कि कुछ मामलों में शत्रु सम्पत्ति को मनमाने ढंग से हस्तगत किया गया है। यदि मेरी जानकारी में ऐसे मामले लाए गए जिनमें व्यक्ति मर चुका है और उसके बच्चे यहां रह रहे हैं और फिर भी सम्पत्ति हस्तगत कर ली गई है, मैं उनकी जांच करूंगा और तुरन्त कदम उठाऊंगा कि कोई अन्याय न हो।

यह अपील की गई है कि यह समय सीमा और बढ़ा दी जाए। सदन इस बात की सराहना करेगा कि हम इन दावों को यथासम्भव शीघ्र तय करना चाहते हैं और यदि हम समय बढ़ाते हैं तो इसमें और विलम्ब होगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा। कोई संशोधन नहीं है बशीर अहमद ने आज कुछ संशोधन भेजे थे लेकिन नियमानुसार उन्हें कम से कम एक दिन पूर्व भेजा जाना चाहिये। अतः उन्हें गृहीत नहीं किया गया।

अब मैं खंड वार सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ा जाये।
Clause 2 to 11 were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।
Clause 1, the enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री मोहन धारिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion wad adopted.

बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 के बारे में सांविधिक संकल्प तथा बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

Statutory Resolution Re. Disapproval of the Banking service Commission (Repeal) Ordinance, 1977 and Banking Service Commission (Repeal) Bill

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 (1977 का अध्यादेश सं० 10) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय, हमारा दल इस अध्यादेश और इस सरकार द्वारा लाये गये विधेयक के सर्वथा विरुद्ध है। यह प्रगतिवादी कदम को पीछे हटाना है।

चार प्रसिद्ध बैंक विशेषज्ञों वाले बैंक आयोग ने 31 जनवरी, 1972 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। बैंकों में भर्ती की एकरूपता लाने और भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिये बैंक आयोग ने यह सिफारिश की थी कि यहां एक बैंककारी सेवा आयोग गठित किया जाये। वह अधिनियम उसी के अनुसार बनाया गया था।

इस समय देश में बैंक एक ऐसा सरकारी क्षेत्र का उद्योग है जिसमें बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। अकेले स्टेट बैंक आफ इण्डिया में 70,000 कर्मचारी हैं तथा शेष 14 राष्ट्रीयकृत बकों में एक लाख लोग काम करते हैं। शिक्षित युवकों में बैंकों में नौकरी पाने की बड़ी इच्छा रहती है लेकिन यह आम धारणा है कि जब तक बैंक में अपना कोई व्यक्ति न हो वहां नौकरी पाने के मौके बहुत कम होत हैं। इसलिए यह सोचा गया कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक आयोग बनाया जाये जिससे बैंकों में भर्ती भी लोक सेवा आयोग की तरह निष्पक्ष हो सके।

इस अध्यादेश द्वारा सेवा आयोग के समूचे उद्देश्य को समाप्त किया जा रहा है। कल सरकार लोक सेवा आयोग को समाप्त करने के लिये विधेयक ला सकती है। यह अध्यादेश सरकार ने सत्ताधारी दल के लोगों को प्रश्रय देने के लिये लागू किया है। प्रार्थियों को बैंकों में नौकरी पाने के पर्याप्त अवसर होने चाहिये। एक विशेष दिशा में उठाया गया यह एक कदम है। और हो सकता है कि अगला कदम देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयक के निरसन का हो।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 (1977 का अध्यादेश सं० 10) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त, राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदया, बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 को सरकारी बैंकों में भरती करने के लिए एक बैंककारी सेवा आयोग की स्थापना करने के लिए लागू किया गया था। यद्यपि यह आयोग फरवरी, 1977 में स्थापित किया गया तथापि इसने अभी तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भरती शुरू नहीं की है। ऐसे आयोग के जरूरत के बारे में सरकार ने समीक्षा की और पाया कि इस प्रकार भर्ती एक केन्द्रित व्यवस्था बैंक के कार्य की स्वतंत्रता और लचीलेपन में अनावश्यक हस्तक्षेप है और भरती को अधिक मंहगा और पेचीदा बनाना है। बैंकारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 लागू करने के प्रस्ताव पर 1973-74 में सरकार द्वारा विचार करते समय यह दृष्टिकोण रखा गया कि क्या इन बैंकों की भरती को इस प्रकार केन्द्रित करने से उनके क्षेत्रीय कार्यकरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंकों की सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाना है। इन सब तथ्यों पर विचार करने पर बैंककारी सेवा आयोग को अध्यादेश द्वारा समाप्त किया जा रहा है। प्रस्तुत विधेयक बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 का स्थान लेने के लिये लाया गया है।

ऐसा विचार था कि आयोग के समाप्त करने में देरी करना अनावश्यक खर्च करना है। अतः एक अध्यादेश जारी किया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में उचित और सुचारू भरती व्यवस्था का अपना विशेष महत्व है। इस उद्देश्य से सरकार ने बैंकरों के एक ग्रुप की स्थापना की है ताकि उचित भर्ती प्रणाली अपनाई जा सके।

सुचारू और समुचित भर्ती व्यवस्था में बैंकों का अधिक महत्व होना चाहिये इस विचार से सरकार ने बैंक प्रतिनिधियों के दल की स्थापना की। इस दल ने हाल में अपनी एक योजना इस सम्बन्ध में दी है। जिससे भर्ती निष्पक्ष और समय पर की जा सके। यह भी सुनिश्चित हो जायगा कि भर्ती के मामले में उचित क्षेत्रीय रूप अपनाया जाये। सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार की गई योजना के अधीन एक ही

क्षेत्र में मुख्यालय वाले बैंकों के ग्रुप भर्ती संबंधी एक तंत्र स्थापित करेंगे जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस व्यवस्था से सांझी भर्ती का लाभ भी होगा और विकेन्द्रीकरण का फायदा भी मिलेगा तदनुसार 7 ग्रुप बनाये जायेंगे। आपसी सहमति से प्रत्येक ग्रुप में से एक बैंक भर्ती संबंधी कार्यवाहियां आरम्भ करने, भर्ती बोर्ड गठित करने तथा आवश्यक अनुसचिवीय सहायता देने का उत्तरदायित्व लेगा।

भर्ती संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत अर्थात विज्ञापन देने, विभिन्न पदों के लिये अर्हता स्तर निर्धारित करने और परीक्षा लेने की व्यवस्था करने आदि के बारे में, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से निर्धारित करेगी। आशा है अगले वर्ष से यह व्यावस्था लागू हो जायेगी। पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जुलाई, 1978 के बाद सांझी चयन व्यवस्था के अधीन भर्ती की जाये। नई व्यवस्था से विकेन्द्रीकृत तंत्र स्थापित होने के साथ ही बैंकों की आवश्यकता भी पूरी हो सकेगी।

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुये]
[Shri N. K. Shejwalker in the Chair]

उचित और निष्पक्ष चयन प्रणाली के साथ बैंककारी क्षेत्र से बाहर के योग्य व्यक्तियों की भर्ती बोर्ड के चैयरमैन नियुक्त करके अच्छा स्तर बनाये रखना भी मुख्य उद्देश्य है। सभी क्षेत्रों से प्रत्याशियों के समान अवसर देने और यथा संभव उचित तथा निष्पक्ष ढंग से बैंकों के लिए सर्वाधिक संतोषजनक भर्ती करने का हमारा उद्देश्य प्रस्तावित पद्धति से पूरा हो सकेगा। भर्ती इतनी अधिक संख्या में होती है कि केन्द्रीकृत व्यवस्था से अर्धकुलशता आना जरूरी है। इसे बैंकों की जरूरत अनुसार कर्मचारी भी नहीं मिल सकते। हम बैंकों की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव डालने का जोखिम नहीं उठा सकते। बैंककारी सेवा आयोग का भयंकर प्रभाव बैंककारी पद्धति पर पड़ सकता है।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं श्री सौगतराय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सरकार ने जरूरी विधायी कार्यक्रमों पर हमसे सलाह करने का आश्वासन दिया था और हमें आशा थी कि ऐसा किया जायेगा। लेकिन खेद है कि नीति सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण उपाय जबकि हमने अधिनियम पास किया था और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को आगे ले गये थे। इस सरकार ने बड़ी सावधानी और मैहनत से एक अध्यादेश द्वारा उस कार्यक्रम को बिल्कुल समाप्त करने का फैसला किया है। इससे पता चलता है कि वे अन्य दलों के विचारों को विवाद रहित मामलों में भी कितना महत्व देते हैं। इसलिये अपने कर्तव्य के रूप में हमने उसका विरोध करने का निश्चय किया है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीकृत प्रशासन द्वारा बैंकों की समय पर भर्ती सम्बन्धी जरूरतें पूरी नहीं की जा सकतीं और बैंकों के कार्यकरण में भारी गिरावट आ जायेगी। यदि संसद के किसी अधिनियम के अधीन कोई संगठन गठित किया गया है तो प्रत्येक बैंक की जरूरतें पूरी करने के लिये भी तरीका निकाला जा सकता था। वर्तमान विधेयक से पता चलता है कि वे आगे और भी ऐसी ही बातें करेंगे। यह तो हमारी प्राणाली का पूर्ण विकेन्द्रीकरण करने की बात होगी।

जहां तक संसाधन तथा अन्य चीजों का संबंध है, वे तो जरूरी हैं लेकिन निदेशकों और कर्मचारियों का समान राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रणाली को सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है ताकि ये अधिकाधिक समयोन्मुख हो सके तथा लोगों की जरूरतों और कार्यक्रमों के अनुसार चल सके। बैंकों का राष्ट्रीकरण करते समय यह देखना आवश्यक था कि उनकी समस्याओं पर व्यापक तथा राष्ट्रीय आधार पर विचार किया जाये। इसलिये जरूरी समझा गया कि लोगों की भर्ती को अधिक महत्व दिया जाये। एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याएं समझनी चाहिये। संस्कृति के इस सम्मेलन के साथ ही जब तक बैंकों का स्थानीय अधिकारी को नहीं सौंपा जायगा तब तक कार्यकुशलता नहीं बढ़ सकती।

हर वर्ष बकों में 15000 से 20000 लिपिकों और 2000 अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इतनी विशाल संख्या को देखते हुए संसद के अधिनियम के अधीन भर्ती क्यों नहीं की जाती। इस बात को अकेले बैंकों और उनके निदेशक बोर्डों पर क्यों छोड़ा जाये कि वे अपने पसंद के लोग भर्ती करें।

यह जरूरी है कि प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद के बैंक कर्मचारियों के बारे में पता रहे। हमें यह देखना है कि समाज के सभी वर्गों से लोग लिये जायें क्योंकि बैंकों का सामाजिक गठन बहुत जरूरी है। यह तभी हो सकता जब संसद का अधिनियम हो और संसद समय-समय पर उनके कार्यकरण का निरीक्षण कर सके।

समूची बैंककारी प्रणाली को राष्ट्रीय भूमिका निभानी है। अलग-अलग बैंक अलग-अलग ढंग से कार्य नहीं कर सकते। उनके मूल कार्य समान होने चाहिये। सभी क्षेत्रों में एक ही तरह के कार्य का मेरा अर्थ नहीं लेकिन उन सभी की दिशा में समानता होनी चाहिये। उनकी आधारभूत नीतियां एक होनी चाहिये और एकरूपता लाने के लिये केन्द्रीय स्तर पर भर्ती होना जरूरी है।

निदेशक बोर्डों का पुनर्गठन किया गया है। इन बोर्डों का सामाजिक रूप से गठन बहुत अच्छा होगा। इसमें सरकार क्या चाहती है उसका भी पता चलेगा। हम जानना चाहेंगे कि अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं।

खेद की बात है कि इस महत्वपूर्ण उपाय के बारे में सरकार ने हमसे परामर्श नहीं किया। उन्होंने एकतरफा ढंग से अध्यादेश जारी करके अधिनियम समाप्त करने का फैसला किया और अब वे हमारी अनुमति चाहते हैं। उन्हें यह मामला सभा के सामने लाना चाहिये था लेकिन अध्यादेश जारी किया गया। इसलिये हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जिस उद्देश्य से बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस उद्देश्य को ही समाप्त किया जा रहा है।

यह बहुत जरूरी है कि एक राष्ट्रीय बैंककारी आयोग बनाया जाये। यदि जरूरी हो तो उसके क्षेत्रीय बोर्ड भी बनाये जा सकते हैं। उसके लिये कुछ अधिक व्यय भी हो जाये तो कोई बात नहीं।

सरकार की इस कार्यवाही से हमें और राष्ट्र को चेतावनी मिल गयी है कि सरकार के इरादे क्या हैं और वह किस दिशा में जा रही है। हमें तथा बाहर के लोगों को पता चल जाना चाहिये कि सरकार की नीतियां क्या है ?

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): There is no doubt that there is much substance in what the Members opposite have said in regard to this Bill and Minister of Finance will do well to examine and consider it.

Probably the purpose of setting up of seven commissions is to bring about decentralisation. But for that there is no need to come with this ordinance. It appears that we are as yet carrying on the legacy of the previous government and are getting used to issuing Ordinances after Ordinances. This practice must be given up.

It is said that for the autonomous functioning of the Banks it is necessary that the central baking service commission is done away with. This matter requires reconsideration. If the Finance Minister think that the banking system is a special type of service which needs a special type of service commission, even then where is the need to devide it into seven parts? This is something which I fails to understand. What is really needed is not decentralisation but a change in its centralised character.

It is also not correct to say that this measure is intended to reverse the process of nationalisation of the banks. The country is committed to it. But we have to consider as to who has been benefited by the nationalisation of banks. Is it not a fact that only the rich class has been benefited? If the Janata Government want the common people to get that benefit then they will have to provide those facilities at the village level. For that purpose they will have to change their policies; where decentralisation will not serve the purpose.

Leader of the Opposition said that this measure smacked of bureacracy. But is it not a fact that bureaucracy flourished more when there was centralisation and that it flourished less when there was decentralisation? Therefore, if the Leader of the Opposition think that bureacracy will flourish under decentralisation, it is unscientific thinking.

There is no need to pass this measure in a hurry. Let the Govrnment have a dialogue with the opposition and then proceed in this matter.

श्री सी० एम० स्टीफन (इक्की) : श्री सौगतराय द्वारा पेश किए गए संकल्प का मैं समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा पेश किये गये विधेयक का विरोध करता हूं। मुझे विधेयक के उपबन्धों से इतना धक्का नहीं लगा और हैरानी नहीं हुई जितनी इस बात से कि सरकार इस अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय को किस बेपरवाह ढंग से संसद के समक्ष ला रही है। बैंककारी सेवा आयोग की नियुक्ति करना हंसी खेल नहीं। वर्षों तक विचार विमर्श करने, वर्षों के सरकारी अनुभव और बैंककारी संस्थानों, कार्मिक संघों और श्रमिक वर्ग द्वारा एकमत से यह अनुभव किये जाने के बाद कि बैंकों में भर्ती को यथास्थिति में न रखा जाये, यह आयोग गठित किया गया था।

मंत्री महोदय ने भारी संख्या में भर्ती की बात ऐसे की है जैसे यह कोई नई बात हो। इसी कारण तो बैंककारी सेवा आयोग जरूरी है।

आने वाले समय में देश की अर्थ व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बैंककारी संस्थान कैसे चलाये जा रहे हैं। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सभी राष्ट्रीय तत्वाधान में. भारतीय संसद के मार्गदर्शन में और भारतीय संसद के अधिनियम के अधीन की जानी चाहिये। अतः वर्षों के अनुभव और विचार के बाद स्थापित प्रणाली को हमें भिन्न-भिन्न नहीं करना चाहिये।

इसके बाद लोक सभा बुधवार, 30 नवम्बर, 1977/9 अग्रहायण, 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till 11.00 the clock on wednesday, November, 30, 1977/ Agrahayana 9, 1899 (Saka),

MGIPRRND—27 LSS/77—Sec. I—Day 15-2-78—200.